


शुजालपुर
विकास योजना (प्रारूप)
2031

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम-1973 के
प्रावधानान्तर्गत प्रकाशित



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश

प्रस्तावना

जिला मुख्यालय शाजापुर का तहसील मुख्यालय शुजालपुर नगर मालवांचल क्षेत्र उज्जैन संभाग में स्थित है। यह नगर, मालवा के उत्तर में उपजाऊ मैदान और जमघड़ नदी के किनारे तथा नागदा-भोपाल मुख्य रेल मार्ग एवं आष्टा-पचोर राजमार्ग क्रमांक-41 पर स्थित है। शुजालपुर नगर, जिला मुख्यालय शाजापुर से 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह नगर पुरातत्वीय महत्व एवं धार्मिक आस्थाओं का भी केन्द्र है। इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन अधिक होने के कारण शुजालपुर नगर की नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा-सुविधाओं पर दबाव तीव्रता से बढ़ रहा है। क्षेत्रीय परिदृश्यता में शुजालपुर नगर के आसपास कृषि, वन एवं खनन आदि का उत्पादन उल्लेखनीय है।

शुजालपुर के नियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुए शुजालपुर निवेश-क्षेत्र का गठन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा-13 के अंतर्गत दिनांक 22.04.1977 को किया गया तथा विकास की प्रबल संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सुनियोजित अधोसंरचना उपलब्धता हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा दिनांक 14.12.2012 को पूर्व निवेश-क्षेत्र सीमाओं का पुनर्गठन किया गया। विकास दर एवं जनसंख्या वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि नगर का भविष्य में सुनियोजित विकास किया जा सकें।

विकास योजना में वर्ष 2031 की अनुमानित जनसंख्या 1.50 लाख को दृष्टिगत रखते हुए योजना प्रस्ताव तैयार किये गये हैं, जिसमें भूमि का युक्तियुक्त उपयोग का निर्धारण, प्रभावी परिवहन प्रणाली, नगरीय अधोसंरचना के उन्नयन के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखा गया है।

यह प्रारूप विकास योजना-2031 सर्वसाधारण से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित की जा रही है। मुझे आशा है, कि नागरिकगण अपने व्यवहारिक एवं रचनात्मक सुझावों को व्यक्त करेंगे ताकि इस योजना को जनोन्मुखी स्वरूप देते हुए, प्रभावशील किया जा सकें।



(गुलशन बामरा)

आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल

शुजालपुर विकास योजना

योजना-दल

संयुक्त संचालक

विजय सावलकर

उपसंचालक

नीरज आनंद लिखार

सहायक संचालक

शालिनी सक्सेना

कर्मचारीगण

आर.एस.सैनी

विवेक देवधर

डी.के. राठौर

दिनेश चौहान

मेपकास्ट के अधिकारी

डॉ. विवेक कटारे

श्याम अवतार एवं सतीश चक्रवर्ती

विषय-सूची

i "B Øekd

प्रस्तावना	
योजना दल	
विषय सूची	(i)
सारणी सूची	(iii)
मानचित्रों की सूची	(v)
v/; k; &1 uxj ifjp;	1&8
1.1 स्थिति	1
1.2 निवेश क्षेत्र	1
1.3 क्षेत्रीय स्थिति एवं महत्व	2
1.4 भौतिक स्वरूप	3
1.5 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	3
1.6 जनसंख्या परिवर्तन	4
1.7 आर्थिक रूप-रेखा एवं व्यवसायिक संरचना	5
1.8 नगर पालिका की वित्तीय स्थिति	7
1.9 नगर के मुख्य कार्य कलाप	8
v/; k; &2 orëku Hkøe mi ; kx , oa vkokl	9&21
2.1 भूमि उपलब्धता	9
2.2 भूमि उपयोग वर्गीकरण	9
2.3 वर्तमान भूमि उपयोग संरचना एवं भूमि उपयोगिता	10
2.4 आवास	11
2.5 वाणिज्यिक	15
2.6 औद्योगिक	17
2.7 सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक तथा सार्वजनिक सेवाएं एवं उपयोगिताएँ	17
2.8 यातायात एवं परिवहन	20
2.9 असंगत भूमि उपयोग	20
v/; k; &3 orëku ifjHkøe.k l j puk , oa uxjh; v/kkd j puk	22&30
3.1 क्षेत्रीय परिभ्रमण संरचना	22
3.2 नगरीय परिभ्रमण संरचना	23
3.3 परिहवन के साधन	24
3.4 यातायात समस्याएँ	24

3.5	वर्तमान मार्गों की चौड़ाई	26
3.6	नगरीय अधोसंरचना	27
v/; k; &4	uxj dh Hkkoh vko' ; drk, a , oa i Lrkfor Hkfe mi ; ksx	31&40
4.1	नगर के प्रमुख कार्यकलाप	31
4.2	योजना कालावधि	31
4.3	योजना उद्देश्य तथा लक्ष्य	32
4.4	योजना अवधारणा	33
4.5	भावी जनसंख्या	33
4.6	अनुमानित व्यवसायिक संरचना	34
4.7	अनुमानित आवास आवश्यकता	34
4.8	प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भू-आवंटन (2031)	35
4.9	प्रस्तावित भूमि उपयोग संरचना	36
4.10	असंगत भूमि उपयोग	39
4.11	ग्राम विकास	39
4.12	मिश्रित भू-उपयोग हेतु विकास नियमन	40
v/; k; &5	i Lrkfor ifj Hkæ.k l jpkuk , oa uxjh; v/kkd jpkuk	41&48
5.1	प्रस्तावित क्षेत्रीय परिभ्रमण संरचना (रेल एवं सड़क मार्ग)	41
5.2	प्रस्तावित उप नगरीय परिभ्रमण संरचना	42
5.3	मार्गों का श्रेणीक्रम	42
5.4	मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई	43
5.5	यातायात प्रणाली में सुधार	46
5.6	नगरीय अधोसंरचना	47
v/; k; &6	fodkl fu; eu	49&187
6.1	प्रवृत्तशीलता	49
6.2	क्षेत्राधिकार	49
6.3	परिभाषाएं	50
6.4	भूमि उपयोग परिक्षेत्र	51
6.5	आवासीय उपयोग परिक्षेत्रों हेतु नियमन	52
6.6	वाणिज्यिक क्षेत्र	56
6.7	औद्योगिक परिक्षेत्र	58
6.8	अन्य सुविधाएं	59
6.9	यातायात नगर/मैकेनिक नगर के मानक	59
6.10	मिश्रित उपयोग	60
6.11	उपयोग परिक्षेत्र के विकास नियमन	60

6.12	वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु विकास नियमन	186
6.13	सामान्य अभिशंसाए	187
v/; k; &7	fodkl ; kst uk fØ; kllø; u	188&196
7.1	विकास योजना का क्रियान्वयन	188
7.2	योजना क्रियान्वयन की नीति	189
7.3	पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम	190
7.4	नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना	190
7.5	भूमि विकास नीति	192
7.6	प्रथम चरण कार्यक्रम	193
7.7	योजना पर्यवेक्षण तंत्र	195
7.8	योजना की व्याख्या	196
	i f j f ' k " V	197&202
1	— विकास अनुज्ञा आवेदन	198
2	— निवेश क्षेत्र	200
3	— विकास योजना प्रस्ताव प्राप्त करने का प्ररूप	201
4	— नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति का आदेश	202

सारणी सूची

I kj .kh Øekd	'kh"kd	i "B Øekd
1-सा-1	निवेश क्षेत्र	1
1-सा-2	जनसंख्या परिवर्तन	5
1-सा-3	व्यवसायिक संरचना 2011	5
1-सा-4	कृषि उपज (क्विंटल में)	7
1-सा-5	नगर पालिका की (आय व्यय)	8
2-सा-1	भूमि उपलब्धता	9
2-सा-2	वर्तमान भूमि उपयोग 2013	10
2-सा-3	वार्ड अनुसार आवासीय घनत्व	12
2-सा-4	गंदी बस्ती	13
2-सा-5	आवासीय ईकाईयों की कमी	15
2-सा-6	दुकाने एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	17
2-सा-7	वर्तमान स्वास्थ्य सुविधाएं	18
2-सा-8	असंगत भूमि उपयोग	21
3-सा-1	क्षेत्रीय यातायात (बस)	22
3-सा-2	वर्तमान प्रमुख मार्गों की चौड़ाई	26
3-सा-3	विद्युत खपत	28
3-सा-4	वर्तमान सेवाएं एवं सुविधाएं	29
4-सा-1	अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता	34
4-सा-2	प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भू-आवटन (2031)	35
4-सा-3	आमोद प्रमोद	38
4-सा-4	भूमि उपयोगों की पुर्नस्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग	39
5-सा-1	प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई	43
5-सा-2	वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई (नगर मार्ग)	45
6-सा-1	उपयोग परिक्षेत्र	52
6-सा'-2	आवासीय भूखंड विकास नियमन	54
6-सा-3	वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र के अभिन्यास हेतु नियमन	56

6-सा-4	उपविभाजित वाणिज्यिक भूखंडों हेतु नियमन	57
6-सा-5	यातायात नगर/मैकेनिक नगर के मानक	59
6-सा-6	यातायात नगर में सुविधाओं के मापदंड	60
6-सा-7	उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति	61
6-सा-8	उपयोग परिक्षेत्रों/परिसरों के नियोजन मापदंड एवं अन्य नियंत्रण	65
6-सा-9	उपयोग परिसरों के नियोजन मापदंड एवं अन्य नियंत्रण	109
6-सा-10	आवासीय विकास हेतु भूखण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र	186
6-सा-11	सार्वजनिक तथा अर्द्धसार्वजनिक हेतु विकास नियमन	187
7-सा-1	योजना क्रियान्वयन की लागत	189
7-सा-2	प्रथम चरण के घटक	193
7-सा-3	प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत	194

मानचित्रों की सूची

I kj .kh Øekad 'kh"kd	i "B Øekad
1.1	निवेश क्षेत्र 2 (अ)
1.2	क्षेत्रीय बसाहट 2 (अ)
2.1	वर्तमान भूमि उपयोग 10 (अ)
3.1	वर्तमान परिभ्रमण संरचना 26 (अ)
4.1	विकास योजना 2031 36 (अ)
5.1	प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना 44 (अ)
7.2	प्रथम चरण 194 (अ)

v/; k; &1 uxj i fjp;

1-1 fLFkfr

शुजालपुर नगर, प्रदेश के मालवांचल में स्थित उज्जैन राजस्व संभाग अंतर्गत स्थित शाजापुर जिले का तहसील मुख्यालय है। यह नगर मालवा के उत्तरी उपजाऊ मैदान में जमधड नदी के किनारे तथा नागदा-भोपाल रेल मार्ग पर समुद्र तल से 451.38 मीटर की ऊंचाई पर, 23°24' डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 76°43' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। नागदा-भोपाल रेलवे लाईन नगर को दो भागों में विभक्त करती है। नगर की बसाहट रेलवे लाईन के उत्तर एवं दक्षिण दिशा में अवस्थित है, यह नगर सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा प्रदेश एवं देश के प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है।

1-2 fuos'k {ks=

नगर विकास की सतत् प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए शुजालपुर निवेश-क्षेत्र का गठन म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा-13 की उपधारा (1) के अंतर्गत म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक-1505-8/1844/बत्तीस/भोपाल, दिनांक 22.04.1977 तथा वर्ष-2012 में एक अतिरिक्त ग्राम किसोनी एवं ग्राम भूगौर की नगर पालिका सीमा को सम्मिलित कर अधिनियम की धारा-13 की उपधारा-(2) के तहत म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-3-116/2011/32 दिनांक 14.12.2012 द्वारा शुजालपुर निवेश-क्षेत्र की सीमाओं को पुर्नगठित कर परिनिश्चयन किया गया है।

शुजालपुर निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 6589.07 हेक्टर (नगर पालिका सीमा सहित) है तथा वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार निवेश-क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 63662 है। निवेश-क्षेत्र में सम्मिलित नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल संबंधी जानकारी सारणी 1-सा-1 में दर्शाई गई है:-

'kqtkyig % fuos'k {ks=

1&l k&1

Ø-	xke dk uke	{ks=Qy %gDVj e%h	tul a; k 2011
1	2	3	4
1	पिपलोद	625.42	1373
2	चित्तौडा	630.30	1306
3	धारिया खेडी	39.91	वीरान
4	सलमपुर	180.52	10
5	सेसरामपुर	40.15	वीरान

Ø-	xke dk uke	{ks=Qy %gDVj e#	tul a ; k 2011
1	2	3	4
6	ताजपुर उकाला	566.67	943
7	मंडावर	470.52	1033
8	झिरन्या	315.73	432
9	राणूगंज	230.96	391
10	अख्यार पुर	337.49	925
11	नान्याखेडी	226.34	469
12	महुधाट	324.55	487
13	नांदासुरा	231.29	480
14	कमल्या	345.47	883
15	भीलखेडी	532.42	1428
16	किसोनी	717.33	1284
(अ)	योग-ग्रामीण क्षेत्र:-	5815.07	11444
(ब)	योग-नगरीय क्षेत्र:-	774.00	52218
	महायोग (अ+ब)	6589.07	63662

L=ksr%& 1. भारत की जनगणना-2011

1-2-1 uxj ikfydk {ks=

शुजालपुर में नगर पालिका कांउंसिल का गठन ग्वालियर म्युनिसिपल एक्ट-1912 के तहत दिनांक 05.03.1926 को किया गया था, तथा नगर पालिका क्षेत्र को पांच वार्डों में विभाजित किया गया। वर्ष 1940, 1970 तथा 1974 में नगर पालिका क्षेत्र में 9 तथा 17 वार्ड बनाये गये थे। सन् 1974 में नगर पालिका का कुल क्षेत्रफल 4.0 वर्ग किलोमीटर था।

नगर की बढ़ती आबादी एवं बसाहट में वृद्धि होने के साथ एवं बाह्य क्षेत्र में विकास के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका क्षेत्र में वृद्धि कर म.प्र. शासन स्थानीय शासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.02.2004 द्वारा नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्गठन किया गया है। वर्तमान में नगर पालिका क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल 7.74 वर्ग कि.मी. अर्थात् 774.0 हेक्टर को 21 वार्डों में विभक्त किया गया है। विकास योजना में उप दर्शित नगर पालिका द्वारा तैयार की गई सी.डी.पी. अनुसार अंकन किया गया है।

1-3 {ks=h; fLFkfr , oa egRo

शुजालपुर नगर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा-4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक/एफ-49/2610/73 दिनांक 22.10.1973 द्वारा अधिसूचित भोपाल राजधानी प्रदेश में सम्मिलित है, जिसमें शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल तथा रायसेन जिले की भूमियाँ भी आती हैं।

यह नगर प्रदेश की राजधानी भोपाल से 92 किलो मीटर एवं जिला मुख्यालय शाजापुर से 65 कि.मी. दूरी स्थित है। शुजालपुर अनाज की प्रसिद्ध मण्डी के रूप में जाना जाता है और यह नागदा-भोपाल रेल लाईन का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। इस नगर का रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग द्वारा प्रदेश एवं देश के प्रमुख नगरों से संपर्क स्थापित है।

1-4 शुजालपुर का भू-आकृति

शुजालपुर नगर मालवा पठार के उत्तरी भाग में स्थित है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग डेक्कन ट्रेप चट्टानों से ढका है। भू-आकृति के अनुसार शुजालपुर क्षेत्र पेडी पिलेन (उपजाऊ) नदियों द्वारा लाई जाने वाली मिट्टी से युक्त है। शुजालपुर क्षेत्र, यमुना की मुख्य सहायक नदी चम्बल के कछार क्षेत्र में स्थित है। यहां से निवेश-क्षेत्र, में चम्बल नदी की सहायक नदी, नेवज दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहती है। नगर के मध्य से जमधड नदी पूर्वी दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए नेवज नदी में मिलती है। नेवज नदी अपनी सहायक नदी एवं नालों से इस भू-भाग के जल प्रवाह को वहन करती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। प्राकृतिक जल निकास की दिशा के मान से नगर का ढलान पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम की ओर परिलक्षित होता है। निवेश-क्षेत्र के अंतर्गत उपजाऊ काली मिट्टी पाई जाती है। यह क्षेत्र मालवा पठार का मुख्य कृषि उत्पादक क्षेत्र होकर समतल भू-आकृति युक्त है।

1-4-1 जलवायु

मालवा क्षेत्र में स्थित शुजालपुर की जलवायु समशीतोष्ण है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से सौम्य है। यहां पर रात्रि ठण्डी होती है, जो शबे-मालवा की प्रकृति के अनुकूल मानी जाती है।

यहां वर्ष भर सामान्य गतिविधियां सुचारू रूप से सम्पन्न होती रहती है। ग्रीष्म ऋतु में यहां का तापमान 42 सेन्टीग्रेड तक पहुंच जाता है। वर्ष के दौरान औसत अधिकतम तापमान 32.9 सेलसियस तथा औसत न्यूनतम तापमान 18.4 सेलसियस रहता है। नगर में औसत वर्षा 1062.8 मि.मी होती है। दिसम्बर एवं जनवरी माह वर्ष के ठण्डे एवं मई-जून गर्म रहते हैं। नगर में वायु प्रवाह की दिशा ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम एवं उत्तर-पश्चिम, वर्षा ऋतु में दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पश्चिम एवं शीत ऋतु में उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर रहती है।

1-5 मालवा प्रदेश का इतिहास

मध्यप्रदेश के मालवा अंचल में बसा शुजालपुर प्राचीन काल से ही इतिहास और संस्कृति का मिश्रण रहा है। यह क्षेत्र छठी सदी ई.पूर्व में "अवंति आकरावंति" अर्थात् "आकर" और "अवंति" नामक दो भू-प्रदेशों से मिलकर निर्मित क्षेत्र 'उज्जयिनी' जनपद या 'मालवा' कहा जाता था। वर्तमान में मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित उच्चतम भूमि है। भौगोलिक पृष्ठभूमि में यह एक गौरवशाली ऐतिहासिक क्षेत्र है। वस्तुतः यह क्षेत्र मूलतः प्राचीन साहित्य में 'अवंति-जनपद' कहलाता था।

पुरातत्विक प्रमाणों के आधार पर यह क्षेत्र चार हजार वर्ष पूर्व से अधिवासित रहा किन्तु इसकी वैज्ञानिक संज्ञा क्या थी, यह स्पष्ट नहीं है। अतिप्राचीन काल से ही यह सम्पूर्ण भू-भाग विन्ध्य की पहाड़ियों से आवृत पार्वती, नेवज और कालीसिंध बड़ी नदियों और दो छोटी नदियों जमधाड़ और बिलहटी नदियों से सिंचित है, जिसमें प्रागैतिक इतिहास मानवों के विचरण तथा निवास में स्पष्ट प्रमाण

के रूप में यहां गोलाशम उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनका काल निर्धारण 5 से 10 लाख वर्ष पूर्व अनुमानित है। इस क्षेत्र के आगर नामक स्थान के आसपास स्व. डा. विश्णुश्रीधर वाकणकर ने ऐसे उपकरणों की खोज की है, जो आस्ट्रोपिथेकस नामक अफ्रीकी आदि मानव के द्वारा बनाये जाते थे, इसमें एकाशक उपकरण प्रमुख है। इस क्षेत्र से ताम्रयुगीन सभ्यता व कायथा संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं।

सन् 1798 ई. में अमीर खां और जसवंत राव होल्कर के मध्य समझौता, जो मालवा के इतिहास के लिय महत्वपूर्ण रहा, इसी स्थान पर हुआ था। सन् 1808 ई. में शुजालपुर पिंडारियों के मुखिया करीम खां की जागीर में शामिल हो गया था, उसके पश्चात् सन् 1844 ई.में ब्रिटिश शासन के कब्जे में आ गया व यहां से प्राप्त सम्पूर्ण राजस्व ब्रिटिश क्षेत्र शासन को मिलने लगा, लेकिन 1860 ई. में इसे महाराजा सिंधिया को दे दिया जिसके कारण क्षेत्र यह ग्वालियर राज्य में सम्मिलित हो गया। शुजालपुर के निकटस्थ रानोजी सिंधिया की छत्री नेवज नदी के किनारे आज भी स्थित है। चैत्रसुदी पंचमी को यहां प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। सिंधिया रियासत गजेटियर 1912 ई. अनुसार शुजालपुर परगना था, सन् 1881 ई. में आबादी 7136 थी सन् 1891 ई. में 6669 और सन् 1901 ई में 5731 थी। परगने की कचहरियों के अलावा थाना मदरसा रियासत का डाक-खाना, शफाखाना ओर एक इंस्पेक्शन बंगला यहां कायम था। 22 अप्रैल 1948 को मध्यभारत संघ में ग्वालियर राज्य के सम्मिलित होने के साथ शुजालपुर भी सम्मिलित हो गया। दिनांक 01 नवम्बर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य बनने के साथ ही यह शाजापुर जिले का तहसील मुख्यालय बन गया, इसी समय एस.डी.ओ. न्यायालय का मुख्यालय इसे बनाया गया।

शुजालपुर नगर का व्यवस्थित निर्माण मुगलकाल में किया गया था। इसके पश्चात् ग्वालियर राज्य में भी कुछ निर्माण हुए। इस नगर में अधिकतर लोग दक्षिणी भाग में रहते हैं। सबसे प्राचीन मंदिर जटाशंकर परमार कालीन शिव मंदिर है। शुजालपुर के समीप सूर्य प्रतिमा काफी समय तक शुजालपुर के नीलकण्ठे वर मंदिर में रखी रही एवं वर्तमान में शाजापुर के संग्रहालय में स्थापित है। कला की दृष्टि से यहां से प्राप्त गुप्तकालीन लज्जागोरी प्रतिमा एक महत्वपूर्ण उपलब्धी है, वर्तमान में विक्रम कीर्ती मंदिर उज्जैन में संग्रहित है। यहां की मण्डी बहुत अच्छी कहलाती है क्योंकि इस क्षेत्र की जमीन उपजाऊ है। यहां प्राचीन हनुमान मंदिर है यहां बड़ी संख्या में दर्शनार्थी दर्शन हेतु आते हैं। सन् 1953-54 ई में यहां नगर पालिक परिषद् द्वारा बिजली एवं पानी की व्यवस्था की गई। साप्ताहिक हाट बाजार गुरुवार व रविवार को अलग-अलग भागों में लगता है।

L=kr%& MkwI nhi dękj 0; kl] nękl

1-6 tul d; k i fjo r u

किसी भी नगर की जनसंख्या वृद्धि में वहां के आर्थिक क्रिया-कलापों भौतिक संसाधनों, आमोद-प्रमोद एवं सेवा-सुविधाओं का विशेष प्रभाव पड़ता है। नगर की विकास योजना तैयार करने हेतु जनसंख्या का अध्ययन आवश्यक है, ताकि अध्ययन पश्चात् भावी जनसंख्या का आंकलन कर विभिन्न भूमि उपयोगों की आवश्यकताओं का निर्धारण किया जा सकें। शुजालपुर नगर के समीपवर्ती नगरों से इसके सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए निकटवर्ती प्रमुख नगरों की जनसंख्या में हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया गया, जिसका विवरण सारणी 1-सा-2 अनुसार है:-

'kqtkyi g % tul a[; k ifjorL

1&l k&2

0k"z	uxj dh dgy tul a[; k	n'kd varj %i fr'kr e%			
		'kqtkyi g	'kktki g	l hgkj	vkyk%
1	2	3	4	5	6
1961	13690	+28.73	+25.20	+36.15	+2.68
1971	18937	+38.47	+45.45	+ 26.84	+21.47
1981	24565	+29.58	+34.89	+ 44.43	+42.10
1991	32074	+30.57	+23.84	+ 37.05	+22.49
2001	42466	+32.40	+37.46	+28.47	+21.96
2011	52218	+23.00	—	—	—

L=kr% भारतीय जनगणना पुस्तिका।

सन् 2011 की जनगणनानुसार नगर की जनसंख्या लगभग 52218 है। इससे यह स्पष्ट होता है, कि वर्ष 1961 से 2011 तक नगर की जनसंख्या तीव्रगति से बढ़ी है, जिसका कारण मृत्युदर में कमी तथा नगर के कृषि उत्पादन में वृद्धि व व्यवसायिक ढांचा सुदृढ़ होना है।

1-7 vkfFkd : i & js[kk , oa 0; ol kf; d l j puk

नगर की आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक स्थिति का अनुमान नगर में उपलब्ध विभिन्न रोजगार में संलग्न श्रमिकों की संख्या से लगाया जाता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित व्यवसायिक संरचना से विभिन्न भूमि उपयोगों हेतु विकास योजना में भूमि की कितनी आवश्यकता होगी, इस बात का अनुमान लगाने में सहायक होती है। सारणी 1—सा—3 में आर्थिक संरचना के विभिन्न वर्गों में कार्यरत श्रमिकों के व्यवसाय, वर्गीकरण तथा इसकी संरचना को स्पष्ट किया गया है:—

'kqtkyi g % 0; ol kf; d l j puk&2011

1&l k&3

i xkj	dk; Z khy 0; fDr@Jfed	1000&Jfedka ds i hNs Jfedka dk foHkktu	ifr 1000 tul a[; k ij Jfedka dk foHkktu
1	2	3	4
(अ) प्राथमिक क्षेत्र			
1. कुशल	1287	90	29

क्र.सं.	वर्ग	2001	2011
1	2	3	4
2.	कृषि श्रमिक आदि	1859	62
	प्रति 1000 जनसंख्या	3146	152
(ब)	द्वितीयक क्षेत्र		
3.	घरेलू उद्योग	4214	204
(स)	तृतीय क्षेत्र		
4.	उत्पादन, निर्माण व्यापार, यातायात अन्य सेवाएँ आदि	13298	644
	प्रति 1000 जनसंख्या	20658	1000
	कुल	324	324

सं. 1 भारतीय जनगणना 2011

उपरोक्त सारणी में वर्णित आंकड़ों से स्पष्ट होता है, कि वर्ष-2001 में सहभागिता दर 325 श्रमिक प्रति 1000 जनसंख्या की तुलना में वर्ष -2011 में घटकर 324 हो गयी है। यह नगर में रोजगार के अवसर की कमी दर्शाती है।

1-7-1 कृषि उत्पादों का निर्यात

नगर की उन्नति की धूरी यहां के विभिन्न कृषि उत्पाद जैसे सोयाबीन, गेहूँ, चना, धनियाँ, मसूर, ज्वार, तिलहन, मक्का, उड़द, मैथीदाना, प्याज, लहसून, आलू एवं अन्य उपज है। कृषि उपजों का थोक व्यापार इस नगर की प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ हैं। कृषि उपज मण्डी से प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है, कि नगर स्थित कृषि उपज मंडी में कृषक सुदूर ग्रामों से अपनी उपज विक्रय हेतु लाते हैं। शुजालपुर कृषि उपज मंडी में विभिन्न वर्षों में लाई गई कृषि उपजों का विवरण सारणी 1-सा-4 अनुसार है।

शुद्धीकरण के लिए नगरपालिकाको क्षेत्रीय स्तरमा लागू गरिएको योजना

तालिका 4

क्र.सं.	नगरपालिकाको क्षेत्र	वर्ष				
		2007&08	2008&09	2009&10	2010&2011	2011&12
1	2	3	4	5	6	7
1	गेहूँ	205653	160564	96440	300881	267612
2	सोयाबीन	989533	712441	755513	1000880	822217
3	चना	363503	486919	365999	491464	383887
4	मकका	2247	5036	6205	7888	355
5	ज्वार	4410	1542	1698	335	33
6	दलहन	12685	19542	24136	29064	75206
7	तिलहन	2007	3813	6376	6811	5627
8	प्याज	22155	53274	60444	132343	138093
9	लहसुन	10447	49751	30366	21973	32963
10	आलू	9340	10983	8967	10236	29189
11	अन्य	1993	2208	1137	1270	1962
	कुल	1623973	1506073	1357281	2003135	1757144

स्रोत: नगरपालिकाको क्षेत्रीय स्तरमा लागू गरिएको योजना, शुद्धीकरण

1-8 नगरपालिकाको क्षेत्रीय स्तरमा लागू गरिएको योजना

किसी भी नगर की आर्थिक क्षमता का अनुमान उस नगर की स्थानीय संस्थाओं के आय-व्यय के ब्यौरे से आंकलन किया जाता है। इसी तरह नगर की सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगति की जानकारी, उस नगर की स्थानीय संस्था द्वारा नगर के विभिन्न विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में किये जा रहे व्यय से अनुमानित की जा सकती है। नगर पालिका का मुख्य दायित्व सार्वजनिक मार्गों, नालियों का रख-रखाव, जल-प्रदाय व्यवस्था की देख-रेख, नगर में साफ-सफाई तथा नगरवासियों को स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराना है। नगर पालिका की आय-व्यय से संबंधित जानकारी सारणी 1-सा-5 में दर्शाई गई है:-

'kqtkyij % uxj ikfydk dh %vk; &0; ; ½

1&l k&5

o"kl	dy vk; %yk[k e½	ifr0; fDr % i ; s ea ½	dy 0; ; %yk[k e½	ifr 0; fDr 0; ; %: -e½
2006-07	358.76	892	335.42	750
2007-08	494.99	1080	494.74	1179
2008-09	559.84	1191	566.51	1205
2009-10	622.58	1284	637.19	1314
2010-11	744.50	1480	682.65	1357
2011-12	1135.11	2174	1126.67	2158

L=kr%& नगर पालिका, शुजालपुर

उपरोक्त सारणी में वर्णित आय-व्यय की जानकारी से स्पष्ट है, कि नगर पालिका आय में सतत रूप से वृद्धि हुई है, जो कि नगर में हुए विकास एवं समृद्ध आर्थिक स्वरूप को दर्शाती है।

1-9 uxj ds eq; dk; dyki

नगर के प्रमुख कार्यकलाप वाणिज्यिक गतिविधियां हैं। शुजालपुर के चारों ओर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह नगर दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की पूर्ति का केन्द्र है। कृषि उपज का थोक व्यापार नगर का महत्वपूर्ण कार्यकलाप है, इसके अतिरिक्त सब्जी, हार्डवेयर, दवाईयां, भवन निर्माण सामग्री, कृषि उपकरण, रासायनिक खाद, कृषि उपज पर आधारित उत्पाद तथा कपडा आदि का थोक एवं खुदरा व्यापार चलता रहता है। यह नगर तहसील मुख्यालय होने से यहां तहसील स्तरीय कार्यालय स्थित है।

oržeku Hkfe mi ; ksx , oa vkokl

किसी भी नगर का आकार उसके भौतिक स्वरूप और विकास की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। शुजालपुर नगर की वर्तमान भू-आकृति एवं आकार निर्धारित करने में नागदा-भोपाल रेल लाईन, सारंगपुर-आष्टा मार्ग तथा जमधड नदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। जमधड नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होकर नगर को दो भागों उत्तरी भाग (पुरानी बस्ती) तथा दक्षिण भाग (मंडी क्षेत्र सहित नवीन बसाहट) में विभाजित करती है। नगर के पूर्वी दिशा में जमधड नदी दो प्रवाहों में स्थित होने के कारण पूर्वी दिशा में विकास प्रायः अवरुद्ध होकर अनियंत्रित रहा है।

2-1 Hkfe mi yC/krk

निवेश क्षेत्र में नगर पालिका क्षेत्र, नगर की बाह्य सीमा पर आंशिक रूप से विकसित बस्ती समूह जैसे कमल्या, तथा भीलखेडी के साथ-साथ-14 अन्य ग्रामों का समावेश किया गया है। निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 6,589.07 हेक्टर है, जिसमें नगर पालिका क्षेत्र 774.0 हेक्टर सम्मिलित है। नगर में वर्तमान में 5,843.30 हेक्टर भूमि नगरीय विकास हेतु उपलब्ध है। निवेश-क्षेत्र के अंतर्गत भूमि का वर्गीकरण सारणी -2-सा-1 अनुसार है :-

'kqtkyig % Hkfe mi yC/krk

2&l k&1

Ø-	Hkfe dk mi ; ksx	{ks=Qy %gDVj e#	i fr' kr
1	2	3	4
1	विकसित क्षेत्र	574.91	8.73
2	अनुपयुक्त भूमि:- (अ) नदी, नाले, जलाशय (ब) रेलवे भूमि	122.58 43.19	1.86 0.66
3.	उपयोगी भूमि	5,838.81	88.74
	; ksx	6]589-07	100-00

L=kr%& नगर तथा ग्राम निवेश का सर्वेक्षण

2-2 Hkfe mi ; ksx oxhbdj .k

नगर की समस्याओं के अध्ययन हेतु विभिन्न भू-उपयोगों के अंतर्गत भूमि का परिमाण तथा उसके सह-संबंध का अध्ययन करना आवश्यक है। इसी दृष्टि से भूमि उपयोग का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में किया गया है :-

1. आवासीय 2. वाणिज्यिक 3. औद्योगिक 4. सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक 5. सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ 6. आमोद-प्रमोद 7. यातायात एवं परिवहन 8. कृषि भूमि 9. जलाशय

उपरोक्त वर्गीकरण को म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 के अंतर्गत नगर के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करने में यथास्वरूप उपयोग किया गया है। शुजालपुर निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र को उक्त अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रकाशित कर तथा अन्य वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कर धारा 15(4) के तहत दिनांक 01.03.2013 को सम्यक रूप से अंगीकृत किया गया है।

2-3 or̄eku Hk̄fe mi ; k̄x l j̄puk , oa Hk̄fe mi ; k̄fxrk

नगर के भावी स्वरूप का अनुमान करने एवं नगर की भावी विकास योजना तैयार करने के लिए नगर के वर्तमान भूमि उपयोग का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। इसी परिपेक्ष्य में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम-1973 की धारा-15 की उपधारा-(3) एवं (4) के अंतर्गत वर्ष 2013 में अंगीकृत मानचित्र के आधार पर निवेश क्षेत्र में कुल 574.91 हेक्टर क्षेत्र विकसित पाया गया है। वर्ष 2011 की जनसंख्या 63,662 आंकी गई है, जिसके मान से प्रति हजार जनसंख्या के लिए भूमि उपयोगिता दर 9.07 हेक्टर आती है, जो कि नगर की आवश्यकताओं एवं कार्यकलापों की दृष्टि से कम है। अतः यू. डी. पी.एफ. आई. मानकों के आधार पर भूमि के संतुलित एवं उपयुक्त भूमि उपयोगिता दर प्राप्त करना आवश्यक है। नगर की वर्तमान भूमि उपयोग संरचना एवं भूमि उपयोगिता दर सारणी 2-सा-2 में दर्शायी गयी है:-

'k̄tkyij % or̄eku Hk̄fe mi ; k̄x&2013

2&l k&2

Ø-	Hk̄fe dk īdkj	fodfl r {k̄s=		Hk̄fe mi ; k̄x nj
		{k̄s=Qy ḡDV; j ea	i fr'kr	
1	2	3	4	7
1	आवासीय	295.79	51.45	4.64
2	वाणिज्यिक	36.76	6.39	0.58
3	औद्योगिक	24.66	4.29	0.49
4	सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक	70.46	12.26	1.09
5	सार्वजनिक सेवाएं एवं उपयोगिताएं	6.27	1.09	0.09
6	आमोद-प्रमोद	4.63	0.80	0.07
7	यातायात एवं परिवहन	136.34	23.72	2.14
8	कृषि	-	-	-
9	जलाशय	-	-	-
	; k̄x	574.91	100.00	9.10

L=k̄s%& नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा सर्वेक्षण.

Uk\%& 1. भूमि उपयोग दर हेक्टर प्रति हजार जनसंख्या में आंकी गई है।

2. वर्ष-2011 की जनसंख्या 63,662 अनुमानित की गई है।

3. रेल्वे विभाग की लगभग 43.19 हेक्टर भूमि विकसित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है।

सारणी 2-सा-2 से स्पष्ट है, कि सम्पूर्ण निवेश क्षेत्र को आवासीय उपयोग अंतर्गत सर्वाधिक भूमि 51.45 प्रतिशत है, जो अन्य नगरों की अपेक्षा थोड़ा अधिक है। सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत 12.26 प्रतिशत है। वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत क्रमशः 6.39 तथा 4.29 प्रतिशत है, जो नगर की प्रकृति एवं स्वरूप की दृष्टि नगर के पिछड़ेपन का संकेतक है। सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधाएँ तथा आमोद-प्रमोद के अंतर्गत क्रमशः 1.09 तथा 0.80 प्रतिशत है जो आवश्यकता से बहुत ही कम है। आवासीय भूमि उपयोग दर 4.64 हेक्टर वर्ष 2011 की अनुमानित जनसंख्या के मान से आवासीय घनत्व 223 व्यक्ति प्रति हेक्टर आता है। अतः भूमि के सघन विकास को प्रोत्साहित कर संतुलित एवं उपयुक्त भूमि उपयोगिता दर प्राप्त करना आवश्यक है।

2-4 vkokl

आवास मनुष्य की तीन मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। मानव बसाहट में आवास निर्माण एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। नगर की जनसंख्या में वृद्धि व आवश्यकतानुसार भवनों की अनुपलब्धता के परिणाम स्वरूप आवासों की कमी, झुग्गी-झोपड़ी, गंदी बस्तियों व सघन आवासीय क्षेत्र का विकास होता है। किसी भी नगर में विद्यमान भूमि उपयोगों में आवासीय उपयोग सर्वाधिक होता है, जिसके अनुरूप ही नगर का स्वरूप निर्धारित होता है, जो नगर के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करता है। नगर में आवासीय क्षेत्रों का स्तर, भवनों की संख्या, विकास की परिस्थितियाँ, आवासों की स्थिती, आवास के प्रकार एवं सेवा-सुविधाओं की उपलब्धता के साथ-साथ आवासीय क्षेत्रों का कार्य-केन्द्रों के साथ संबंध तथा उनसे उपलब्ध होने वाले पर्यावरण पर नगरवासियों का जीवन निर्भर करता है। अतः आवासीय क्षेत्र में स्थित आवासीय ईकाईयों की वर्तमान परिस्थितियों के अंतर्गत अधिवासी दर आवासीय घनत्व, भवनों की दशा एवं आवासों की कमी आदि महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन किया जाना आवश्यक है।

2-4-1 vkokl h; ?kuRo

आवासीय घनत्व के अध्ययन से नगरीय भूमि के अधिक उपयोग, उच्च अधिवासी दर के कारण बढ़ रही अति संकुलता की समस्या, खुले स्थानों एवं सुविधाओं की आवश्यकता समझने में मदद मिलती है। शुजालपुर नगर पालिका क्षेत्र की आवासीय घनता सारणी 2-सा-3 में दर्शायी गई है:-

'kqt'kyi g % okMZ vud kj vkokl h; ?kuRo

2&l k&3

okMZ Ø-	okMZ dk uke	vkokl h; {ks= %gDVj e%h	tul a; k&2011 %vuøkfur-%	vkokl h; ?kuRo
1	2	3	4	5
1.	अशोक वार्ड	8.87	2273	256
2	जयेशवर वार्ड	7.40	1649	223
3	छत्रपति शिवाजी वार्ड	4.44	2086	470
4	किदवई वार्ड	5.92	2694	455
5	महावीर वार्ड	11.83	1683	142
6	तिलक वार्ड	11.83	2091	177
7	दयानंद वार्ड	10.35	1395	135
8	डा.अम्बेडकर वार्ड	30.50	3685	120
9	मारुति वार्ड	26.62	3009	113
10	महात्मागांधी वार्ड	22.18	3382	152
11	प्रेमचंद वार्ड	27.79	3698	133
12	रामचंद्र चौबे वार्ड	14.80	3105	210
13	जवाहर वार्ड	8.87	3932	443
14	लक्ष्मीबाई वार्ड	26.58	2909	109
15	प्रताप वार्ड	10.35	1474	142
16	अरविंद वार्ड	13.31	2097	158
17	महाराजा अग्रसेन वार्ड	10.35	1281	123
18	मोती वार्ड	8.87	1779	200
19	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड	4.44	1995	449
20	शहीद भगतसिंह वार्ड	10.35	3375	326
21	सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड	10.35	2626	258
	; ksx	286-00	52218	183

L=ks%- नगर पालिका शुजालपुर एवं नगर तथा ग्राम निवश, देवास

उपरोक्त सारणी 2-सा-3 के अवलोकन से ज्ञात होता है, कि शुजालपुर नगर की -2011 (अनुमानित) जनसंख्या अनुसार औसत आवासीय घनत्व 183 व्यक्ति प्रति हेक्टर है, वर्तमान में नगर में सबसे अधिक आवासीय घनत्व 470 व्यक्ति प्रति हेक्टर, वार्ड क्रमांक 03 में है, जबकि सबसे कम 109 व्यक्ति वार्ड क्र 14 में है। उक्त सारणी में वर्णित वार्ड वार घनत्व से यह भी स्पष्ट होता है, कि नगर में पुरानी बस्ती क्षेत्र में अधिकतम आवासीय घनत्व पाया गया है, जबकि बाह्य क्षेत्र में कम है।

2-4-2 vkokl h; Hkouka dk Lokfero

नगर पालिका से प्राप्त जानकारी अनुसार नगर में लगभग 40 प्रतिशत लोग स्वयं के भवनों में निवास करते हैं, जबकि शेष 60 प्रतिशत व्यक्ति किराये के एवं शासकीय भवनों में निवास करते हैं।

2-4-3 vf/kokl h nj

जनगणना-2011 के अनुसार नगर में अधिवासी दर अर्थात् प्रति आवास व्यक्तियों की संख्या औसतन 5.41 है जबकि औसत परिवार का आकार 4.8 आता है। उक्त आंकड़ें परिवार के बड़े आकार एवं नगर में आवास की कमी दर्शाता है।

2-4-4 I j̄pukRed fLFkfr

नगर में वर्तमान में लगभग 65 प्रतिशत पक्के 15 प्रतिशत अर्द्ध पक्के तथा 20 प्रतिशत कच्चे मकान निर्मित हैं। नगर में पुरानी बस्ती स्थित (सिटी एरिया) वार्ड क्र.-5 एवं 6 तथा समस्त गंदी बस्ती क्षेत्रों में मकानों की दशा दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। नगर में विकसित नवीन आबादी क्षेत्र में पक्के आवासों की अधिकता है।

2-4-5 xanh cLr; ka , oa >dxh@>ksi Mh

ऐसे क्षेत्र जहां मानव बसाहट के लिए आवश्यक मूलभूत सेवा सुविधाओं का अभाव, मकानों की दशा दयनीय स्थिति में हो तथा जहां उपयुक्त पर्यावरण उपलब्ध न हो वे गंदी बस्ती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नगर पालिका शुजालपुर द्वारा वार्ड क्र. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, तथा 21 गंदी बस्ती वार्ड घोषित किये गये हैं, इनमें लगभग 39,683 व्यक्ति निवास करते हैं। नगर में गंदी बस्ती/झुग्गी-झोपड़ियां 23.85 हेक्टर क्षेत्र पर निर्मित हैं।

'kqtkyig %xanh cLrh

2&l k&4

vuq Ø-	okMZ Øekad	xanh cLrh@okMZ dk uke	xanh cLrh dh tul a; k-
1	2	3	4
1	1	1	2,223
2	2	2	1,641
3	3	3	2,086
4	4	4	2,644
5	7	7	1,375
6	8	8	3,605
7	9	9	2,932

वृत्त क्र.	वार्ड क्र.	वार्ड का नाम	जनसंख्या
1	2	3	4
8	10	10	3,342
9	11	11	2,168
10	12	12	768
11	13	13	2,428
12	14	14	2,909
13	16	16	1,997
14	18	18	1,719
15	19	19	1,995
16	20	20	3,325
17	21	21	2,526
		कुल	39,683

तालिका-1 नगर पालिका परिषद

2-4-6 वार्डों का विवरण

नगरीय क्षेत्रों में आवास गृहों की कमी एक ज्वलंत समस्या बन गई है। यह समस्या इसलिए निर्मित हुई है, कि नगरों की जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ती जाती है, उस अनुपात में नये मकान नहीं बन पाते हैं। इस प्रकार वास्तविक आवश्यकता की तुलना में मकानों की कमी निरंतर बढ़ती जा रही है। नगर में मकानों की कमी के संबंध में अध्ययन से ज्ञात होता है, कि जनसंख्या के अनुपात में मकानों की उपलब्धता कम होने से मकानों का उपविभाजन होने से आवासीय घनत्व भी बढ़ा है।

वर्ष-2011 की जनगणना (अनुमानित) आंकड़ों के अनुसार शुजालपुर नगर की जनसंख्या 52218 है तथा मकानों की संख्या 9651 है। इन आंकड़ों से यह ज्ञात होता है, कि प्रति आवासीय मकान में 5.41 व्यक्ति निवास करते हैं। वर्ष 2011 में कुल परिवारों की संख्या 10800 है। अर्थात् परिवार का औसत आकार लगभग 4.8 है। इस मान से शुजालपुर नगर में वर्ष 2011 में कुल 1785 मकानों की कमी है। मकानों की कमी का विस्तृत विवरण सारणी 2-सा-5 में दिया गया है:-

'kqtkyi j % vkokl h; b'zkbz; ka dh deh

2&l k&5

Ø-	fooj .k	l a ; k
1	2	3
1	वर्ष-2011 में जनसंख्या	52218
2	परिवार का औसत आकार 4.5 मानने पर आवश्यक ईकाईयां	10993
3	जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उपलब्ध आवासीय ईकाईयां	9651
4	2011 तक शेष पूर्ति	1342
5	अनुपयुक्त आवास-1785 (अ) गंदी बस्ती/झुग्गी झोपड़ी पुर्ननिर्माण प्रतिशत 80 प्रतिशत (ब) कच्चे एवं जर्जर मकान 1850 का पुर्ननिर्माण प्रतिशत 10 प्रतिशत	1600 185
	; ks% dy vkokl h; b'zkbz; ka dh deh	¼/\$c½ 1785

L=ks-%& जनगणना-2011

2-5 okf. kFT; d

नगर में वाणिज्यिक गतिविधियों के मुख्य केन्द्र मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी प्रागण 1 एवं प्रागण- 2 तथा 3, सिटी में रामपुर रोड पर कृषि उपज मण्डी, अकोदिया मार्ग का हरियाली बाजार, महात्मा गांधी मार्ग, लोहिया मार्ग, शास्त्री मार्ग, किदवई मार्ग, पटेल मार्ग, सदर बाजार, बड़ा बाजार, सीटी रोड, रामेश्वर मार्ग, कात्यायनी मार्ग, तिपोलिया बाजार मार्ग तथा रामपुर रोड पर वाणिज्यिक गतिविधियां प्रचलित है। इन्ही स्थलों पर यहां का थोक एवं फुटकर व्यापार संचालित है। भूमि उपयोग वर्गीकरण के अनुसार वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत 36.76 हेक्टर भूमि सम्मिलित है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 6.39 प्रतिशत है।

1- QWdj cktkj

वर्तमान में नगर के सभी मुख्य मार्गों, मध्यवर्ती क्षेत्र के मार्गों (पुरानी सीटी) रामपुर मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग, पर विभिन्न प्रकार की मिश्रित वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित है। विशेष रूप से किराना, होजरी, रेडीमेड, कपडा, जनरल स्टोर्स, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रानिक सामान, सामान्य उपयोग की वस्तुएं, बैंक, बर्तन, दवाईयां, सब्जियां तथा कबाड़ी बाजार आदि।

2- Fkkd cktkj

नगर में थोक व्यापार का मुख्य केन्द्र कृषि उपज मंडी, सब्जी मण्डी तथा सदर बाजार है। यहां पर थोक एवं फुटकर व्यापार साथ-साथ संचालित होता है। इन क्षेत्रों में माल के आवागमन तथा ट्रको एवं माल वाहनों से लोडिंग एवं अनलोडिंग के कारण आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है तथा मण्डी प्रागण को छोड़कर पार्किंग हेतु स्थान उपलब्ध न होने से आवागमन की समस्या

और जटिल हो जाती है। अतः विकास योजना में कुछ विशिष्ट थोक बाजारों हेतु पृथक से स्थान का प्रावधान करना आवश्यक है।

3- fdjkuk cktkj

वर्तमान में अनाज दालें, खाद्य पदार्थ, तथा सूखे मेवों से संबंधित बाजार सिटी रोड एम.जी.रोड, मण्डी रोड, सदर बाजार, बड़ा बाजार, तिपोलिया बाजार, लोहिया मार्ग तथा सिविल अस्पताल के पीछे स्थित है, यहां पर मार्गों पर ही माल की लोडिंग-अन लोडिंग की जाती है, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती है।

4- l lth e.Mh , oa Qy cktkj

वर्तमान में सब्जी एवं फल बाजार पुरानी सीटी में एम.जी.रोड, सिविल अस्पताल, सीटी बस स्टैण्ड, मण्डी, बस स्टैण्ड, सिविल अस्पताल तथा मण्डी क्षेत्र में लगता है, जहां हाथ डेलो पर फल विक्रय किया जाता है।

5- i 'kp/k xg , oa eVu ekdW

वर्तमान में यह गतिविधियां बस स्टैण्ड के पीछे, तथा छुट-पूट रूप में सिटी क्षेत्र में काजीपुरा क्षेत्र में संचालित हो रही है। विकास योजना में इसके लिए यथोचित स्थल पर स्थान का प्रावधान किया जाना उचित होगा।

6- ; krk; kr uxj , oa vxdk.k vfhkdj .k

नगर में वर्तमान में यातायात नगर नहीं है, जिसके कारण समस्त प्रमुख मार्गों के किनारे, मंडी मार्ग, आष्टा-पचौर मार्ग, एम.जी.रोड, लोहिया मार्ग तथा मण्डी प्रांगण पर संचालित होती है तथा ट्रको की पार्किंग मार्गों के किनारे की जाती है, जो यातायात में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। अतः विकास योजना में यातायात नगर के लिए स्थान का प्रावधान किया जाकर समस्त अग्रेषण अभिकरणों को स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है।

7- df'k mi t e.Mh

नगर में स्थित कृषि उपज मण्डी प्रथम श्रेणी की मंडी है। यहां कृषि उपज मंडी के चार प्रांगण हैं, जिनमें से 3 प्रांगण मण्डी क्षेत्र में लोहिया मार्ग तथा एक प्रांगण सिटी क्षेत्र में रामपुर रोड पर स्थित है। तीनों मण्डी प्रांगणों का कुल क्षेत्रफल 21.0 हेक्टर है। यहां पर कृषि उपजों का थोक व्यापार होता है, जिसके कारण ट्रकों एवं अन्य मालवाहनों के आवागमन की बहुलता रहती है। सिटी क्षेत्र स्थित प्रांगण तथा मण्डी क्षेत्र स्थित मण्डी प्रांगणों के क्षेत्रफल बढ़ाने की आवश्यकता है।

8- Hkou fuekZk l kexh , oa ykgk cktkj

नगर में यह बाजार आष्टा-पचौर मार्ग, नई सड़क तथा रेलवे स्टेशन के निकट संचालित होता है। इस व्यस्त मार्गों पर माल लदान-उतार तथा लाने ले जाने में सुगम यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है। विकास योजना में इस उपयोग हेतु भूमि का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

2-7-1 'kqkf.kd

शुजालपुर नगर में 14 प्राथमिक भाला, 4-माध्यमिक विद्यालय, 4-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थित है। इस प्रकार नगर में कुल 22 शैक्षणिक संस्थाएं संचालित हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त शुजालपुर नगर में एक स्नाकोत्तर महाविद्यालय, स्थित है, जिसमें कला, वाणिज्यिक, विज्ञान आदि संकायों की शिक्षा प्रदान की जाती है। महाविद्यालय परिसर के पास ही वी.टी. आदि संस्थान हैं, जहां पर शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है। तकनीकी शिक्षा हेतु शासकीय प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी नगर में वार्ड क्र. 02 में संचालित है। नगर में संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थानों के वर्तमान स्थल को उपयुक्त पाया गया है।

2-7-2 LokLF;

शुजालपुर नगर में 104 बिस्तर वाले दो शासकीय अस्पताल हैं, जिसमें सामान्य रोगों के अतिरिक्त टी.बी. जैसे संक्रामक रोगों की चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त नगर में तीन प्रसूती गृह, 4-नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल तथा अन्य क्लिनिक, 2-औषधालय (1-1 शासकीय तथा निजी), 15 बिस्तर क्षमता का सुराना नर्सिंग होम मण्डी क्षेत्र में स्थित है, साथ ही यहां एक अनाथालय/वृद्धाश्रम भी संचालित है।

नगर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी भी शुजालपुर नगर में उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं पर आश्रित हैं। विशिष्ट एवं संक्रामक रोगों की चिकित्सा हेतु यहां अलग से कोई अस्पताल नहीं है। अतः रोगियों को उक्त कार्य हेतु इन्दौर तथा उज्जैन पर आश्रित रहना पड़ता है। यहां स्थित दोनों शासकीय तथा एक प्राइवेट नर्सिंग होम में आई.सी.यू.की सुविधा उपलब्ध है। शुजालपुर नगर में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी सारणी 2-सा-7 में दी गई है

'kqtkyig %orëku LokLF; | fo/kk, a

2&l k&7

Ø-	fpfdRI ky; dk uke	orëku LFky	fpfdRI k fcLrjk dh l a; k
1	2	3	4
1	शासकीय चिकित्सालय (सिटी)	आष्टा-पचोर मार्ग, निकट तहसील कार्यालय	76
2	शासकीय चिकित्सालय (मंडी)	शास्त्री मार्ग	28
3	सूराना नर्सिंग होम	मण्डी क्षेत्र	15
4	प्रसूति गृह/नर्सिंग होम (2)	मण्डी क्षेत्र	14
5	औषधालय		—
		योग:	133

L=kq%& स्वास्थ्य विभाग, शुजालपुर

2-7-3 i 'kq fpdfRI ky;

नगर में एम.जी.रोड पर पशु चिकित्सालय स्थित है, जो नगर/ग्रामीण क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, परंतु यहां अत्याधुनिक सुविधाओं की कमी है। अतः पशु चिकित्सालय का आधुनिक सुविधाओं के साथ उन्नयन आवश्यक है।

2-7-4 dk; kly;

शुजालपुर तहसील मुख्यालय के कारण यहां तहसील स्तर के सभी शासकीय, अर्द्ध शासकीय तथा स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय कार्यरत हैं। तहसील कार्यालय, न्यायालय, नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग, पोस्टआफिस/टेलीफोन आफिस, जेल विभाग, जेल रोड, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, विकास खण्ड, पशु चिकित्सा विभाग, वन विभाग, एम.पी.ई.बी., बैंक, कृषि विभाग, के कार्यालय एम.जी. रोड, वेयर हाउस कार्पोरेशन, मंडी कार्यालय मंडी क्षेत्र, आई.टी.आई. आष्टा मार्ग तथा रेलवे विभाग के कार्यालय, रेलवे परिसर में लगते हैं। सभी कार्यालयों के पास शासकीय भवन नहीं होने से कुछ कार्यालय किराये के भवनों में भी लगते हैं, जिससे उनकी कार्य क्षमता में कमी आने के साथ जनता को भी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में आने-जाने में असुविधा होती है। वाहन पार्किंग एवं सामान्य यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः कार्यालयीन कार्य-कलापों को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना में एक संगठित प्रशासनिक क्षेत्र का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

2-7-5 I kekftd , oa I kldfrd

सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां नागरिकों के जीवन स्तर को उन्नत करने के साथ-साथ जन मानस में आपसी मेल-मिलाप एवं भावनात्मक एकता उत्पन्न करती है। नगर में वर्तमान में टाउन हाल, कम्यूनिटी सेंटर, सभा भवन, क्लब, पुस्तकालय एवं वाचनालय, मेला मैदान स्थित हैं, इसके अतिरिक्त नगर में जटाशंकर शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, राम मंदिर, जैन मंदिर, दुर्गा मंदिर, देवी मंदिर, भीमपुरा मस्जिद, कन्या हायर सेकेण्ड्री स्कूल के पास की मस्जिद, ईदगाह भी धार्मिक सांस्कृतिक परम्पराओं एवं भाई चारे के केन्द्र हैं।

2-7-6 vkekn&i ekn

स्वास्थ्यप्रद नगरीय जीवन के लिए स्वस्थ पर्यावरण का होना आवश्यक है। इस हेतु उद्यान, खेल मैदान, पिकनिक स्थल, जल-क्रीड़ा के लिए जलाशयों का विकास जैसी मनोरंजन की सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। नगर में आमोद-प्रमोद के अंतर्गत 4.63 हेक्टर भूमि उपलब्ध है, जो कि कुल विकसित क्षेत्रफल का 0.80 प्रतिशत है।

1/2 i kd@m | ku

नगर में मुख्य रूप से तीन पार्क/उद्यान नगर पालिका द्वारा विकसित हो कर संचालित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

'kqt ky i g % i kdZ , oa m | ku

Ø-	i kdZ dk uke	LFky
1	2	3
1	नगर पालिका उद्यान	एम.जी.रोड
2	लक्ष्मीबाई पार्क	सिटी रोड
3	ब्रजनगर पार्क	ब्रजनगर कालोनी

¼½ [ky eñku

नगर में खेल गतिविधियों के लिए स्टेडियम अकोदिया मार्ग पर स्थित है तथा अन्य खेल के मैदान महाविद्यालय परिसर उत्कृष्ट विद्यालय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध है। विकास योजना में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए समुचित स्थल, जल क्रीड़ा केन्द्र, स्वीमिंग पूल, पिकनिक केन्द्र हेतु भूमि का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

¼½ esyk eñku

नगर में एम.जी.रोड पर एम.पी.ई.बी. कालोनी के सामने नगर पालिका द्वारा मेला मैदान के लिए भूमि आरक्षित की है एवं रानोजी सिंधिया की छत्री नेवज नदी के किनारे आज भी स्थित है। चैत्रसुदी पंचमी व शिवरात्री को यहां प्रत्येक वर्ष मेला लगता है।

2-8 ; krk; kr , oa i fjogu

नगर में यातायात एवं परिवहन उपयोग के अंतर्गत 136.34 हेक्टर भूमि आती है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 23.72 प्रतिशत है। इस उपयोग के अंतर्गत क्षेत्रीय मार्ग, मुख्य मार्ग, स्थानीय मार्ग, बस स्टैण्ड, पार्किंग स्थल एवं अन्य यातायात एवं परिवहन गतिविधियां सम्मिलित है। विकास योजना में दक्ष एवं सुचारू यातायात के लिए परिभ्रमण संरचना का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

2-9 vl ær Hkfe mi ; ksx

भूमि उपयोग का विस्तृत सर्वेक्षण तथा नगर में यातायात एवं आवासीय परिस्थितियों आदि के संबंध में अध्ययन करने पर पाया गया कि नगर के कुछ वर्तमान भूमि उपयोग/गतिविधियों में असामंजस्यता रखने, पर्यावरण तथा यातायात संबंधी समस्याओं के कारण असंगत भूमि उपयोग के रूप में चिन्हित किया गया है। इन भूमि उपयोगों को अन्यत्र स्थानांतरित करना आवश्यक हो जाता है।

अतः इन भूमि उपयोगों को, जिन स्थानों पर सुगम पहुंच तथा विस्तार हेतु स्थान उपलब्ध हो, ऐसी जगह स्थानांतरित एवं प्रस्तावित किया जाना होगा तथा उससे जो स्थान रिक्त होंगे, उन्हें विकास योजना प्रस्ताव में अनुकूल एवं असंगत उपयोगों हेतु प्रस्तावित किया जावेगा। सारणी 2-सा-8 में असंगत भूमि उपयोगों का विवरण दिया गया है।

'kqtkyij % vl ær Hkøfe mi ; ksx

2&I k&8

Ø-	mi ; ksx dk o.ku	orøku fLFkfr	LFkkukarj.k dk dkj.k
1	2	3	4
1	मछली एवं मीट मार्केट	सिटी बस स्टैण्ड के पीछे एवं नगर के अन्य स्थानों पर	पर्यावरणीय समस्या
2	आरा मशीन	बाल्मिकपुरा के सामने मंडी रोड तथा अम्बेडकर पार्क के सामने	पर्यावरणीय समस्या
3	तेल मिल	पुराने ठेके के पास डाबरीपुरा	यातायात एवं घनी आबादी क्षेत्र में प्रदूषणकारी

L=ksr %& नगर तथा ग्राम निवेश का सर्वेक्षण

v/; k; &3

orleku i fjHkæ.k l ĵ puk , oa uxjh; v/kksl ĵ puk

किसी भी नगर की परिभ्रमण संरचना तथा नगरीय अधोसंरचना की उपलब्धता नगर की आर्थिक एवं सामाजिक सम्पन्नता को प्रकट करती है। नगर के बढ़ते हुए स्वरूप एवं आकार के कारण यातायात एवं परिवहन की सक्षम प्रणाली की आवश्यकता के साथ-साथ नगरवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सक्षम नगरीय अधोसंरचना तंत्र प्रथम आवश्यकता होती है। अतः नगर के नियोजित एवं विकास हेतु वर्तमान परिभ्रमण संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। नगर की परिभ्रमण, संरचना, यातायात का स्वरूप, यातायात की मात्रा, मार्ग क्षमता, समय-गति एवं दूरी इत्यादि को निर्धारित करती है, वही नगरीय अधोसंरचना के विभिन्न कारक नगरीय जीवन के स्तर का निर्धारण करते हैं।

3-1 {ks=h; i fjHkæ.k l ĵ puk

नगर में माल एवं यात्री यातायात सड़क एवं रेलमार्ग द्वारा सम्पन्न होता है। यह नगर राज मार्ग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 3 के माध्यम से आगरा, नई दिल्ली, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, मुम्बई, इन्दौर तथा अन्य जिला मार्गों द्वारा अकोदिया एवं शाजापुर आदि से जुड़ा है। रेल मार्ग द्वारा यह नगर भोपाल, जबलपुर, इलाहाबाद, पटना, कोलकाता, इन्दौर, मुम्बई, जयपुर, नई दिल्ली, अमृतसर तथा दक्षिण भारत के प्रमुख नगरों से जुड़ा है। नगर में वायुयान सेवा उपलब्ध नहीं है। निकटतम विमान तल राजधानी भोपाल में है।

3-1-1 {ks=h; ; krk; kr ¼; k=h½

यह नगर क्षेत्रीय मार्ग एस.एच.-41 एवं जिला मार्गों द्वारा विभिन्न नगरों से जुड़ा है। वर्तमान में राज्य में सड़क परिवहन का भी निजीकरण होने के कारण शुजालपुर से निजी बस आपरेटर्स यूनियन द्वारा विभिन्न मार्गों पर 78 बसों द्वारा आवागमन तथा प्रस्थान संचालित होता है, जिसकी जानकारी सरणी 3-सा-1 में दर्शायी गई है:-

'kqtkyi j % {ks=h; ; krk; kr ¼cl ½

3&l k&1

Ø-	ekxl dk uke	vkokxeu	cfgxleu	diy ; ksx
1	2	3	4	5
1	शुजालपुर-पचौर रोड	20	20	40
2	शुजालपुर-सारंगपुर रोड	20	20	40
3	शुजालपुर-आष्टा-भोपाल रोड	15	15	30
4	शुजालपुर-सीहोर रोड	18	18	36
5	शुजालपुर-अकोदिया	05	05	10
	; ksx%&	78	78	156

L=kr%& निजी बस आपरेटर्स युनियन शुजालपुर

3-1-2 {ks=h; ; krk; kr %eky½

क्षेत्रीय माल यातायात का परिमाण नगर की आर्थिक स्थिति का परिचायक होता है। शुजालपुर क्षेत्र कृषि उत्पाद की दृष्टि से बहुत सम्पन्न है, जिसके कारण यहां माल यातायात की अधिकता रहती है।

वर्तमान में रेल मार्ग की तुलना में ट्रकों द्वारा अधिक माल की आवक जावक होने से ट्रक यातायात का अपना विशेष स्थान है। शुजालपुर में एक ही मुख्य मार्ग आष्टा-पचौर मार्ग है, जो नगर के आबादी के मध्य से गुजरने के कारण नगरीय एवं क्षेत्रीय यातायात की दृष्टि से अत्यंत व्यस्त रहता है। अतः क्षेत्रीय यातायात हेतु एक बायपास मार्ग का प्रावधान विकास योजना में किया जाना आवश्यक है।

3-1-3 {ks=h; ; krk; kr jsy %; k=h , oa eky½

रेल मार्ग द्वारा भी यहां यात्री एवं माल यातायात होता है। क्षेत्रीय परिभ्रमण की दृष्टि से यहां से उज्जैन तथा भोपाल के लिए यात्री यातायात की बहुलता होकर शुजालपुर मध्य रेलवे के नागदा-भोपाल खण्ड का महत्वपूर्ण स्टेशन है।

3-2 uxjh; i fjHkē.k l j puk

नगर के मध्य से गुजरने वाला आष्टा-पचौर मार्ग एम.जी.रोड (मण्डी मार्ग) नगर का प्रमुख मार्ग होकर नगर की वाणिज्यिक तथा अन्य गतिविधियों का केन्द्र है, जिन पर क्षेत्रीय एवं नगरीय यातायात का दबाव बना रहता है। ये मार्ग मुख्यतः नगर के आंतरिक यातायात को वहन करते हैं। इन मार्गों से ही नगर के अन्य नगरीय मार्ग लिंक हैं, जिनका नगर के आंतरिक यातायात में योगदान है, जो निम्नानुसार है:-

- (1) रेलवे स्टेशन मार्ग
- (2) लोहिया मार्ग
- (3) एम.जी.रोड (मंडी मार्ग)
- (4) अकोदिया मार्ग
- (5) रामानंद मार्ग
- (6) जेलरोड
- (7) दांडेकर शास्त्री मार्ग
- (8) कन्याशाला मार्ग

नगर में भारी वाहनों के आवागमन का दबाव आष्टा-पचौर मार्ग पर रहता है, जिससे मार्ग पर यातायात में अवरोध एवं दुर्घटनाएं होती हैं। नगर के उपरोक्त मार्ग काफी संकरे हैं, जिन पर सदैव

भीड़-भाड़ जैसी स्थिति बनी रहती है। अतः नगर के वर्तमान एवं भावी आंतरिक यातायात को दृष्टिगत इन मार्गों की चौड़ाई बढ़ाने के प्रावधान विकास योजना में किया जाना आवश्यक है।

3-2-1 ; krk; kr mfnr dlnz

शुजालपुर नगर राज्य के सभी प्रमुख नगरों से एवं देश के महत्वपूर्ण स्थानों से रेलमार्ग व सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिये यात्री एवं माल यातायात नगर में निम्न मुख्य क्षेत्रों में अधिकांशतः उदित होता है:-

- (1) रेलवे स्टेशन (माल एवं यात्री)
- (2) कृषि उपज मंडी (मंडी क्षेत्र, एवं सिटी)
- (3) बस स्टैण्ड (एम.जी.रोड तथा सिटी)
- (4) किसान केन्द्र
- (5) तहसील एवं नगर पालिका कार्यालय
- (6) सिविल अस्पताल (सिटी एवं मंडी क्षेत्र)
- (7) बड़ा बाजार (सिटी)

3-2-2- ; krk; kr vol ku dlnz

नगर के मुख्य यातायात अवसान केन्द्र, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, कृषि उपज मंडी, गोदामों, किसान केन्द्र तथा मुख्य मार्ग के किनारे इत्यादि है।

नगर में ट्रक स्थानक अथवा यातायात नगर नहीं होने से मार्गों के किनारे माल लदान तथा उतराने का कार्य किया जाता है, जिससे नगर का सुगम यातायात प्रभावित होता है। अतः उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए विकास योजना में यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर के लिए स्थल सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

3-3 i fjogu ds l k/ku

शुजालपुर नगर में भी अन्य नगरों की भांति तीव्र एवं मंदगति वाहनों के लिए अलग-अलग मार्ग व्यवस्था नहीं है। इस कारण मिश्रित यातायात, मार्गों की वास्तविक यातायात वहन क्षमता को प्रभावित करता है। नगर में यात्री यातायात हेतु कार, जीप, स्कूटर, टेम्पों, मोटर सायकल, आटो रिक्शा, सायकल मिनी बस आदि का उपयोग किया जाता है, जबकि माल दुलाई हेतु हाथ ठेला, मिनी ट्रक, बैलगाड़ी, आटो रिक्शा, टेम्पों बहुतायात में प्रयुक्त होते हैं। नगर में तीव्रगति वाहनों में तेजी से वृद्धि हो रही है। अतः विकास योजना में तीव्रगति वाहनों एवं मंदगति वाहनों हेतु अलग-अलग आवागमन की व्यवस्था पर विचार किया जाना उचित होगा।

3-4 ; krk; kr l eL; k, a

नगरीय जनसंख्या, व्यापार-वाणिज्यिक, शैक्षणिक गतिविधियों के कारण वाहन यातायात तथा परिवहन गतिविधियों के कारण वाहन यातायात एवं परिवहन में वृद्धि होने से नगर में उपलब्ध परिभ्रमण

तंत्र पर वहन क्षमता से अधिक दबाव के कारण अनेक यातायात संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

3-4-1 ; krk; kr l dnyrk

शुजालपुर सिटी के मध्यवर्ती क्षेत्र के मार्गों पर तथा मंडी क्षेत्र में रेल्वे स्टेशन मार्ग से मण्डी की ओर जाने वाले मार्ग तथा अकोदिया तिराहे पर सबसे अधिक संकुलता पाई गयी है। वाणिज्यिक मार्गों पर वाहन विराम की भी उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। फुटपाथ एवं चल-खेरची दुकानों ने मार्गों की चौड़ाई को बहुत प्रभावित किया है। सिटी क्षेत्र के समस्त मार्गों पर मार्ग संकुलता की स्थिति निर्मित है। नगर में वाहन विराम हेतु स्थलों का चयन तथा उचित यातायात प्रबन्धन की आवश्यकता है। नगर के प्रमुख मार्गों की पूरी लम्बाई एवं चौड़ाई नहीं है। ये कहीं कम है, तो कहीं अधिक है, जिसके कारण यहां एक ओर यातायात में व्यवधान होता है, वहीं दूसरी ओर दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है।

3-4-2 vxE; {ks=

सिटी क्षेत्र के पुराने आवासीय एवं आवासीय-सह-वाणिज्यिक क्षेत्रों जैसे बडा बाजार, काजीपुरा, मिर्जावाडी, कुदालपुरा, डाबरीपुरा, पाटनीपुरा, तम्बोलीपुरा, भीमपुरा, बनियासेरी, नेमासेरी, मंडी क्षेत्र में गणेश मंदिर मार्ग एवं मानजी भाई मार्ग के बीच की बसाहट में संकीर्ण मार्गों वाले अगम्य क्षेत्रों में आपात काल में चिकित्सा एवं अग्निशमन, वाहनों की पहुंच संभव नहीं होती है। ऐसे क्षेत्रों के मार्गों एवं गलियों की चौड़ाई उपलब्धता के आधार पर बढ़ाई जाने के प्रस्ताव विकास योजना में दिया जाना आवश्यक है। इन क्षेत्रों में स्थाई अतिक्रमणों ने भी इन समस्याओं को बढ़ाया है।

3-4-3 nqk/Wuk LFky

नगर में स्थित कई मार्ग तकनीकी दृष्टि से त्रुटिपूर्ण मार्ग संगम एवं मार्गों की संकीर्णता तथा वाहन यातायात की अधिकता के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। नगर के मध्य गुजरने वाले मुख्य मार्ग आष्टा-पचोर मार्ग पर ही यातायात का एक तरफा दबाव रहता है। इस मार्ग पर अकोदिया रोड तिराहा, सिटी बस स्टेण्ड तिराहा, जेल रोड तिराहा, रामपुरा रोड तिराहा, सदर बाजार तिराहा मार्ग संगम ज्यामितीय रूप से दोषपूर्ण है। जिसके कारण मुख्य मार्ग के इन स्थलों पर दुर्घटना घटती रहती है। साथ ही मंडी क्षेत्र, में मंडी मार्ग बहुत संकरा है यहां पर मंडी से माल लाने-ले जाने के लिए भारी वाहनों का आवागमन होने के कारण यातायात दुर्घटना होती रहती है। नगर में यातायात के परिमाण में वृद्धि के कारण दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। यातायात दुर्घटना में ट्रक, बस, टेक्टर, जीप-कार, स्कूटर, जैसे तीव्र गति वाहन संलग्न पाये गये हैं। अतः माल वाहक वाहन यातायात को भाहरी क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए विकास योजना में एक बायपास मार्ग का प्रावधान किया जाना आवश्यक है साथ ही दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु मार्ग संगम चौराहों एवं तिराहों का नियोजित विकास तथा मार्गों की चौड़ाई को बढ़ाया जाना आवश्यक है।

3-4-4 okgu fojke LFky

नगर में वाहनों के पार्किंग हेतु नियोजित पार्किंग केन्द्रों के लिए स्थल उपलब्ध नहीं है। मुख्य मार्गों के किनारे अस्त-व्यस्त रूप से वाहन पार्क किये जाते हैं, जिससे वाहन आवागमन हेतु मार्ग चौड़ाई कम उपलब्ध होने से यातायात अवरुद्ध होता है। अतः नगरीय क्षेत्र में विभिन्न गतिविधि/केन्द्रों पर पार्किंग की व्यवस्था मार्ग चौड़ीकरण के साथ किया जाना आवश्यक है।

3-5 orëku ekxkã dh pksMkbZ

'kqtkyi j % orëku i æqk ekxkã dh pksMkbZ

3&1 k&2

Ø-	ekxZ dk uke	orëku ekxZ pksMkbZ %ehVj e%	
		l; ure	vf/kdre
1	2	3	4
1	एम.जी.रोड	15	18
2	सिटी रोड	24	30
3	अकोदिया रोड	24	30
4	सदर बाजार रोड	7.5	12
5	जेल रोड	09	15
6	हनुमान मंदिर मार्ग	7.5	12
7	जटाशंकर मार्ग	09	12
8	रायपुर रोड मुख्य मार्ग से मण्डी गेट तक	09	12
9	रायपुर रोड मण्डी गेट से रायपुर की ओर	12	18
10	आष्टा मार्ग – (अ) रेल्वे फाटक से फ्रिंगज तक – (ब) फ्रिंगज से आष्टा की ओर	15	18
		24	30
11	पचोर मार्ग	24	30
12	पचोर मुख्य मार्ग से ताजपुर उकाला एवं अख्तार पुरा	15	18
13	कमल्या बायपास रोड– (अ)–रेल्वे फाटक से आष्टा की ओर (ब)– सिटी मुख्य मार्ग से रेल्वे फाटक	18	24
		09	12
14	आष्टा मुख्य मार्ग से किसोनी ग्राम मार्ग	12	18
15	अकोदिया मुख्य मार्ग से नांदासुर ग्राम मार्ग	12	18
16	कृषि उपज मण्डी से भीलखेड़ी मार्ग	12	18

3-6 uxjh; v/kkd jpk

नगरीय विकास से संबंधित गतिविधियों में सेवाएं एवं सुविधाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नगरीय विकास एवं जनसंख्या दबाव का नगरीय अधोसंरचना, जैसे जल-प्रदाय, जल-मल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, विद्युत व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ता है। जब तक किसी भी नगर की अधोसंरचना विकसित नहीं होती, तब-तक उस नगर का आर्थिक एवं सामाजिक विकास संभव नहीं है। नगर में उपलब्ध अधोसंरचना एवं सेवा-सुविधाओं संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:-

3-6-1 ty ink;

शुजालपुर नगर का प्रमुख जलस्रोत निवेश-क्षेत्र के अंतर्गत प्रवाहित नेवज नदी है। ग्राम नांदासुरा में नगर पालिका द्वारा नेवज नदी पर इन्टेकवेल का निर्माण किया गया है, जहां पानी लिफ्ट कर जलशुद्धि केन्द्र तक लाया जाता है। जल शुद्धि केन्द्र की कुल क्षमता 4.0 एम.एल.डी है। नेवज नदी के अतिरिक्त 12 ट्यूबवेल 37 हेंडपंप तथा 34 कुओं से भी जल-प्रदाय किया जाता है। नगर में नगर पालिका द्वारा वर्तमान में लगभग 2.0 एम.एल.डी.पानी की पूर्ति की जाती है तथा 6 ओव्हरहेड टैंको, जिनकी क्षमता 1.966 एम.एल.डी है, द्वारा नगर में पाईप लाईन द्वारा जल वितरण किया जाता है। नगर पालिका द्वारा नगर में 5267 व्यक्तिगत जल स्रोतों की व्यवस्था की गयी है, जिनमें 5095 घरेलू तथा 172 वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत आते हैं। नगर में वर्तमान में 40 ली.प्रति व्यक्ति के मान से सप्ताह में 6 दिन जल-प्रदाय किया जाता है, जो राष्ट्रीय मानक 135 लीटर प्रति व्यक्ति के मानक से बहुत ही कम है। नगर में राष्ट्रीय मानक अनुसार 7.34 एम.एल.डी.पानी की आवश्यकता है, परंतु पूर्ति कम होने से वर्ष भर पानी का संकट रहता है। नगर में ग्रीष्म ऋतु में पानी की ज्वलंत समस्या रहती है।

नगर में भावी जल आपूर्ति की समस्या के समाधान हेतु नगर पालिका द्वारा यू.आई.टी.एस.एम.टी. योजना के तहत 12.75 एम.एल.डी. जलापूर्ति हेतु 1,727.00 लाख रूपयों की परियोजना तैयार कर शासन से स्वीकृति प्राप्त की है, जो क्रियान्वयनाधीन है।

1/2 ty&ey fudkl

प्रदेश के अन्य नगरों की भांति शुजालपुर में भी भूमिगत जल-मल प्रवाह की व्यवस्था नहीं है। नगर में 60 (अधिकांश) आवासीय इकाइयों में व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध है तथा 25 प्रतिशत परिवारों द्वारा सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग किया जाता है, शेष 15 प्रतिशत द्वारा खुले क्षेत्रों में मल त्याग किया जाता है। हाईजिनिक सेप्टिक टैंकों तथा सार्वजनिक शौचालयों तथा खुले शौचालयों का जल मल खुली नालियों द्वारा नगर के मध्य से गुजरने वाली जमधड नदी में प्रवाहित होता है, जिससे नगर में पर्यावरण प्रदूषित होता है। नगर में भूमिगत जल-मल-प्रवाह हेतु रूपये 801.56 लाख की परियोजना यू.आई.टी.एस.एम.टी. योजना के तहत शासन से स्वीकृत हुई है, जिसका क्रियान्वयन होना शेष है।

1/3 ty&fudkl

नगर में 80 प्रतिशत जल प्रवाह नाले/नाली से होता है, जो कि खुले हैं तथा 20 प्रतिशत चैम्बरस ढके हुए हैं, जिनसे वर्षा जल के साथ-साथ नगर का दैनिक जल-मल प्रवाहित होकर

जमधड नदी में मिलता है। जमधड नदी वर्षा जल एवं नगर के गंदे जल-मल को वहन करते हुए आगे नेवज नदी में मिलती है।

¼½ Bkd vif'k"V icU/ku

नगर में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट को संकलित करना तथा उचित स्थल पर डम्प करना स्थानीय संस्था का दायित्व है। वर्तमान में नगर में प्रतिदिन 200 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से लगभग 12.0 टन कचरा निकलता है। ठोस अपशिष्ट घरों, होटलों, अस्पतालों, तथा उद्योगों से निकलता है। नगर में कचरा संकलन की व्यवस्था संगठित नहीं है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। यहां पर लगभग 34 स्थानों पर कचरा फेंका जाता है, जिनमें मंडी क्षेत्र में, रेल्वे स्टेशन के दक्षिण भाग में मुख्यतः डम्प किया जाता है, जिससे आसपास का पर्यावरण प्रदूषित होता है। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के तहत यहां पर राजमार्ग क्रमांक-41 पर सिटी क्षेत्र के उत्तर दिशा में नगर से 5.0 कि.मी.की दूरी पर एक ट्रेचिंग ग्राउण्ड हेतु भूमि का चयन किया गया है। दीर्घ कालीन व्यवस्था के रूप में आधुनिक प्रबन्धन की योजना क्रियान्वित करनी होगी, ताकि ठोस अपशिष्ट का खाद के रूप में कृषि/फलोद्यान, नर्सरी में उपयोग किया जा सकें।

½ fo|r ink;

वर्तमान में नगर में म.प्र. राज्य विद्युत ग्रिड से विद्युत प्रदाय किया जाता है, जो राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से सम्बद्ध है। नगर में एम.जी.रोड पर उच्च शक्तिवाला मुख्य पावर स्टेशन स्थित है, जो 132 के.व्ही. लाईन से जुड़ा है। यहीं से नगर तथा आसपास के क्षेत्र में दो विद्युत उपकेन्द्रों द्वारा विद्युत वितरण किया जाता है। नगर में विद्युत वोल्टेज में कम दबाव के कारण विद्युत प्रदाय में समस्या बनी रहती है। घरेलू, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत विद्युत खपत की जानकारी सारणी 3-सा-3 में दी गई है:-

'kqtkyig %fo|r [ki r

3&l k&3

o"kl	?kjsyw [ki r		okf. kFT; d [ki r		vks kfxd [ki r	
1	2	3	4	5	6	7
2007-08	213.75	439	36.80	74.9	17.54	36.0
2008-09	216.21	437	38.68	80.0	19.00	38.0
2009-10	218.34	434	40.34	80.0	19.45	39.0
2010-11	234.33	449	46.11	88.0	19.38	37.0
2011-12	261.21	488	53.76	100.0	21.69	41.0

L=k%& विद्युत मंडल, शुजालपुर

1/6½ oržeku l ok , oa l fo/kk, a

नगर में उपलब्ध सेवा एवं सुविधाओं की जानकारी सारणी 3-सा-4 में दी गई है:-

'kqtkyig % oržeku l ok , oa l fo/kk, a

3&l k&4

Ø-	l ok l fo/kk, a	bdkbz
1	2	3
(अ)	स्वास्थ्य (1) सिविल अस्पताल (2) श्री जी अस्पताल (3) प्रसूतिगृह नर्सिंग होम (4) पॉलिक्लीनिक्स (5) डिस्पेन्सरी (6) चिकित्सा विस्तार	2 1 3 1 4 12
(ब)	शिक्षा:- (1) नर्सरी एवं प्राथमिक शाला (2) माध्यमिक शाला (3) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (4) महाविद्यालय (5) तकनीकी एवं अन्य	14 4 4 1 1
(स)	सामाजिक एवं सांस्कृतिक:- (1) टाउन हाल (2) सभा भवन (3) क्लब (4) धर्मशाला (5) पुस्तकालय/वाचनालय (6) कम्युनीटी हाल	1 1 1 2 2 1
(द)	आमोद-प्रमोद:- (1)पार्क (2) स्टेडियम (3) छविगृह (4) पिकनिक स्थल	4 1 2 1

Ø-	l ok l fo/kk, a	bdkbz
1	2	3
(ध)	अन्य सुविधाएं :- (1) डाक व तार धर (2) टेलीफोन एक्सचेंज (3) विद्युत उपकेन्द्र (4) पुलिस स्टेशन (5) श्मशान घाट (6) कब्रिस्तान (7) पेट्रोल पम्प (8) अग्निशमन केन्द्र (9) स्लाटर हाउस (10) पशु चिकित्सालय	1 1 2 2 5 7 3 1 1 1

L=kr%& नगर पालिका शुजालपुर

uxj dh Hkkoh vko' ; drk, a , oa i Lrkfor Hkfe mi ; ksx

नगर में वर्तमान में उपलब्ध सेवा-सुविधाएं, आवासों की संख्या, विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत भूमि उपयोग सम्बन्धी वर्तमान समस्याएं तथा विभिन्न क्षेत्रों में कमी आदि की विवेचना एवं विश्लेषण पूर्व अध्यायों में किया जा चुका है।

नगर का भावी स्वरूप, कार्यकलाप तथा जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए भावी आवश्यकताओं को आंकलन निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर किया गया है:-

1. विकास योजना हेतु कालावधि,
2. योजना कालावधि में भावी जनसंख्या अनुमान तथा विभिन्न उपयोगों हेतु भूमि की आवश्यकता का आंकलन,
3. दक्ष यातायात एवं परिवहन व्यवस्था हेतु परिभ्रमण संरचना,
4. नगर की मूलभूत आवश्यकताओं एवं आर्थिक गतिविधियों के संचालन हेतु आवश्यक अधोसंरचना,
5. आवास गृहों की आवश्यकता,
- 6- उन्नत कृषि उत्पाद क्षेत्रों को यथावत कृषि उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित करना,

4-1 uxj ds ierf k dk; byki

1. शुजालपुर कृषि आधारित क्षेत्र होने से यहाँ पर कृषि आधारित तथा कृषि से सम्बन्धित अभियांत्रिकी तथा कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना।
2. खाद्यान्नों, तिलहन तथा दलहन आदि वस्तुओं के संग्रहण, वितरण, परिवहन एवं विपणन की दृष्टि से क्षेत्रीय स्तर पर व्यापारिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र की स्थापना।
3. नगर के आस-पास का ग्रामीण क्षेत्र, प्रशासनिक, शिक्षा एवं सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु शुजालपुर नगर पर ही निर्भर है। अतः शुजालपुर को प्रशासनिक, शिक्षा एवं संस्कृति का उप क्षेत्रीय केन्द्र तथा सुविधा केन्द्र के रूप में विकसित करना।

4-2 ; kst uk dkykof/k

नगर विकास एक सतत प्रक्रिया है तथा इस प्रक्रिया में अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सभी घटकों में कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है। कालावधि के आधार पर नगर की भावी जनसंख्या की आवश्यकताओं आदि को अनुमानित कर नगर का भावी स्वरूप निर्धारित किया जाता है। शुजालपुर नगर के वर्तमान एवं भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना की कालावधि वर्ष 2031 तक निर्धारित की गई है। अतः नगर की भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण उपरोक्त कालावधि हेतु किया जाने के साथ-साथ इसमें दीर्घकालीन आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा गया है।

विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं नगरीय अधोसंरचना के प्रस्ताव केवल विकास योजना कालावधि तक सीमित नहीं रखे जा सकते हैं। चूँकि नगर विकास एक सतत् प्रक्रिया है एवं योजना कालावधि के बाद के नगरीय विकास के लिए आधारभूत संरचना के रूप में उपयोगी सिद्ध होंगे। अतः शुजालपुर विकास योजना के प्रस्ताव योजना कालावधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी विकास योजना के पुनर्विलोकन एवं उपान्तरण होने तक अथवा विकास योजना प्रस्तावों के संतुप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे।

4-3 ; kstuk mnns' ; rFkk y{;

शुजालपुर के संतुलित एवं सुनियोजित विकास को उचित दिशा प्रदान करना ही विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नगर की सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आवश्यकतानुसार निर्धारण कर इनका वितरण कर इस प्रकार सुनिश्चित किया गया है कि नगर वासियों को स्वास्थ्यकर एवं भौतिक परिस्थितियों के अनुकूल अच्छा पर्यावरण उपलब्ध हो सके, शुजालपुर विकास योजना प्रस्तावों में निम्न प्रमुख उद्देश्यों को दृष्टिगत रखा गया है:—

1. भूमि का समुचित एवं उपयुक्त उपयोग,
2. कृषि अभियांत्रिकी पर आधारित उद्योगों एवं खाद्य प्रसंकरण उद्योगों की स्थापना हेतु प्रावधान एवं नवीन औद्योगिक क्षेत्र के विकास के प्रस्ताव,
3. नगर के विकास में विद्यमान भौतिक बाधाओं को दूर कर सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन,
4. नगर की व्यवसायिक संरचना का सुदृढीकरण विशेषत, प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों के कार्यकलापों को प्रोत्साहन,
5. नगरीय यातायात संरचना में सुधार तथा क्षेत्रीय यातायात को नगरीय यातायात से पृथक करने हेतु प्रयास,
6. दक्ष एवं सक्षम यातायात संरचना का विकास जिसमें यात्री एवं माल यातायात सुरक्षित एवं द्रुतगति से हो तथा अन्य गतिविधियों के मध्य सामन्जस्य स्थापित हो,
7. ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व के स्मारकों का संरक्षण एवं संधारण,
8. असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों का युक्ति युक्त स्थल पर पुर्न व्यवस्थापन,
9. भावी आवासीय आवश्यकताओं के मान से नवीन आवासीय क्षेत्रों का चयन एवं उनके विकास हेतु आवश्यक उपाय,
10. वर्तमान बसाहट एवं अन्य क्षेत्र में भीड़-भाड़ कम करने हेतु थोक वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु पृथक स्थल का चयन एवं विकास,
11. नवीन प्रशासकीय केन्द्र का प्रस्ताव,
12. गंदी बस्तियों का पर्यावरण सुधार तथा झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों का व्यवस्थापन।
13. नगर के मध्य स्थित जमघड नदी की सफाई, पर्यावरण संरक्षण तथा अमोद-प्रमोद हेतु जल तटीय विकास,
14. अन्य प्राकृतिक जल स्रोत का संरक्षण एवं संवर्द्धन,
15. नगर के सौन्दर्यकरण तथा अमोद-प्रमोद के रूप में उद्यान एवं मनोरंजन स्थलो का विकास,
- 16- नगर के ठोस अपशिष्ट विसर्जन की समस्या के निराकरण हेतु प्रावधान,

4-4 ; kst uk vo/kkj .kk

शुजालपुर नगर की वर्तमान भू-आकृति एवं आकार आष्टा-पचौर मार्ग , नागदा-भोपाल रेल्वे लाइन एवं जमधड नदी द्वारा विभक्त क्षेत्रों में हो रहे विकास पर आधारित है, जमधड नदी द्वारा नगर को दो भागों में विभाजित किया है। नगर के पुराने क्षेत्र का विकास अनियोजित एवं अनियंत्रित रूप से नगर के उत्तर दिशा में ही केन्द्रित है तथा दक्षिणी दिशा में मण्डी क्षेत्र का तथा रेल्वे क्षेत्र का विकास अपेक्षाकृत नियोजित रूप से हुआ है। इन दोनों क्षेत्रों के संगठित विकास में जमधड नदी मुख्य भौतिक रुकावट के रूप में विद्यमान है। नगर के उत्तर एवं दक्षिण क्षेत्र में हुए विकास के बीच प्रभावी समन्वय नहीं होने से शुजालपुर नगर का एकीकृत रूप से विकास नहीं हो पाया है। नगर स्तरीय वाणिज्यिक एवं प्रशासकीय गतिविधियाँ नगर के उत्तर दिशा में असंगठित रूप से विकसित हुई हैं तथा दक्षिणी क्षेत्र में थोक वाणिज्यिक गतिविधियाँ (कृषि उपज मण्डी) शैक्षणिक संस्थान, रेल्वे स्टेशन क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र का विकास लगभग नियोजित रूप से हुआ है, परन्तु इस क्षेत्र में भी विकास एकीकृत रूप से नहीं हुआ है। प्रशासनिक एवं अन्य नगर स्तरीय सुविधाओं हेतु इस क्षेत्र को पुराने क्षेत्र पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

नगर के एकीकृत एवं नियोजित विकास हेतु योजना अवधारणा निम्नलिखित बिन्दुओं पर आधारित है:-

1. नगर के वर्तमान एवं नवीन प्रस्तावित क्षेत्र में बाह्य परिधि तथा बायपास मार्ग का विकास एवं लिंक मार्गों द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से परस्पर संबंध स्थापित करना,
2. बस स्टेण्ड, प्रशासनिक, यातायात नगर तथा अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु वैकल्पिक स्थानों का चयन,
3. नगर के दक्षिण में स्थित औद्योगिक क्षेत्र के आस-पास ही नवीन औद्योगिक गतिविधियों का विकास।
4. आमोद प्रमोद एवं खेल गतिविधियों हेतु समुचित प्रावधान,
5. प्राकृतिक जल स्रोतों (नदी, नालों, जलाशयों) का संरक्षण, सफाई, तटीय विकास एवं वृक्षारोपण कर आमोद प्रमोद के रूप में विकास,
6. कृषि उपज मण्डी प्रांगण के विस्तार हेतु संलग्न क्षेत्र प्रस्तावित करना,

4-5 Hkkoh tul a[; k

नगर की भावी आवश्यकताओं का निर्धारण मुख्यतः भावी अनुमानित जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। नगर की जनसंख्या अनुमानित करने में विभिन्न घटकों जैसे नगर की वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर, आर्थिक रूप रेखा, शासन की भावी औद्योगिक नीति तथा अधोसंरचना विकास को महत्व दिया जाना आवश्यक है। विगत दशकों की जनसंख्या वृद्धि दर को दृष्टिगत रखते हुए अनुमानित जनसंख्या कुछ अधिक अनुमानित की गई है, साथ ही भावी योजनाओं के आकर्षण से जनसंख्या का

आव्रजन भी ध्यान में रखा गया है। उक्त आधार पर नगर की वर्ष 2031 की जनसंख्या 1.50 लाख आंकलित की गई है जिसके आधार पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये गये हैं।

4-6 वृद्धि; अल्प; दीर्घ

जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार नगर में 20,658 कार्यशील व्यक्तियों में 15.23 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में, 20.40 प्रतिशत द्वितीयक क्षेत्र तथा 64.37 प्रतिशत तृतीयक क्षेत्र अंतर्गत कार्यरत पाये गये हैं। नगर के भावी कार्यकलाप एवं नगर के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2031 में सहभागितादर 324 श्रमिक प्रति हजार जनसंख्या के लगभग होगी, वर्ष 2031 में अनुमानित जनसंख्या 1.50 लाख में 32.4 प्रतिशत आबादी कार्यशील व्यक्तियों की होगी।

4-7 वृद्धि; अल्प; दीर्घ

आवासीय इकाइयों की भावी आवश्यकता का अनुमान भावी जनसंख्या परिवार का आकार तथा वर्तमान एवं भावी आर्थिक सामाजिक परिपेक्ष्य पर आधारित होता है। जनगणना 2011 के अनुसार शुजालपुर नगर पालिका क्षेत्र में 10993 परिवार 9651 आवासीय भवनों में निवास करते हैं, जिसके अनुसार औसत परिवार का आकार लगभग 5.41 व्यक्ति प्रति परिवार पाया गया है। अतः वर्ष 2031 में औसत परिवार का आकार 4.5 से 5.0 सदस्यों का मानते हुए आवासीय आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

वर्ष 2031 में नगर की जनसंख्या 1.50 लाख के मान से तथा परिवार का आकार 4.5 से 5.0 व्यक्ति के आधार पर 20585 आवासीय इकाई की आवश्यकता होगी, उक्त आवश्यकता का अनुमान लगाते समय प्रतिवर्ष एक प्रतिशत मकान जो आवासीय दृष्टि से अनुपयोगी होंगे, उनके प्रतिस्थापन का भी प्रावधान किया गया है। अनुमानित परिवार एवं आवासीय मकानों की आवश्यकता का विवरण सारणी 4-सा-1 में दर्शाया गया है।

'वृद्धि; अल्प; दीर्घ' % वृद्धि; अल्प; दीर्घ

4&1 k&1

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2011	वर्ष 2021	वर्ष 2031
1	जनसंख्या (लाख में)	0.64	0.90	1.50
2.	अतिरिक्त जनसंख्या	—	26,000	60,000
3.	औसत परिवार का आकार	5.41	5.0	4.75
4.	अतिरिक्त परिवार	—	5,200	12,631
5.	वर्ष 2021 में 85 प्रतिशत तथा 2031 में 90 प्रतिशत की दर परिवारों हेतु आवास	—	4,420	11,368

Øekad	fooj .k	o"kl 2011	o"kl 2021	o"kl 2031
1	2	3	4	5
6.	वर्ष 2011 की कमी सहित आवासीय ईकाईयों की आवश्यकता 1,785	—	5,947	17,319
7.	एक प्रतिशत की दर से आवासों का पुनर्निर्माण	—	1,633	3,266
	; ksx		7]580	20]585

4-8 i Lrkfor Hkfe mi ; ksx , oa Hkw vkøVu & 2031

नगर के भावी स्वरूप, जनसंख्या तथा उनकी आवासीय, वाणिज्यिक, अधोसंरचना, सेवा सुविधाओं एवं अमोद-प्रमोद इत्यादि की आवश्यकताओं का आंकलन कर विभिन्न भूमि उपयोगों के अन्तर्गत भूमि की आवश्यकता का निर्धारण किया गया है।

वर्तमान भूमि उपयोग विश्लेषण के अनुसार नगर में 9.0 हेक्टर प्रति 1,000 जनसंख्या के मान से भूमि नगरीय उपयोग के अन्तर्गत आती है। विकास योजना 2031 की अनुमानित जनसंख्या 1.50 लाख हेतु 1,267.0 हेक्टर प्रति 1,000 जनसंख्या की दर से भूमि नगरीय उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई, इसके आधार पर नगर का सकल घनत्व 1,110 व्यक्ति प्रति हेक्टर आता है। प्रस्तावित भूमि उपयोग का विवरण मानचित्र क्रमांक 4.1 एवं सारणी 4-सा-2 में दर्शाया गया है।

'kqtkyig % i Lrkfor Hkfe mi ; ksx , oa Hkw vkøVu & 2031

4&l k&2

Ø-	Hkfe mi ; ksx	orðku o"kl 2013		vfrfjDr i Lrkfor		dy		Hkfe mi ; kfxrk gDVj nj 1]000 tul a ; k
		{ks=Qy gDVj ea	i fr'kr	{ks=Qy gDVj ea	i kfr'kr	{ks=Qy gDVj ea	i fr'kr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आवासीय	295.79	51.45	552.0	43.57	847.79	46.03	5.65
2.	वाणिज्यिक	36.76	6.39	28.0	2.20	64.76	3.52	0.43
3.	औद्योगिक	24.66	4.29	46.0	3.63	70.66	3.85	0.47
4.	सार्वजनिक / अर्द्धसार्वजनिक	70.46	12.26	24.0	1.90	94.46	5.13	0.63
5.	मिश्रित उपयोग	—	—	215.0	16.97	215.0	11.67	1.43

Ø-	Hkfe mi ; ks	orëku o"kl 2013		vfrfjDr i Lrkfor		dy		Hkfe mi ; kfxrk gDVj nj 1]000 tul a[; k
		{ks=Qy gDVj ea	i fr'kr	{ks=Qy gDVj ea	i kfr'kr	{ks=Qy gDVj ea	i fr'kr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	सार्वजनिक सेवाएं एवं उपयोगिताएं	6.27	1.09	—	—	6.27	0.34	0.42
7.	आमोद – प्रमोद	4.63	0.80	240.0	18.95	244.63	13.28	1.63
8.	यातायात एवं परिवहन	136.34	23.72	162.0	12.78	298.34	16.20	1.99
	; ks&	574-91	100	1267-0	100-0	1841-91	100-0	12-65

L=ks%& नगर तथा ग्राम निवेश एवं मेपकास्ट भोपाल का सर्वेक्षण एवं आकलन

4-9 i Lrkfor Hkfe mi ; ks l j puk

नगर के वर्तमान मिश्रित भू-उपयोग स्वरूप को विकास योजना की अवधारणा में सम्मिलित किया गया है, ताकि नगर के वर्तमान भूमि उपयोगों को कम से कम स्थानांतरित करना पड़े, लेकिन कतिपय वर्तमान असंगत भूमि उपयोगों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित भूमि उपयोगों के मुख्य कार्य बिन्दु, कार्य केन्द्रों की सम्बद्धता वर्तमान विकसित क्षेत्र का प्रस्तावित विकास से समन्वय तथा कार्य केन्द्रों का विकेन्द्रीकरण है।

4-9-1 vkokl h;

विकास योजना में नये आवासीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करते समय यह प्रयास किया गया है कि क्षेत्र में सार्वजनिक सेवा सुविधाओं का प्रावधान कार्य केन्द्रों से निकटता, प्रदूषण मुक्त वातावरण तथा सामाजिक में गतिविधियों में उचित समन्वय हो सके। नगर की भावी जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए कुल 847.79 हेक्टर आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जिसमें 295.79 हेक्टर वर्तमान आवासीय क्षेत्र भी सम्मिलित है। आवासीय उपयोग हेतु प्रस्तावित क्षेत्र कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 46.03 प्रतिशत होकर 5.65 हेक्टर प्रति 1000 जनसंख्या की भूमि उपयोगिता दर आती है। उक्त आधार पर नगर का औसत आवासीय घनत्व 179 व्यक्ति प्रति हेक्टर आता है। आवासीय भूमि उपयोग हेतु वर्तमान दर अधिक भूमि आवंटन का कारण नगर के कुछ सघन एवं संकीर्ण क्षेत्रों की घनता कम करना तथा गंदी बस्तियों की पुर्नस्थापना अथवा उनका वर्तमान स्थल पर ही पर्यावरण सुधार एवं उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है, इसका निर्धारण स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय निकाय के परामर्श से सक्षम अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

4-9-2 okf.kfT; d

विकास योजना में विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु 64.76 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 3.52 प्रतिशत है। उक्त क्षेत्र में 36.76 हेक्टर वर्तमान क्षेत्र भी सम्मिलित है।

नगर का वर्तमान बाजार केन्द्र नगर स्तरीय बाजार के रूप में कार्य करता रहेगा। वर्गीकृत बाजार जैसे लोहामंडी, भवन निर्माण सामग्री, कबाड़ी बाजार, सब्जी मंडी, किराना थोक बाजार तथा लकड़ी बाजार विकास योजना में प्रस्तावित यातायात नगर क्षेत्र में आवश्यकता अनुरूप अनुज्ञेय रहेंगा। नवीन विस्तार क्षेत्र में अनाज मंडी, माल गोदाम, शीत गृह तथा भंडारण, वर्तमान मण्डी किसान केन्द्र में स्थापित किये जा सकेंगे, जहाँ पर इन उपयोगों के लिये क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

इसके अतिरिक्त विकास योजना में दो स्थानों पर :- 1. मण्डी से लगकर तथा 2. पचौर रोड पर क्रमशः 12.0 हेक्टर तथा 5.5 हेक्टर क्षेत्रों पर यातायात नगर का प्रावधान किया गया है।

4-9-3 vks| kfxd

शुजालपुर में कृषि आधारित उद्योग जैसे जिनिंग मिल, आइल मिल, मैदा मिल, दाल मिल तथा कृषि उपकरण मण्डी क्षेत्र तथा नगर के अन्य भागों तथा अकोदिया मार्ग पर स्थित वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र में अन्य प्रकार के मध्यम एवं लघु श्रेणी के उद्योग स्थित है जो कि भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपर्याप्त है। शुजालपुर क्षेत्र कृषि प्रधान होने के कारण यहाँ विशेषतः कृषि आधारित उद्योग के अतिरिक्त कृषि उपकरण, लोहा उद्योग, इलेक्ट्रिक/इलेक्ट्रानिक उद्योग, सीमेंट पाईप, प्लास्टिक, लोहे के जाली के फाटक, फर्नीचर लोहे की चादर के बॉक्स, टाईल्स तथा ईट निर्माण उद्योगों की स्थापना की अपार संभावनाएँ हैं। अतः उक्त संभावना को दृष्टिगत रखते हुए भावी औद्योगिक विकास हेतु विकास योजना में अकोदिया मार्ग पर स्थित वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र के निकट 26.0 हे. क्षेत्र तथा पचौर रोड पर 20.0 हे पर नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है जो वर्तमान विकसित क्षेत्र 24.66 हे. सहित कुल प्रस्तावित क्षेत्र 70.66 का लगभग 3.85 प्रतिशत है।

4-9-4 I ko!t fud@v)] ko!t fud rFkk I ko!t fud I (o/kk, a , oa mi ; kfxrk, a]

इस उपयोग के अन्तर्गत प्रशासनिक कार्यालय, शैक्षणिक, संस्थाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाएं एवं जन उपयोगी सुविधाओं का समावेश किया जाता है। शुजालपुर विकास योजना में नगर स्तरीय सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियों हेतु भूमि का प्रावधान किया गया है। इस उपयोग के अंतर्गत कुल 94.46 हेक्टर क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 5.13 प्रतिशत है। नगर में स्थित तहसील कार्यालय एवं कोर्ट परिसर के विस्तार हेतु लगभग 1.8 हेक्टर क्षेत्र प्रशासनिक उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है। आष्टा रोड पर मधुर एग्रो वेयर हाउस के पास स्थित स्कूल तथा पूर्व दिशा में जमघड नदी के निकट स्थित सार्व./अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र 16.0 हेक्टर नवीन क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त विकास योजना में प्रस्तावित सार्वजनिक./अर्द्ध सार्वजनिक व मिश्रित उपयोग में आवश्यकता अनुसार शासकीय सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक, सार्वजनिक

सेवा सुविधाओं हेतु स्थल का चयन कलेक्टर, स्थानीय निकाय एवं नगर तथा ग्राम निवेश के संयुक्त स्थल निरीक्षण/परामर्श से किया जावेगा।

4-9-5 vkekn i ækn

नगर की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस उपयोग हेतु 247.0 हे. भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 13.38 प्रतिशत है। इसमें 7.0 हे. वर्तमान क्षेत्र भी सम्मिलित है, इस भू-उपयोग के अंतर्गत उद्यान, खेल मैदान, मेला मैदान, स्टेडियम तथा स्वीमिंग पूल इत्यादि आमोद-प्रमोद की गतिविधियां आती है, जो निम्नानुसार प्रस्तावित है:-

'kqtkyij %vkekn& i ækn

4&Lkk& 3

Øekrd	uxj ds iæfk i Lrko	fodkl ;kstuk es i Lrkfor LFky
1	2	3-
1.	क्षेत्रीय उद्यान	जमधड नदी की धाराओं से घिरा क्षेत्र
2.	पिकनिक स्थल	जटाशंकर मंदिर मार्ग
3.	खेल मैदान	अकोदिया मार्ग तथा स्कूल परिसरों में स्थित मैदान
4.	हरित पट्टी एवं वृक्षारोपण	जमधड नदी , नेवज नदी के दोनों ओर 30-30 मीटर तथा जलाशयों के किनारे

ukW% उक्त प्रस्तावों के अतिरिक्त खंड स्तर के उद्यान भी प्रस्तावित है।

4-9-6 fefJr mi ;ksx

शुजालपुर विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अंतर्गत मिश्रित उपयोग की नवीन अवधारणा का समावेश किया गया है। इस उपयोग के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषणकारी भूमि उपयोगों एवं गतिविधियों को छोड़कर, नियमानुसार सभी भूमि उपयोग अनुज्ञेय रहेंगे। इस उपयोग के अंतर्गत विकास योजना में आष्टा मार्ग, पचौर मार्ग तथा प्रस्तावित बायपास मार्ग पर 215.0 हेक्टर भूमि का प्रावधान किया गया है, जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 11.67 प्रतिशत है।

4-9-7 lk; kbj .k l j {k.k , oa l o/kL

शुजालपुर नगर के मध्य जमधड नदी स्थित है। नगरीय क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के तहत नदी के दोनों किनारों पर 30-30 मीटर चौड़ी हरित पट्टी एवं पार्क का प्रावधान किया गया है तथा नालों एवं अन्य जल स्रोतों हेतु म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 50 के प्रावधान लागू माने जावेंगे तदानुसार विकास किया जाना प्रस्तावित है।

4-9-8 ; krk; kr , oa i fjogu

यातायात एवं परिवहन के अंतर्गत मार्ग यातायात, अवसान केन्द्र, वाहन विराम स्थल, बस स्थानक सम्बंधी सेवा सुविधाओं का समावेश होता है। विकास योजना में इस उपयोग हेतु 298.34 हैं. भूमि का प्रावधान किया गया है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 16.20 प्रतिशत है। इसमें वर्तमान 136.34 हेक्टर क्षेत्र भी सम्मिलित है।

4-10 vl ær Hkfe mi ; ksx

नगर में विद्यमान असंगत भूमि उपयोगों का विवरण अध्याय -2 में किया गया है। यह भूमि उपयोग वर्तमान परिक्षेत्र में पर्यावरण समस्या, यातायात समस्या तथा आसपास के भूमि उपयोग की असंगतता की दृष्टि से इस श्रेणी में लिए गये हैं। इन भूमि उपयोगों को स्थानांतरित कर रिक्त हुए स्थान को अधिक सक्षम उपयोग हेतु प्रस्तावित किया गया है, तत्संबंधी विवरण सारणी 4-सा-4 में दिया गया है:-

'kqtkyi g % Hkfe mi ; ksxka dh i qLFkki uk , oa fjDr Hkfe dk mi ; ksx

4&l k&4

क्रमांक	भूमि उपयोग	प्रस्तावित स्थल	रिक्त होने पर भूमि का प्रस्तावित उपयोग
1.	2.	3.	4.
1.	मछली एवं मीट मार्केट (जमधड नदी के किनारे व अकोदिया मार्ग संगम पर एवं अन्य स्थल)	इस स्थल का चयन जन सामान्य की मांग पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित विकास योजना क्रियान्वयन समिति द्वारा किया जावेगा।	आसपास स्थित भू-उपयोग अनुसार
2.	आरा मशीन (सिटी रोड पर)	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में	आसपास स्थित भू-उपयोग अनुसार
3.	तेल मिल (मण्डी के पास)	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में	आसपास स्थित भू-उपयोग अनुसार

4-11 xke fodkl

शुजालपुर निवेश क्षेत्र में स्थित जो वर्तमान ग्राम (रहवासी क्षेत्र), विकास योजना के कृषि क्षेत्र में स्थित है, उनका विस्तार (जिसमें सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना का विकास भी सम्मिलित है) वर्तमान ग्राम आबादी क्षेत्र के आसपास 200 मीटर परिधि में सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा से किया जा सकेगा।

4-12 fefJr Hk&mi ; ksx grq fu; eu

- (अ) मिश्रित भूमि उपयोग में स्वीकृत स्वीकार्य गतिविधियां सारणी 6-सा-7 अनुसार होंगी।
- (ब) मिश्रित उपयोग में स्वीकृत एवं स्वीकार्य परिसरों के नियोजन मापदण्ड गतिविधि विशेष हेतु इस विकास योजना में दिये गये मापदण्डों अनुसार होंगे।
- (स) मिश्रित उपयोग अंतर्गत स्वीकृत एवं स्वीकार्य अंतर्गत 12.5 मी. तक ऊँचे भवनों में एफ.ए.आर. 1:1.00 होगा, 12.5 मी. से अधिक ऊँचे भवनों के लिए नियोजन मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम 42 के अनुसार होंगे।
- (द) मिश्रित भूमि उपयोग अंतर्गत न्यूनतम भूमि/भूखण्ड का क्षेत्रफल 300.00 वर्ग मीटर होगा तथा इस भूमि/भूखण्ड के समक्ष मार्ग की चौड़ाई 12.0 मी. आवश्यक होगी।
- (ई) यातायात/पार्किंग समस्या के निराकरण हेतु यातायात अध्ययन के एक भाग के रूप में यातायात से मुक्त पद यात्री मार्ग/क्षेत्र एवं एकल मार्गीय यातायात व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जब किसी क्षेत्र/मार्ग पर मिश्रित उपयोग की ग्राह्यता के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृति दी जाती है तो यह स्वीकृति निम्न बिन्दुओं द्वारा नियमित होंगी—
1. निम्न गतिविधियां वर्जित होंगी—
 - क— भवन निर्माण सामग्री गतिविधि (लकड़ी, लकड़ी उत्पाद, संगमरमर, लोहा, स्टील और रेत, जलारू कोयला)
 - ख— मरम्मत की दुकानें— ऑटोमोबाईल्स, रिपेयर एवं कर्मशाला
 - ग— कबाड़खाना
 - घ— ऐसे प्रकरणों में जहां मिश्रित भू-उपयोग विचाराणीय होगा। आवेदक को सामने से सेटबैक को बिना शर्त स्थानीय संस्था को मार्गाधिकार एवं पार्किंग व्यवस्था के एक भाग के रूप में उपयोग हेतु छोड़ना होगा।

i Lrkfor i fjHkæ.k l ġpuk , oa uxjh; v/kksl ġpuk

प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना नगर के भावी स्वरूप एवं आकार का निर्धारण करती है। दक्ष यातायात एवं परिभ्रमण व्यवस्था के माध्यम से यात्रा का समय, दूरी तथा वाहन चालन व्यय आदि कम किया जा सकता है। अतः नगर की वर्तमान यातायात समस्याओं एवं भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए सुगम, सुरक्षित समय एवं ईंधन/ऊर्जा की बचत करने वाली मार्ग संरचना निम्न अवधारणा पर आधारित है:-

- (1) क्षेत्रीय एवं नगरीय यातायात पृथक्करण
- (2) विद्यमान रेलवे लाईन के दोनों ओर आवागमन हेतु मार्ग संरचना सुनिश्चित करना.
- (3) मिश्रित यातायात को ध्यान में रखते हुए मार्ग संरचना का प्रस्ताव.
- (4) रेलवे लाईन की दोनों दिशाओं में विद्यमान विकास तथा प्रस्तावित विकास के बीच समन्वय स्थापित करना.
- (5) भावी यातायात के आंकलन के आधार पर मार्गों का कार्यात्मक श्रेणीकरण
- (6) सिटी क्षेत्र में यातायात प्रणाली में सुधार.
- (7) नगर के मध्य से तीव्रगति से गुजरने वाले क्षेत्रीय यातायात हेतु बायपास/वृत्तीय मार्ग का प्रस्ताव.

5-1 i Lrkfor {ks=h; i fjHkæ.k l ġpuk ĳj sy , oa l M-d ekxl

5-1-1 jsyekxl

शुजालपुर, नागदा-भोपाल रेलवे यातायात का महत्वपूर्ण स्टेशन है। यह नगर रेल यातायात द्वारा प्रदेश एवं देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा है। अतः इसकी क्षेत्रीय यातायात की पूर्ति वर्तमान रेलमार्ग से ही हो सकती है। शुजालपुर रेलवे स्टेशन के भविष्य में विस्तार हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। वर्तमान में नगर में रेलवे लाईन पार करने हेतु दो रेलवे क्रॉसिंग तथा वर्तमान एवं भावी आवश्यकता के मान से एक अन्डरपास यथेष्ट है। क्षेत्रीय यातायात के निर्वाह प्रवाह के लिए नगर के मण्डी क्षेत्र में पचोर-आष्टा मार्ग एवं प्रस्तावित बायपास के जंक्शन पर दो रेलवे ओवर ब्रिज प्रस्तावित किये गये हैं।

5-1-2 ekxl

नगर से गुजरने वाले एवं प्रारंभ होने वाले क्षेत्रीय यातायात के अध्ययन से ज्ञात होता है, कि आष्टा-पचोर मार्ग (राजमार्ग क्रमांक-41) शुजालपुर नगर के मध्य से गुजरने के कारण अधिकांशतः नगरीय एवं क्षेत्रीय यातायात इसी मार्ग से होने के फलस्वरूप यातायात का दबाव राजमार्ग क्रमांक-41 पर अधिक है, इसके अतिरिक्त अकोदिया मार्ग से आने वाला यातायात भी इसी मार्ग से होकर गुजरता

है। इस कारण मार्ग पर दुर्घटनाएँ होती हैं तथा यातायात में व्यवधान उत्पन्न होता है साथ ही नगर के अधिकांश मार्ग भी इसी मार्ग से जुड़े होने के कारण यह मार्ग क्षेत्रीय यातायात हेतु उपयुक्त नहीं है। अतः क्षेत्रीय यातायात को नगर के बाहर से निकालने के उद्देश्य से पूर्वी रिंग रोड, जो कि बायपास के रूप में भी कार्य करेगा, प्रस्तावित किया गया है, जो कि आष्टा रोड (टाकिज के पहले से) पूर्व में रेलवे लाईन को पार करते हुए उत्तर की ओर एम.पी.ई.बी. ग्रिड के उत्तर से होते हुए पचौर रोड, पर मिलता है।

5-2 i Lrkfor mi uxjh; i fjHkæ.k l jþuk

नगर की वर्तमान परिभ्रमण संरचना में राजमार्ग क्रमांक-41 यातायात की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः इस मार्ग पर यातायात का दबाव कम करने हेतु नगर के पूर्वी दिशा में बायपास मार्ग प्रस्तावित किया गया है तथा नगर के मध्य से गुजरने वाला आष्टा-पचौर राजमार्ग का उपयोग नगरीय यातायात हेतु सुगमता से हो सकेगा।

नगर के सिटी तथा मण्डी क्षेत्र के आंतरिक भाग एवं इस क्षेत्र से लगे हुए विभिन्न मार्गों द्वारा अन्य आंतरिक मार्गों से जुड़े हुए हैं, जो बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन एवं अन्य प्रमुख कार्य-केन्द्रों को जोड़ते हैं। नगर के वर्तमान एवं प्रस्तावित क्षेत्रों को आपस में उपयुक्त मार्ग संरचना द्वारा जोड़ने हेतु विकास योजना में प्रस्ताव दिये गये हैं।

5-2-1 jsy ekxl i kj djus grq i yka dk fuekZ k

वर्तमान में नगर में रेल लाईन पार करने हेतु दो समपार एवं 1 अन्डरपास विद्यमान है। रेल समपार आष्टा रोड रेलवे क्रासिंग पर तथा अन्डरपास कमल्या मार्ग रेल क्रासिंग पर स्थित है। आष्टा मार्ग पर स्थित रेलवे समपार नागदा-भोपाल मुख्य मार्ग पर होने के कारण बार-बार बंद होता रहता है, जिसके कारण यातायात का दबाव इस क्षेत्र में बना रहता है। इसी दृष्टि से आष्टा रोड रेलवे क्रासिंग तथा प्रस्तावित रिंग रोड (बायपास) रेलवे क्रासिंग पर दो ओव्हर ब्रिज प्रस्तावित किये गये हैं।

5-3 ekxkã dk Js khØe

कार्य सम्पादन अनुसार मार्गों का श्रेणीक्रम निम्नानुसार प्रस्तावित है:-

- 1- {ks=h; ekxl
 - (1) बायपास मार्ग
 - (2) वृत्तीय एवं क्षेत्रीय मार्ग
 - (3) मुख्य मार्ग (नगरीय)
 - (4) खंडस्तरीय मार्ग
 - (5) स्थानीय मार्ग
 - (6) पदचारी मार्ग

5-4 ekxk dh iLrkfor pMkbZ

कार्यात्मक महत्व दीर्घकालीन यातायात सधनता, यातायात के प्रकार एवं उनकी विशेषता के आधार पर ही मार्गों की चौड़ाई निर्धारित की जाती है। नगर के सुनियोजित एवं सुसंगत विकास हेतु विभिन्न मार्गों की वर्तमान एवं प्रस्तावित चौड़ाई निम्न सारणी में दर्शाई गयी है :-

'kqtkyij % iLrkfor ekxk pMkbZ

5&I k&1

Ø-	ekxk dk uke	fodfl r {ks=es orëku pMkbZ %eh- e½	iLrkfor pMkbZ %ehVj e½	mn:n';
	{ks=h; ekxk}			
1	आष्टा-पचौर मार्ग (अ) निवेश सीमा से कालका माता मंदिर फ्रीगंज तक (ब) कालका माता मंदिर से रेल्वे क्रासिंग तक (स)रेल्वे क्रासिंग से जमधड नदी तक (द) जमधड नदी से तहसील कार्यालय तक. (इ) तहसील कार्यालय से निवेश क्षेत्र सीमा ग्राम चित्तोडा तक	30.0 24.0 24.0 24.0 30.0	30.0 30.0 30.0 24.0 30.0	नगर क्षेत्रीय यातायात
2	शुजालपुर-अकोदिया मार्ग (संगम मार्ग से निवेश क्षेत्र ग्राम रानुगंज सीमा तक)	24.0	30.0	नगर क्षेत्रीय यातायात
3	शुजालपुर-रायपुरा मार्ग (अ) पचौर मुख्य मार्ग संगम से मण्डी गेट तक. (ब) मण्डी गेट से रायपुरा/ पिपलोदा तक	09.0 18.0	12.0 24.0	नगर क्षेत्रीय यातायात
4	शुजालपुर-कमल्या (अ) आष्टा सीटी मुख्य मार्ग से रेल्वे क्रासिंग तक.	09.0	12.0	नगर क्षेत्रीय यातायात

Ø-	ekxl dk uke	fodfl r {ks=es oržeku pkmkbz %eh- e½	iLrkfor pkmkbz %ehVj e½	mnns' ;
	(ब)रेल्वे क्रासिंग से प्रस्तावित रिंग रोड तक.	18.0	24.0	
5	शुजालपुर-मंडावर/उगली मार्ग (अ) पचोर मुख्य मार्ग संगम से प्रस्तावित रिंग रोड तक (ब) प्रस्तावित रिंग रोड से निवेश सीमा तक.	18.0 24.0	24.0 30.0	नगर क्षेत्रीय यातायात
6	जेल रोड (पचोर मुख्य मार्ग संगम से निवेश क्षेत्र सीमा तक)	12.0	18.0	नगर क्षेत्रीय यातायात
7.	नहर मार्ग (रायपुरा मार्ग से ग्राम ताजपुर उकाला तक)	18.0	24.0	
8.	वृत्तीय मार्ग एवं बायपास मार्ग	—	45.0	क्षेत्रीय सीधा यातायात
9	मुख्य मार्ग (एम.आर.)	—		
	— मुख्य मार्ग क्रमांक-1	—	30.0	नगर यातायात
	— मुख्य मार्ग क्रमांक-2	—	24.0	नगर यातायात
	— मुख्य मार्ग क्रमांक-3	—	30.0	नगर यातायात
	— मुख्य मार्ग क्रमांक-4	—	24.0	नगर यातायात
	— मुख्य मार्ग क्रमांक-5	—	30.0	नगर यातायात
	— मुख्य मार्ग क्रमांक-6	—	24.0	नगर यातायात
	— मुख्य मार्ग क्रमांक-7	—	24.0	नगर यातायात
	— मुख्य मार्ग क्रमांक-8	—	24.0	नगर यातायात
10	वृत्तखण्डस्तरीय मार्ग	—	18.0	वृत्तखण्ड यातायात
11	उपवृत्त खंडस्तरीय मार्ग	—	12.0	उपवृत्त खंड यातायात

जहां पर मार्ग की विद्यमान चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक उपलब्ध है, तो इसे यथावत रखा जावेगा।

'कृषि उपज मंडी से भीलखेडी मार्ग

5&1 k&2

Ø-	ekxl dk uke	fodfl r {ks=	
		orëku pkMkbZ /ehVj e½	iLrkfor pkMkbZ/ehVj e½
1	2	3	4
1	एम.जी.रोड	15.0	18.0
2	सिटी रोड	24.0	30.0
3	अकोदिया रोड	24.0	30.0
4	सदर बाजार रोड	7.5.0	9.0
5	जेल रोड	12.0	15.0
6	हनुमान मंदिर मार्ग	7.5.0	12.0
7	जटाशंकर मार्ग	9.0	12.0
8	रामपुर रोड (मुख्य मार्ग से मण्डी गेट)	9.0	12.0
9	रामपुर रोड (मण्डी गेट से)	18.0	24.0
10	आष्टा मार्ग (अ) रेलवे फाटक से फ्रीगंज तक (ब) फ्रीगंज से आष्टा की ओर	15.0 24.0	18.0 30.0
11	पचौर रोड	24.0	30.0
12	पचौर मार्ग से ताजपुर उकाला एवं अख्यारपुरा मार्ग	15.0	18.0
13	कमल्या बायपास रोड:- (अ) रेलवे फाटक से आष्टा ओर (ब) सिटीमुख्य मार्ग से रेलवे फाटक	18.0 09.0	24.0 12.0
14	आष्टा मार्ग से किसोनी मार्ग	12.0	18.0
15	अकोदिया मार्ग से नांदापुरा मार्ग	12.0	18.0
16	कृषि उपज मंडी से भीलखेडी मार्ग	12.0	18.0

L=kr%& नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय का सर्वेक्षण.

- Uk%& 1. वर्तमान मार्गों की उपलब्ध चौड़ाई जिस खंड में प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक उपलब्ध होगी, उसे कम न करते हुए भूमि का उपयोग वाहन विराम हेतु किया जाएगा।
2. प्रस्तावित चौड़ाई का क्रियान्वयन भूमि के उपलब्ध होने अथवा आवासों के पुर्ननिर्माण एवं नवीनीकरण के समय किया जाएगा।

5-5 ; krk; kr iz kkyh ea l qkkj

नगर की वर्तमान मार्ग संरचना एवं यातायात प्रणाली को दृष्टिगत रखते हुए यातायात नियोजन एवं प्रबन्धन तकनीक के माध्यम से नगर की वर्तमान यातायात व्यवस्था में सुधार करके यातायात क्षमता बढ़ाई जा सकती है। अन्य प्रस्ताव निम्नानुसार है:—

5-5-1 ekxZ l æeka dk l qkkj

- (1) मंडी बस स्टैण्ड तिराहा
- (2) रेलवे स्टेशन से एम.जी.मार्ग संगम
- (3) शासकीय कालेज के सामने मार्ग संगम
- (4) अकोदिया मार्ग तिराहा
- (5) जेल रोड तिराहा

5-5-2 ; krk; kr vol ku dšnz %eky , oa ; k=h½

¼1½ Vd LFkkud

नगर में ट्रक स्थानक एवं यातायात नगर हेतु कोई स्थल निश्चित नहीं है। अतः पचौर रोड एवं वर्तमान कृषि उपज मंडी के पास क्रमशः 5.50 हेक्टर एवं 12.0 हेक्टर पर ट्रक स्थानक एवं यातायात नगर हेतु प्रस्ताव दिये गये हैं।

¼2½ cl LV&M

वर्तमान में नगर में दो बस स्टैण्ड स्थित है, जिनमें से सिटी बस स्टैण्ड वर्तमान आवश्यकता के मान से उपयुक्त है परंतु मंडी बस स्टैण्ड स्थान की कमी के कारण वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपर्याप्त है, यह बस स्टैण्ड पिक-अप स्टैण्ड के रूप में कार्य करेगा तथा नगर भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु बायपास (पूर्वी रिंग रोड) नवीन बस स्थानक हेतु 3.0 हेक्टर भूमि का प्रावधान किया गया है।

¼3½ jsyos LV's ku , oa eky xknke

वर्तमान रेलवे स्टेशन एवं यहां उपलब्ध सेवा—सुविधाएं वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं

की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। यहां माल-गोदाम के साथ-साथ माल उतारने एवं चढ़ाने के लिए वर्तमान उपलब्ध क्षेत्र भविष्य की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है।

5-5-3 okgu fojke LFky

नगर के विभिन्न स्थानों पर विशेषतः सधन गतिविधि क्षेत्रों के समीप मार्गों के किनारे वाहन विराम हेतु स्थल नियत करना मार्गों की प्रभावी यातायात वहन क्षमता को बनाये रखने के लिए बहुत आवश्यक है। अतः सभी मुख्य कार्य-केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, औद्योगिक केन्द्रों एवं अवसान केन्द्रों के निकट वाहन विराम हेतु निम्न स्थलों पर वाहन विराम स्थलों को विकसित किया जाना प्रस्तावित है:-

1. रेलवे स्टेशन मार्ग
2. तहसील कार्यालय
3. अस्पताल क्षेत्र
4. सिटी बस स्टैण्ड के पीछे

5-6 Uxjh; v/kkl j puk

5-6-1 ty ink;

नगर की वर्ष 2031 की आंकलित जनसंख्या 1.50 लाख हेतु 30 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 45.0 लाख गैलन जल आपूर्ति की आवश्यकता होगी जबकि वर्तमान में 2.0 एम.एल.डी जल प्रदाय किया जा रहा है।

नगर में भावी जल आपूर्ति की समस्या के समाधान हेतु नगर पालिका द्वारा यू0आई0डी0एस0एम0टी योजना के तहत 12-75 एम0एल0डी0 जल आपूर्ति हेतु 1727.00 लाख रुपये की परियोजना तैयार कर शासन से स्वीकृति परियोजना क्रियान्वयनाधीन है।

5-6-2 ty ey fodkl

वर्तमान में नगर में जल मल निकास की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है, विकास योजना में वर्तमान आबादी वाले क्षेत्रों के साथ-साथ भविष्य में विकसित किये जाने वाले क्षेत्रों हेतु समग्र रूप से संगठित जल मल निकास व्यवस्था की योजना तैयार कर शीघ्र क्रियान्वयन करना प्रस्तावित है। जल मल निकास की प्रक्रिया में नदी एवं नालों का जल प्रदूषित न हो, इसका ध्यान रखना अनिवार्य है, अतः जल मल उपचार संयंत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है तथा उपचारित जल को कृषि उपयोग एवं सिंचाई उपयोग में लाया जाएगा। जल मल उपचार संयंत्र की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थल का चयन स्थानीय शासन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के परामर्श से किया जावेगा।

5-6-3 fo|r ink;

वर्तमान में नगर की विद्युत व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। भावी जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति हेतु विद्युत क्षमता में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। म.प्र. विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा विकास

योजना में प्रस्तावित मार्ग संरचना को दृष्टिगत रखते हुए तथा औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं घरेलू आवश्यकता हेतु विद्युत वितरण संबन्धित व्यवस्था की जावेगी। इस हेतु अतिरिक्त विद्युत उपकेन्द्रों हेतु विकास योजना में भूमि का प्रावधान किया गया है।

5-6-4 'e' kku , oa dfcLrku

वर्तमान एवं प्रस्तावित श्मशान के अलावा भविष्य में आवश्यकता पडने पर प्रस्तावित विकसित क्षेत्र के बाहर कृषि क्षेत्र में स्वीकार्य होंगे इस हेतु उपयुक्त स्थल का चयन जिला कलेक्टर एवं स्थानीय संस्था के परामर्श से किया जावेगा।

5-6-5 rjy iWkfy; e xJ

नगर में वर्तमान आबादी क्षेत्र में स्थित तरल पेट्रोलियम गैस गोदामों को विकास योजना के प्रस्तावित कृषि क्षेत्र में स्थानांतरित करना प्रस्तावित है। वर्ष 2031 तक गैस कनेक्शन की आवश्यकता के मान से निर्धारित नियमों के अंतर्गत एल.पी.जी. सुविधाओं का निर्धारण करना आवश्यक होगा कृषि उपयोग में एल.पी.जी. गोदाम स्थापना स्वीकार्य होगी।

5-6-6 BkL vif'k"V iJL/ku

नगर में ठोस अपशिष्ट (कचरे) को नगर पालिका द्वारा एकत्रित किया जाता है। नगर में प्रतिदिन 200 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से कचरा निकलता है। ठोस अपशिष्ट घरों, होटलों, अस्पतालों, वाणिज्यिक क्षेत्रों तथा उद्योगों से निकलता है। नगर में कचरा संकलन की व्यवस्था संगठित नहीं है जिसमें सुधार की आवश्यकता है नगर पालिका द्वारा मंडी क्षेत्र के अतिरिक्त नगर में यहाँ-वहाँ कचरा फेंका जाता है ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के तहत नगर से 5.0 किलो मीटर की दूरी पर राजमार्ग क्रं0 41 पर ट्रेचिंग ग्राउण्ड हेतु भूमि का चयन किया गया है, दीर्घकालीन व्यवस्था के रूप में आधुनिक प्रबन्धन की योजना क्रियान्वित करनी होगी। ताकि ठोस अपशिष्ट का खाद के रूप में कृषि उपयोग किया जा सके। ठोस अपशिष्ट की ढुलाई पर होने वाले व्यय को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित ट्रेचिंग ग्राउण्ड के अलावा नगर के चारों दिशाओं में विकास योजना में जो भूमि कृषि उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है। उसमें उपयुक्त स्थल का चयन कलेक्टर स्थानीय संस्था एवं नगर तथा ग्राम निवेश के परामर्श से ठोस अपशिष्ट विसर्जित करना प्रस्तावित है।

5-6-7 vfxu'keu

नगर पालिका के अग्निशमन केन्द्र की वर्तमान क्षमता में भावी जनसंख्या एवं भावी नगरीय क्षेत्र के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए इन सेवाओं में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

5-6-8 vJ; I Jk, a

उपरोक्त सेवा सुविधाओं के अतिरिक्त नगर में अन्य सेवा सुविधायें भी आवश्यक होती हैं, जिनमें डाक एवं तार घर, दूरभाष केन्द्र, अग्निशमन केन्द्र, आरक्षी केन्द्र, धोबीघाट, जल वितरण केन्द्र, विद्युत उपकेन्द्र इत्यादि की क्षमता में भावी जनसंख्या के मान से वृद्धि करना होगी इस हेतु विकास योजना में आवश्यकता अनुसार भूमि का प्रावधान किया गया है।

6.1 प्रवृत्तशीलता

इन नियमनों का उद्देश्य शुजालपुर नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है, यह नियमन निवेश क्षेत्र के अन्दर समस्त विकास की गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे।

6.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन, राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 (1) के अन्तर्गत शुजालपुर हेतु गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे। मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में समय-समय पर होने वाले संशोधनों को विकास योजना का भाग माना जावेगा।
2. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है, यह सम्भावना है, कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी प्रस्तावों को क्रियान्वयन संबंधी यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में संशोधित करना पड़े ऐसे संशोधन के संबंध में राज्य शासन का निर्णय अन्तिम होगा, जो कि विकास योजना प्रस्तावों का एक भाग माना जावेगा।
3. विकास योजना मानचित्र में दर्शित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं तथा उक्त प्रस्ताव मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किये गए हैं, उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आन्तरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं आदि हेतु क्षेत्रफल सम्मिलित है, इसी प्रकार नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आदि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित है। इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में पृथक से नहीं दर्शाए गए हैं।
4. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व से विधिवत स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान उपयोग हेतु यथावत् रहेंगे।
5. झुग्गियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवाकार्य से जुड़े होते हैं, यदि झुग्गी-झोपड़ियों को किसी स्थान पर व्यवस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में सिर्फ नदियों/जलाशय के संदर्भ में प्रतिबंधित क्षेत्र, आमोद-प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों का व्यवस्थापन ग्राह्य होगा।
6. विकास योजना मानचित्र जो रिपोर्ट के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा किया गया मानचित्र है। इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की लम्बाई-चौड़ाई अथवा क्षेत्रफल

को नहीं नापा जाये। लम्बाई-चौड़ाई एवं क्षेत्रफल सर्वे मानचित्र, जो 1:4000 की माप पर हो के आधार पर नापा जाये।

7. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है। विकास के स्वरूप के अनुरूप अलग-अलग विकास नियमन/परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है, किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जावेगी। प्रथम चरण के क्षेत्र की विकास योजना प्रस्ताव के अनुसार परिक्षेत्रिक योजना अधिनियम के प्रावधानों अनुसार त्वरित गति से तैयार करना नितांत आवश्यक है।
8. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई शर्तें, स्थिति एवं विद्यमान वर्तमान मार्ग सीमाएँ स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जावेगा।
9. जिन अभिन्यासों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गई है, अर्थात् म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अन्तर्गत अथवा म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत भू-व्यपवर्तन हेतु दी गई हो एवं स्वीकृति की समयावधि विकास योजना प्रारूप प्रकाशन की तिथि पर वैध है अथवा नगर तथा ग्राम निवेश की अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर/शासन द्वारा कोई शासकीय भूमि किसी प्रयोजन हेतु आरक्षित अथवा आवंटित की गई हो तो उस दशा में यह माना जावेगा कि वह अभिन्यास/ भू आरक्षण/आवंटन स्वीकृत विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुरूप है।
10. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य एवं नगर स्तर की गतिविधियों हेतु विकास अनुमति दे।
11. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप तथा उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होंगे।
12. अधिनियम की धारा 30 एवं 30 (क) स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र में संशोधन आवश्यक होने पर सक्षम प्राधिकारी सभी आवश्यक संशोधन मानचित्र में अंकित कर पुनः संबंधित को वापिस करेंगे। स्वीकृति केवल संशोधित मानचित्र पर ही अंकित की जावेगी।

6.3 परिभाषाएं

उपयोग परिक्षेत्र –

मुख्य भू-उपयोग से सम्बंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्य कलापों में से किसी एक कार्य कलाप का क्षेत्र।

उपयोग परिसर –

उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के विभाजन का एक भाग हो एवं जिसे कि अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो।

अभिन्यास –	अभिन्यास से तात्पर्य योजना की रूप रेखा से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हो।
भूमि उपयोग मानचित्र –	सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र, भूमि उपयोग मानचित्र कहलायेगा।
परिक्षेत्रिक योजना –	निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जो अधिनियम की धारा 20 के अर्न्तगत बनाई गई हो।
नगरीय ग्राम –	भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अर्न्तगत आने वाले ग्रामीण आबादी नगरीय ग्राम कहलाएंगे।
नगरीय विरासत –	नगरीय विरासत से तात्पर्य ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो तथा संबंधित अधिनियम के अर्न्तगत अधिसूचित हो।
बहु-इकाई भूखण्डीय विकास –	नवीन क्षेत्रों में भूखण्डीय विकास विशेषतः मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप परिवारों को समाहित करने हेतु विशिष्ट रूप से रूपांकित किए जावेंगे। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् क्रियान्वित किए जाने वाले इस विकास में आवश्यक सेवाएँ एवं सुविधाएँ प्रावधित की जावें। ऐसे विकास हेतु भूखण्ड का आकार 288 वर्गमीटर से कम नहीं होना चाहिए एवं उनके समक्ष न्यूनतम 9.0 मीटर चौड़ा मार्ग स्थित/प्रावधित होना चाहिये।
सक्षम प्राधिकारी–	म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 अनुसार
अन्य परिभाषाएं –	म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार लागू होंगी।

6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

निवेश क्षेत्र को 10 प्रमुख उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उप विभाजित किए गए हैं। प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग/उपयोग गतिविधियां शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी। उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 6-सा-1 में दिया गया है।

शुजालपुर : उपयोग परिक्षेत्र

6-सा-1

अनु.क्र.	उपयोग परिक्षेत्र	उपयोग श्रेणियां
1	2	3
1.	आवासीय	वर्तमान आवासीय तथा प्रस्तावित आवासीय।
2.	वाणिज्यिक	नगरीय केन्द्र/सामान्य वाणिज्यिक (व्यापार सेवा संस्थान के साथ,) थोक विक्रय, मण्डी, शीतगृह एवं भण्डारण, यातायात नगर/मेकेनिक नगर।
3.	औद्योगिक	उद्योग; उद्योग के समतल समूहों सहित।
4.	सार्वजनिक अर्द्ध-सार्वजनिक	वर्तमान सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक एवं प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियां, सामाजिक अधोसंरचना
5.	सार्वजनिक सेवाएं एवं उपयोगिताएं	वर्तमान सार्वजनिक सेवाएं एवं उपयोगिताएं तथा प्रस्तावित सार्वजनिक एवं सुविधाएं, भौतिक अधोसंरचना।
6.	आमोद-प्रमोद	उद्यान/खेल मैदान, स्टेडियम, मैदान, मेला वनस्पति उद्यान/वृक्षारोपण।
7.	मिश्रित उपयोग	आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक
8.	यातायात एवं परिवहन	स्टेशन, रेल्वे लाईन/बस स्टेण्ड/बस डिपो, समस्त मार्ग,
9.	कृषि	कृषि, ग्रामीण परिक्षेत्र (कंडिका 4.11 के अनुसार ग्रामीण आबादी के विस्तार सहित)
10.	जल स्रोत	तालाब, नाले एवं नहरें, नदियां

6.5 आवासीय उपयोग परिक्षेत्रों हेतु नियमन

6.5.1 उपयोग परिक्षेत्र का उपयोग परिसरों में उप-विभाजन

- इन नियमनों का उद्देश्य विभिन्न परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने हेतु मार्गदर्शन देना है। इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित हैं। ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधानों जैसे-भौतिक संरचनाएं, जल-प्रदाय, जल-मल निकास आदि नगर पालिका के प्रावधानों के अनुरूप होंगे।
- भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात अधिकतम 1:3 होना चाहिए।
- भवन निर्माता/वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, एफ.ए.आर. भूतल आच्छादन, भवन की ऊंचाई तथा स्वीकार्य आवासीय

ईकाइयों के मानकों की आवश्यकता होती है। भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है तथा भवन अनुज्ञा हेतु यह पूर्णतः विकसित होना चाहिए। कार्पोरेट विकास की दशा में विकास/भवन अनुज्ञा साथ-साथ दी जा सकेगी।

4. एक भूखण्ड में चार ईकाइयों से अधिक समाहित करने हेतु प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में तैयार किए गए अभिन्यास की स्वीकृति तब ही दी जावेगी जब आवश्यक सेवाएं जैसे- जल प्रदाय, मल निकास, विद्युतीकरण पार्किंग सुविधा आदि का प्रावधान किया हो तथा भवन निर्माण की अनुमति देने के पूर्व उक्त सेवा एवं सुविधाएं वास्तविक रूप से उपलब्ध होना चाहिए। इस प्रकार के निर्माण हेतु भूखण्ड का न्यूनतम आकार 288 वर्गमीटर होगा तथा उसके समक्ष न्यूनतम 9.0 मीटर चौड़ा मार्ग स्थित अथवा प्रावधित होना चाहिये।
5. वर्तमान विकसित क्षेत्र में पूर्णतः या आंशिक रूप से विकसित एकल/संयुक्त परिवार ईकाई को आवश्यक सेवा तथा सुविधाओं के भौतिक सत्यापन के पश्चात् बहुईकाई भूखण्डीय विकास में परिवर्तित करने की अनुमति दी जा सकती है।
6. आवासीय अभिन्यासों में राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं समय-समय पर प्रसारित आदेशानुसार समाज के कमजोर वर्ग/ निम्न वर्ग/अनौपचारिक वर्ग तथा अन्य किसी वर्ग हेतु भूखण्ड/भवन का आरक्षण प्रावधान करना होगा।
7. अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार करते समय मध्य-प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 99 ;परिशिष्ट-अ में निहित प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए।

6.5.2 आवासीय भूखण्डीय विकास के नियमन

1. भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 2.00 हेक्टर
2. आवासीय अभिन्यास में न्यूनतम खुला क्षेत्रफल 10 प्रतिशत
3. सेवाओं हेतु न्यूनतम आरक्षित क्षेत्र 1.5 प्रतिशत
4. सुविधाजनक दुकानें हेतु अधिकतम 5 प्रतिशत
5. आवासीय प्रयोजन के स्वीकृत अभिन्यास के भूखण्डों पर भवन निर्माण संबंधी नियोजन मापदण्ड सारणी क्र. 6-सा-2 अनुसार होंगे
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अल्प आय वर्ग हेतु प्रावधान म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 / म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 / म.प्र. पंचायती राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुरूप।

शुजालपुर : आवासीय भूखण्ड विकास नियमन

6-सा-2

क्र.	भूखण्ड का आका (मीटर में)	क्षेत्र (वर्गमीटर) न्यूनतम	विकास का प्रकार	भू-आच्छादन क्षेत्र प्रतिशत में	एफ.ए. आर. अधिकतम	एम. ओ. एस (मीटर) में				भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में)	अधिकतम ऊँचाई (मीटर में)	एक भूखण्ड पर अधिकतम स्वीकार्य आवासीय इकाईयाँ
						अग्र	पार्श्व	आजू	बाजू			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4.0×8.0	20-32	पंक्ति	60	1.25	3.0	0.0	0.0	0.0	6	9	2
2	4.0×12.0	33-48	पंक्ति	60	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	6	9	2
3	5.0×15.0	49-75	पंक्ति	60	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	6	9	2
4	7.0×15.0	76-105	पंक्ति	50	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	7.5	9	2
5	9.0×15.0	106-135	अर्द्धपृथक्कृत	50	1.20	3.0	1.5	0.0	0.0	7.5	12.5	3
6	11.10×18.0	136-200	अर्द्धपृथक्कृत	50	1.20	3.0	2.0	0.0	0.0	9.0	12.5	3
7	12.0×18.0	201-216	अर्द्धपृथक्कृत	42	1.20	3.5	0.0	0.0	0.5	9.0	12.5	3
8	12.0×24.0	217-288	पृथक्कृत	40	1.15	4.5	2.5	3.5	1.5	9.0	12.5	4
9	12.0×24.0	288-360	पृथक्कृत	35	1.15	6.0	2.5	3.0	3.0	12.0	12.5	6
10	15.0×27.0	361-405	पृथक्कृत	33	1.15	7.5	3.0	3.5	3.0	12.0	12.5	7
11	18.0×30.0	406-540	पृथक्कृत	33	1.15	8.0	3.0	4.0	3.0	12.0	12.5	8
12	20×30.0	541-600	पृथक्कृत	33	1.15	9.0	3.0	4.5	3.0	12.0	12.5	9
13	25×30.0	601-750	पृथक्कृत	30	1.15	12.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	10
14	30×30.30	751-999	पृथक्कृत	30	1.15	12.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	10.

नोट : 1. अनुक्रमांक 9 से 14 के भूखण्डों के समक्ष यदि 9 मीटर या उससे अधिक चौड़ा मार्ग उपलब्ध है तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् क्रियान्वित किए जाने वाले इस विकास में आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं प्रावधानित हो तो ऐसे भूखण्डों पर बहु आवासीय इकाईयां मान्य होगी अन्यथा केवल 4 आवासीय इकाईयाँ की संख्या मान्य होगी।

2. यदि आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊंचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊंचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, कमशः भवन ऊंचाई तथा एफ.ए.आर. से नहीं की जाएगी।

6.5.3 विकसित क्षेत्रों के मध्य उपलब्ध भूमियों/भूखण्डों पर अपार्टमेंट हाउसिंग के नियमन

- (1) न्यूनतम भूमि/भूखण्ड का क्षेत्रफल 750 वर्गमीटर से अधिक
- (2) भूमि/भूखण्ड का फ्रन्टेज 21 मीटर
- (3) भूमि/भूखण्ड के समक्ष मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर
- (4) अधिकतम एफ.ए.आर. 1.30 (12.5 मीटर ऊंचाई तक के भवनों के लिये)

- (5) एम.ओ.एस. —
- | | | |
|--|---------|----------|
| | सामने | 6 मीटर |
| | अन्य ओर | 4.5 मीटर |
- (6) भवन की ऊँचाई 12.5 मीटर
- (7) दो अपार्टमेंट के ब्लकों के मध्य की दूरी सबसे ऊँचे अपार्टमेंट की ऊँचाई के 1/3 के बराबर होगी।
- (8) पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति 100 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल की दर से।
- (9) आगंतुक कार/वाहन पार्किंग हेतु भूखण्ड के क्षेत्र का 2 प्रतिशत क्षेत्रफल, आरक्षित रखना होगा।
- (10) वृक्षारोपण/उद्यान अंतर्गत क्षेत्रफल=(भूखंड/भूमि का क्षेत्रफल—ग्राउण्ड कवरेज) गुणा 25 प्रतिशत
- (11) 12.5 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों के लिए मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानानुसार होंगे।
- (12) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अल्प आय वर्ग हेतु म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 / म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961/म.प्र. पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

6.5.4 समूह आवास हेतु नियोजन मापदण्ड —

- (1) इस तरह के विकास हेतु न्यूनतम भूमि/भूखण्ड का क्षेत्रफल 0.40 हेक्टर होगा।
- (2) भूमि/भूखण्ड के समक्ष न्यूनतम मार्ग की चौड़ाई 12.0 मीटर
- (3) न्यूनतम ग्राउण्ड कवरेज = 35 प्रतिशत
- (4) भूमि/भूखण्ड का न्यूनतम फ्रन्टेज = 24 मीटर
- (5) अधिकतम एफ.ए.आर. 12.5 मीटर तक ऊँचे भवनों हेतु 1 : 1.40
- (6) एम.ओ.एस.
- | | |
|---------|-----------|
| सामने | 7.5 मीटर |
| अन्य ओर | 6.00 मीटर |
- (7) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अल्प आय वर्ग हेतु प्रावधान म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 / म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961/पंचायती राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार होगा।
- (8) पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति 100 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल की दर से।
- (9) भवन ब्लकों के मध्य की दूरी परिसर में प्रस्तावित/निर्मित सबसे ऊँचे भवन की ऊँचाई के 1/3 बराबर

- (10) 12.5 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों का निर्माण म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानानुसार।

6.5.5 12.5 मीटर से ऊँचें भवनों संबंधी नियमन

12.5 मीटर से ऊंचे भवनों के मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे। यह प्रावधान सभी भू-उपयोगों (आमोद-प्रमोद एवं कृषि को छोड़कर) मान्य होंगे।

6.5.6 फार्म हाउस

फार्म हाउस का निर्माण म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 अनुसार मान्य होगा।

6.6 वाणिज्यिक क्षेत्र

6.6.1 वाणिज्यिक क्षेत्रों में विकास हेतु नियमन –

वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु विकास योजना में थोक एवं सामान्य वाणिज्यिक हेतु व्यापक स्वरूप के प्रस्ताव दिये गये हैं, जिनमें निम्नलिखित गतिविधियां विकसित हो सकेंगी:-

नगरीय केन्द्र, उपनगरीय केन्द्र, स्थानीय शापिंग, सुविधाजनक शापिंग सेन्टर, खेरची दुकानें, वाणिज्यिक कार्यालय इत्यादि।

6.6.2 वाणिज्यिक विकास हेतु नियमन –

वाणिज्यिक विकास हेतु सारणी 6-सा-3 के अनुसार स्थान उपलब्ध होने पर विकास स्वीकार्य होगा।

शुजालपुर : वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र के अभिन्यास हेतु नियमन

6-सा-3

क्र.	वाणिज्यिक केन्द्र का स्तर	आवश्यक न्यूनतम भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में)	न्यूनतम खुला क्षेत्र (प्रतिशत में)	पार्किंग क्षेत्र (प्रतिशत में)	इंफार्मल सेक्टर (प्रतिशत में)	मार्ग एवं उपयोगिता एवं सेवाये (प्रतिशत में)	अधिकतम स्वीकार्य भू-खण्डीय क्षेत्रफल (प्रतिशत में)	भूमि/भूखण्ड का न्यूनतम अग्रभाग मीटर में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नगरीय केन्द्र, थोक वाणिज्यिक (मंडी सहित)	1.50 से अधिक	30	10	7.5	2.5	35	50	30.00
2	उप नगरीय केन्द्र, सामान्य (0.15 से 0.5 लाख आबादी)	1.00 से अधिक	24.00	10	7.5	2.5	35	50	25.00

क्र.	वाणिज्यिक केन्द्र का स्तर	आवश्यक न्यूनतम भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में)	न्यूनतम खुला क्षेत्र (प्रतिशत में)	पार्किंग क्षेत्र (प्रतिशत में)	इंफार्मल सेक्टर (प्रतिशत में)	मार्ग एवं उपयोगिता एवं सेवाये (प्रतिशत में)	अधिकतम स्वीकार्य भू-खण्डीय क्षेत्रफल (प्रतिशत में)	भूमि/भूखण्ड का न्यूनतम अग्रभाग मीटर में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	हेतु)								
3	स्थानीय शॉपिंग ' (अभिन्यास स्तर पर)	0.5 से अधिक	12.00	10	7.5	2.5	35	—	15.00
4	सुविधाजनक दुकानें' (अभिन्यास स्तर पर)	0.11 से अधिक	9.00	10	7.5	2.5	35	—	10.00

टीप:- *स्थानीय दुकानें एवं सुविधाजनक दुकानें कुल अभिन्यास क्षेत्रफल के अधिकतम 5 प्रतिशत भाग पर ही स्वीकार्य होंगी।

6.6.3 उप विभाजित वाणिज्यिक भूखण्डों हेतु नियमन :-

वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत विभिन्न वाणिज्यिक केन्द्र हेतु अनुमोदित अभिन्यास में वाणिज्यिक भू-खण्डों पर निर्मित क्षेत्र एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात सारणी 6-सा-4 में दर्शाए अनुसार मान्य होगा:-

शुजालपुर:उपविभाजित वाणिज्यिक भूखण्डों हेतु नियमन

6-सा-4

क्रमांक	श्रेणी	अधिकतम निर्मित क्षेत्र (कवरेज)	एफ.ए.आर
1	2	3	4
1	नगरीय केन्द्र थोक वाणिज्यिक (मंडी)	50 प्रतिशत	2.50
2	उप नगर केन्द्र सामान्य	50 प्रतिशत	2.00
3	स्थानीय दुकानें (अभिन्यास स्तर पर)	50 प्रतिशत	1.50
4	सुविधाजनक दुकानें (अभिन्यास स्तर पर)	50 प्रतिशत	1.25

स्थानीय दुकानें :-

1. औषधि दुकानें

2. कार्यालय
3. पैथेलाॅजी लैब
4. हल्के वाहन (800 सी.सी. तक)/मशीनरी सुधार की दुकानें
5. बैंक
6. ए.टी.एम.
7. गेस्ट हाउस
8. अनौपचारिक दुकानें
9. कोचिंग केन्द्र
10. प्रशिक्षण केन्द्र
11. रेस्टोरेन्ट
12. साप्ताहिक हाट
13. मीट एवं मछली की फुटकर दुकानें
14. कम्युनिटी हॉल
15. विद्युत उप केन्द्र
16. आवासीय फ्लैट : कुल अनुज्ञेय एफ.ए.आर. का 50 प्रतिशत अधिकतम।

6.6.4 सुविधाजनक दुकानों में स्वीकार्य दुकाने :-

1. फुटकर दुकानें
2. स्थानीय स्तर पर हल्के वाहन एवं मशीनरी मरम्मत की दुकानें
3. सेवा गतिविधियाँ
4. कार्यालय
5. बैंक
6. ए.टी.एम.
7. अनौपचारिक दुकानें
8. साप्ताहिक बाजार
9. सब्जी बाजार

6.7 औद्योगिक परिक्षेत्र

(1) औद्योगिक परिक्षेत्र के अभिन्यासों में आन्तरिक मार्गों की न्यूनतम चौड़ाई 15 मीटर होगी।

(2) औद्योगिक परिक्षेत्र में अभिन्यासों एवं औद्योगिक भूखण्डों के विकास के मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 48 अनुसार मान्य होंगे।

6.8 अन्य सुविधाएं –

अभिन्यासों में सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताएं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 अनुसार मान्य होंगी।

6.9 यातायात नगर/मैकेनिक नगर के मानक

यातायात/मैकेनिक नगर के मानक निम्नानुसार होंगे :-

6.9.1 यातायात/मैकेनिक नगर नियोजन मापदण्ड

अधिकतम भूखण्डों का प्रतिशत	: 40 प्रतिशत
आन्तरिक मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई	: 18 मीटर
सार्वजनिक सेवायें/सुविधायें	: 05 प्रतिशत न्यूनतम
पार्किंग	: 15 प्रतिशत न्यूनतम
उद्यान	: 10 प्रतिशत न्यूनतम

यातायात/मैकेनिक नगर में सुविधाओं के मानक सारणी 6-सा-5 अनुसार मान्य होंगे।

शुजालपुर:-यातायात/मैकेनिक नगर के मानक

6-सा-5

अनुक्रमांक	कार्य का प्रकार	इकाईयाँ प्रति 100 ट्रक	अनुशंसित क्षेत्रफल की सीमा प्रति इकाई वर्गमी.
1.	2.	3.	4.
1.	माल बुकिंग कार्यालय एवं गोदाम	30-40	29-450
2.	कल पुर्जों की दुकानें	10-15	9-72
3.	यांत्रिक एवं विद्युत वर्कशाप	15-25	7.5-135
4.	टायर ट्यूब बिक्री दुकानें	12-20	7.5-90
5.	ढाबा	5-7	30-90
6.	चाय नास्ता दुकान	8-19	9-14
7.	पान सिगरेट दुकान	10-14	2-5
8.	नाई/सिलाई दुकान	1	10-15

6.9.2 यातायात नगर में सुविधाओं के मापदण्ड

प्रति 100 ट्रक के लिए विभिन्न सेवाओं के प्रावधान सारणी 4-सा-6 के अनुरूप होंगे।

शुजालपुर : यातायात नगर में सुविधाओं के मापदण्ड

6-सा-6

अनु. क्रमांक	सुविधा	क्षेत्रफल प्रति इकाई (वर्गमी.)	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	बैंक	100	200 ट्रक पर कम से कम एक
2.	डाकघर	100	प्रत्येक अवसान बिन्दु पर एक
3.	पेट्रोल पंप	800	निर्गम/आगमन बिन्दु पर
4.	होटल, लॉज	600	ऊपर मंजिल पर
5.	चौकी	200	सामरिक स्थानों पर
6.	उपचार गृह	200	—
7.	अग्निशमन केन्द्र	200	—
8.	धर्मकांटा	300	निर्गम/आगमन बिन्दु पर

टीप :- 1. परिभ्रमण तंत्र।

अभिन्धास के मुख्य मार्ग न्यूनतम 18 मीटर चौड़े।

सेवाओं के सम्मुख द्वितीय मार्ग 12 से 15 मीटर चौड़े।

खुले क्षेत्रों के चारों ओर के मार्ग 12 से 15 मीटर चौड़े।

2. पार्किंग हेतु खुले स्थल 36 वर्गमीटर प्रति ट्रक के मान से जो मार्ग के समानान्तर पार्किंग बे में या खुले यार्ड के रूप में होना आवश्यक है। यह क्षेत्र खुले क्षेत्र के अतिरिक्त होगा।

6.10 मिश्रित उपयोग

मिश्रित उपयोग अंतर्गत स्वीकृत गतिविधियां सारणी क्र. 6-सा-7 में मिश्रित उपयोग अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों अनुसार मान्य होंगे। इन गतिविधियों के नियोजन मापदण्ड, इस अध्याय में उल्लेखित मापदण्डों अनुसार होंगे।

6.11 उपयोग परिक्षेत्र के विकास नियमन

6.11.1 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकार्य परिसरों की अनुमति

विकास योजना में उपयोग परिक्षेत्र एवं उपयोग श्रेणियों में सारणी 6-सा-7 अनुसार स्वीकृत उपयोग परिसर अनुमत होंगे :-

शुजालपुर : उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति

6-सा-7

अनु.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
1.	आवासीय	आवासीय भूखण्डीय विकास, एपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेट्स, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मेरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्प्यूनिटी, हॉल, मेरिज गार्डन, बाल गृह/कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, खेल का मैदान, / नेवरहूड पार्क, झूलाघर/डे-केयर सेंटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा/इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/ नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता ब-शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य/नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थाएं/अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, कन्वेंशन सेटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, आरचर्ड/नर्सरी, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टारेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कम्प्यूटर सेंटर।
2.	वाणिज्यिक	अपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेट्स, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मेरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम/कम्प्यूनिटी, हॉल, मेरिज गार्डन, बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट

अनु.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, प्रिंटिंग प्रेस, निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशाप, सूचना प्रौद्योगिकी, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, मनोरंजन क्लब, लाइब्रेरी, म्यूजियम बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट, तरणताल, कम्प्यूटर सेंटर, माल, मल्टीप्लेक्स, फिटनेस क्लब।
3.	औद्योगिक	औद्योगिक भूखण्डीय विकास, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल का मैदान, बालगृह, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, प्रिंटिंग प्रेस, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशाप, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, डेरी प्लांट, स्लाटर हाउस, फेलेटेड फैक्टरी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थाएं/ अर्द्धशासकीय/ शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र, दूर संचार, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन संयंत्र, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर , बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट।
4.	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक	अतिथि गृह/ रेस्ट हाउस, बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, झूला घर/डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र-ध्यान-अध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं

अनु.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		भराव-सह-सेवा केन्द्र, निजि व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील), सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, विश्व विद्यालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा/इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलोटेक्नीक, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता, ब-शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थाएं/अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर, सामाजिक कल्याण केन्द्र।
5.	सार्वजनिक उपयोगिताएं	अग्निशमन स्टेशन, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव-दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र।
6.	यातायात एवं परिवहन	रेल्वे स्टेशन एवं रेल्वे लाईन/रेल्वे साइडिंग/यार्ड/आपरेशनल एरिया, बस स्टेण्ड, बस डिपो, ट्रक टर्मिनल, नगर, हवाई पट्टी, माल गोदाम, शीतगृह, सर्विस स्टेशन, रिपेयर वर्कशाप, अनुशासिक दुकानें, रेस्टोरेन्ट, मोटेल, होटल, पेट्रोल पम्प।
7.	आमोद-प्रमोद	खेल का मैदान नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, क्लब रिसोर्ट, घुड़सवारी प्रशिक्षण स्कूल, जिम्मेजियम मय पूल गेम, वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, आरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाइंग क्लब, फिटनेस क्लब, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, वाटर पार्क मय राइडर कियोस्क, रिसोर्ट, पर्यटक/कुटीर, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान।

अनु.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
8.	कृषि	<p>ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो "कृषि" शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में वर्णित है। श्मशान घाट/कब्रस्तान, जल-मल शोधन केन्द्र, ईट भट्टे दुग्ध डेयरी, तेल डिपो/पेट्रोल पम्प, फार्म हाउस, वेयर हाऊस, गोडाउन, विस्फोटक सामग्री संग्रहण, शासकीय/ अर्द्ध-शासकीय/ पंजीकृत संस्थाओं द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य/शैक्षणिक गतिविधियाँ, ग्राम विकास संबंधी गतिविधियाँ (क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्प्यूनिटी हाल, मैरिज गार्डन, बालगृह/कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता ब-शारीरिक विकलांगता), स्थानीय संस्थाओं/अर्द्ध शासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो स्टेशन, टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, नर्सरी, लाइब्रेरी, सेवाओं/सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट, ग्राम आबादी विस्तार, भवन सामग्री यार्ड, टिम्बर यार्ड, मैरिज गार्डन, शीत संग्रहागार, दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, डेरी प्लांट स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रस्तान, श्मशान घाट, विद्युत शव-दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र।</p>
9	मिश्रित उपयोग	<p>आवासीय उपयोग परिक्षेत्र, वाणिज्यिक उपयेग परिक्षेत्र, तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक अंतर्गत उल्लेखित सभी गतिविधियां स्वीकृति योग्य होगी।</p>

6.11.2 उपयोग परिक्षेत्रों/परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण :-

सारणी क्र. 6-सा-7 में उल्लेखित उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड, सारणी क्र. 6-सा-8 एवं 6-सा-9 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे।

शुजालपुर : उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

6-सा-8

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
शैक्षणिक गतिविधियां											
1.	वोकेशनल संस्थान (ब्यवसाय संबंधी)	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	6.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
2.	विश्वविद्यालय	यू.जी.सी. मानक अनुसार	30.00	-	-	-	-	-	-	-	फ्रण्टेज = 100 मी.
	अ-प्रशासकीय	भूमि का 45 प्रतिशत	-	30	1:1.25	12.50	6.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्ट एम.ओ.एस. केवल फ्रण्ट साईड में
	ब-आवासीय	भूमि का 25 प्रतिशत	-	30	1:1.25	12.50	4.50	4.50	4.50	A=75	फ्रण्ट एम.ओ.एस. केवल फ्रण्ट

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साइड्स		
	स-खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधि	भूमि का 15 प्रतिशत	-	10	1:0.15	12.50	30.00	6.00	6.00	A=50	साइड में फ्रण्ट एम.ओ.एस. केवल फ्रण्ट साइड में
	द-पार्क एवं लैण्ड स्केप (प्राकृतिक भू दृश्यीकरण)	भूमि का 15 प्रतिशत	-	5	1:0.05	आवश्यकता अनुसार	12.00	6.00	6.00	-	एम.ओ.एस. छोड़कर ही निर्माण कार्य हेतु
3.	शैक्षणिक महाविद्यालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 60 मी.
4.	चिकित्सा / इंजीनियरिंग महाविद्यालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 75 मी.
5.	अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 75 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
6.	पॉलीटेक्नीक	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	15.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 60 मी.
7.	माध्यमिक / सेकण्डरी विद्यालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	15.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 40 मी.
8.	प्राथमिक विद्यालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	15.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
9.	नर्सरी स्कूल	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.
10.	प्ले स्कूल	म.प्र. 0.10 अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.
11.	समर्पित आवासीय विद्यालय	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 45 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
12.	विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=100	फ्रण्टेज = 30 मी.
13.	व्यवसायिक प्रबंधन संस्थान	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 45 मी.
14.	व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	7.50	7.50	A=75	फ्रण्टेज = 45 मी.
15.	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	7.50	7.50	A=75	फ्रण्टेज = 40 मी.
16.	संगीत / नृत्य / नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
17.	कोचिंग इन्स्टीट्यूट (शिक्षण संस्थान)	0.20	15.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
18.	कोचिंग सेंटर	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.
19.	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
20.	शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
21.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 45 मी.
22.	नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
23.	होटल मैनेजमेंट संस्थान	0.80	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 40 मी.
24.	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 50 मी.
25.	अन्य शैक्षणिक संस्थान	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 50 मी.
26.	आई.टी.आई.	तकनीकी शिक्षा विभाग अनुसार	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 75 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
27.	किंडर गार्डन स्कूल	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
28.	ड्राईविंग स्कूल	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	7.50	7.50	A=75	फ्रण्टेज = 45 मी.
29.	प्रयोगशाला	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 50 मी.
स्वास्थ्य गतिविधियाँ											
30.	सामान्य चिकित्सालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	18.00	35	1:1.50	12.50	15.00	9.00	9.00	A=50	फ्रण्टेज = 40.00 मी.
31.	विशिष्ट / सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	18.00	35	1:1.50	12.50	15.00	9.00	9.00	A=50	फ्रण्टेज = 40.00 मी.
32.	क्लिनिक / डिस्पेंसरी	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.
33.	प्रसूति गृह	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
34.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 20 मी.
35.	नर्सिंग होम	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.
36.	पॉलिविज्ञानिक	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.
37.	क्लीनिकल प्रयोगशाला	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मी.
38.	पेथोलॉजी लैब	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मी.
39.	पालतू पशु क्लिनिक	0.05	12.00	35	1:0.50	7.50	6.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 15 मी.
40.	पालतू पशु औषधालय	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
41.	डायग्नोस्टिक सेन्टर	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.
42.	ब्लड बैंक	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
43.	रेड क्रॉस केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.
44.	फिजियोथेरेपी केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मी.
45.	एक्सर / रेडियोलॉजी	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मी.
रहवासी गतिविधियाँ											
46.	कामकाजी महिला छात्रावास	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मी.
47.	बालगृह	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मी.
48.	बाल सुधार गृह	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
49.	झूलाघर / डे-केयर सेंटर	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
50.	अनाथालय	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
51.	वृद्धाश्रम	0.25	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
52.	धर्मशाला	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	6.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
53.	लॉजिंग	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
54.	लॉजिंग एवं बोर्डिंग	0.15	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
55.	होस्टल	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
56.	बोर्डिंग	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=75	फ्रण्टेज = 20 मी.
57.	रेस्ट हाउस / अतिथि गृह	0.40	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 40 मी.
58.	रात्रि विश्राम गृह	0.05	12.00	35	1:1.50	7.50	6.00	4.50	4.50	-	फ्रण्टेज = 20 मी.
59.	सर्किट हाउस	0.75	30.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 75 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
60.	भूखण्डीय विकास	2.00	6.00	30-60 एकल भूखण्ड पर	1:1.25	12.50	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	A=100	(1) फ्रण्टेज = ले-आउट अनुसार, (2) खुला क्षेत्र = 10 प्रतिशत, (3) सेवा क्षेत्र = 1.5 प्रतिशत
61.	ग्रूप हाउसिंग	0.40	15.00	35	1:1.50	12.50	9.00	7.50	7.50	A=100	फ्रण्टेज = 24 मी.
62.	अपार्टमेन्ट हाउसिंग	0.075	12.00	33	1:1.40	12.50	7.50	4.50	4.50	A=100	(1) फ्रण्टेज = 21 मी., (2) ऐसे भूखण्ड, भूखण्डीय विकास का भाग होना चाहिये

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
63.	स्वयं का आवास	0.005	9.00	30	1:1.25	12.50	6.00	3.00	3.75	A=100	(1) फ्रण्टेज = 12 मी., (2) इससे छोटे भूखण्ड केवल तभी मान्य होंगे जहां भूखण्डीय विकास या ग्रुप हाउसिंग या अपार्टमेंट हाउसिंग मान्य करना संभव न हो।
वाणिज्यिक गतिविधियाँ											
64.	शापिंग माल	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.50	12.00	7.50	7.50	A=50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
65.	मल्टीप्लेक्स	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.50	12.00	7.50	7.50	A=50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
66.	सुपर मार्केट / डिपार्टमेंटल स्टोर्स	0.25	18.00	33	1:1.75	12.50	15.00	7.50	7.50	A=50	फ्रण्टेज = 30 मी.
67.	कैफेटेरिया	0.15	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
68.	कन्वेंशन सेंटर	2.00	30.00	30	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=20	फ्रण्टेज = 100 मी.
69.	सुविधाजनक दुकानें	—	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	A=50	(1) फ्रण्टेज = 20 मी. (2) भूखण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल भूमि के 3% के बराबर

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
70.	स्थानीय दुकाने	—	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50 %	(1) फ्रण्टेज = 30 मी. (2) भूखण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल भूमि के क्षेत्रफल के 5% बराबर
71.	साप्ताहिक हाट बाजार	0.30	12.00	35	1:1.25	04.50	9.00	4.50	4.50	A=25	फ्रण्टेज = 40 मी.
72.	व्यवसायिक कॉर्पोरेट कार्यालय	0.20	18.00	35	1:1.75	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
73.	सिनेमा हाल	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=30	फ्रण्टेज = 30 मी.
74.	होटल	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साइडस्		
75.	मोटल	0.75	24.00	25	1:0.75	12.50	15.00	10.0	10.0	A=25	(1) राष्ट्रीय राजमार्गों / राजमार्गों / समस्त क्षेत्रीय मार्गों / बायपास मार्गों पर (2) फ्रण्टेज = 40 मी. फ्रण्टेज = 18 मी.
76.	रेस्टॉरेंट	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.
77.	ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार 0.05	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार 12.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार 35	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार 1:1.25	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार 12.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार 12.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार 4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार 4.50	A=50	-
78.	व्यवसाय	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 15 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
79.	ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशाप	0.15	15.00	30	1:1.25	12.50	12.00	7.50	7.50	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
80.	स्टोरेज / गोदाम अज्वलनशील पदार्थ	0.10	12.00	30	1:0.75	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
81.	स्टोरेज ज्वलनशील पदार्थ डीजल आदि	संबंधित मानक अनुसार	18.00	25	1:0.50	12.50	30.00	20.00	20.00	A=50	(1) फ्रण्टेज = 35 मी. (2) निर्मित क्षेत्र के चारों ओर 20.00 मी. स्थान खुला रखना होगा।
82.	जंकयार्ड	0.20	12.00	25	1:0.25	12.50	15.00	10.00	10.00	A=50	फ्रण्टेज = 40 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
83.	वेयर हाउस / स्टोरेज / एफ.एम.सी.जी. गोदाम	0.60	15.00	30	1:0.75	12.50	15.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
84.	कॉल सेन्टर	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	6.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.
85.	ए.टी.एम.	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	3.00 मीटर X 3.00 मीटर का निर्माण एम.ओ.एस. स्पेस को छोड़कर, निर्मित किये जा सकने वाले क्षेत्र में स्वीकार्य होगा।

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साइड्स		
86.	मैरिज हाल	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
87.	बारात घर	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
88.	कल्याण मंडपम	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
89.	मांगलिक भवन	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 25 मी.
90.	मैरिज गार्डन	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 40 मी.
91.	कार्गो मय बुकिंग मरम्मत एवं	1.00	24.00	25	1:0.50	12.50	6.00	6.00	6.00	A=30	फ्रण्टेज = 100 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
	फारवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के										
92.	ऑटो मोबाईल शोरूम मय सर्विस स्टेशन/वाहन विक्रय केन्द्र के या बिना इन सुविधाओं के	0.20	18.00	30	1:1.0	12.50	15.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 40 मी.
93.	प्रिंटिंग प्रेस	0.10	15.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.0	6.0	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
94.	पेट्रोलियम उत्पाद डिपो	2.00	24.00	30	1:1.00	12.50	30.00	20.00	20.00	A=50	फ्रण्टेज = 60 मी.
95.	गैस गोडारन	—	12.00	30	1:1.00	12.50	—	—	—	A=50	(1) फ्रण्टेज = 25 मी. (2) निर्मित

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
											क्षेत्र के चारों ओर 15.00 मी. स्थान खुला रखना होगा।
96.	अनाज मण्डी	2.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=50	फ्रण्टेज = 75 मी.
97.	सब्जी / फल मण्डी	0.60	18.00	35	1:1.50	12.50	24.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 45 मी.
98.	लोहा मण्डी	2.00	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 75 मी.
99.	भवन सामग्री यार्ड	1.50	18.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 75 मी.
100.	सी.एन.जी. केन्द्र	0.15	24.00	15	1:0.15	6.00	12.00	10.00	10.00	A=15	फ्रण्टेज = 35 मी.
101.	सर्विस स्टेशन	0.10	15.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
102.	बूटी पार्कर	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	6.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 20 मी.
103.	तौल कांटा	0.15	18.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.0	6.0	A=50	फ्रण्टेज = 40 मी.
104.	थोक मार्केट	2.00	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 75 मी.
105.	दवाई मार्केट	1.00	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
106.	स्टेशनरी मार्केट	1.00	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
107.	ऑटोमोबाइल मार्केट	1.00	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
108.	फायर वर्कस मार्केट	1.00	18.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
109.	सर्वाफा मार्केट	1.00	18.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
110.	क्राकरी मार्केट	1.00	18.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/ गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साइडस्		
111	कपड़ा मार्केट	1.00	18.00	35	1:1.50	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
112.	बर्तन बाजार	1.00	18.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
113.	मरम्मत बाजार	0.20	15.00	30	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
114.	टिम्बर मार्केट	1.00	18.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
115.	केमिकल बाजार	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
116.	ई-चौपाल	0.25	18.00	30	1:1.50	12.50	15.00	9.00	9.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
117.	कम्प्यूटर सेंटर	0.10	12.00	35	1:1.25	12.25	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
118.	इन्फार्मल शॉपिंग	0.10	12.00	35	1:1.25	12.25	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
119.	बैकवेट हॉल	0.50	24.00	35	1:1.50	12.50	24.00	10.00	10.00	A=20	फ्रण्टेज = 50 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
120.	एफ.एम.सी.जी. गोडाउन	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
121.	वेयर हाउस	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
122.	कोल यार्ड	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
123.	मीट मार्केट	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
124.	सायबर कॅफे	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
125.	ढाबा	0.30	24.00	35	1:1.25	12.50	20.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 50 मी.
126.	रेल / एयर टिकिट घर	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
सांस्कृतिक गतिविधियाँ											
127.	खुला रंगमंच	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	1:0.15	12.50	15.00	9.00	9.00	A=20	फ्रण्टेज = 30 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
128.	योग केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
129.	अध्यात्मिक केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
130.	सांस्कृतिक / सूचना केन्द्र	0.15	15.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.0	6.0	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
131.	सामाजिक कल्याण केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
132.	लाइब्रेरी	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
133.	धार्मिक परिसर	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
134.	कॉन्फ्रेन्स हॉल / प्रदर्शनी केन्द्र	1.00	24.00	30	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
135.	नाट्य गृह	0.40	18.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	A=40	फ्रण्टेज = 30 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साइड्स		
136	कम्प्यूनिटी हॉल	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 25 मी.
137.	स्वयं सेवी संस्थान	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
138.	क्रेच / झुलाघर	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
139	आर्ट / गैलेरी संग्रहालय	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
खेल / मनोरंजन गतिविधियां											
140	खेल का मैदान / नेबरहूड पार्क	खेल / पार्क की आवश्यकता नुसार	खेल / पार्क की आवश्यकता नुसार	.	.	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	फ्रण्टेज 25 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
141	गोल्फ कोर्स	भारतीय खेल प्राधि. के मानक अनुसार	15.00	15	1:0.15	आवश्यकता अनुसार	15.00	9.00	9.00	A=15	(1) एम.ओ.एस. केवल निर्माण कार्य के संदर्भ में। (2) फ्रण्टेज = 75 मी.
142	एम्प्लूमेंट पार्क / मय राईड्स, कियोस्क, संधारण कार्यालय, डांस फ्लोर सहित या बिना इन सुविधाओं के	4.0	18.00	20	1:0.10	आवश्यकता अनुसार	15.00	9.00	9.00	A=15	(1) एम.ओ.एस. केवल निर्माण कार्य के संदर्भ में (2) फ्रण्टेज = 75 मी.
143	क्लब / रिसोर्ट	0.40	15.00	20	1:0.30	12.50	15.00	10.00	10.00	A=25	फ्रण्टेज=40 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
144	घुड़सवारी प्रशिक्षण स्कूल	4.00	18.00	20	1:0.25	12.50	10.00	10.00	6.00	A=25	(1) भारतीय खेल प्राधि. की निर्धारित शर्तों अनुरूप। (2) फ्रण्टेज = 100 मी.
145	जिम्नोजियम मय पूल गेम, स्नेकस एवं जूस शॉप, योग केन्द्र या इन सुविधाओं बिना	0.20	15.00	30	1:0.00	12.50	12.00	7.50	10.00	A=50	फ्रण्टेज=25 मी.
146	बोट क्लब	भारतीय खेल प्राधि. के मानक अनुसार	15.00	15	1:0.15	आवश्यक तानुसार	15.00	9.00	9.00	A=15	(1) एम.ओ. एस. केवल निर्माण कार्य के संदर्भ में। बोट क्लब का

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
147	आंतरिक स्टेडियम	खेल की आवश्यकता नुसार	12.00	25	1:0.75	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	निर्माण जल तट से लग कर आवश्यकता नुसार किया जा सकेगा। (2) फ्रण्टेज = 75 मी. फ्रण्टेज = 40 मी.
148	स्टेडियम	खेल की आवश्यकता नुसार	24.00	30	1:0.00	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 75 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	न्यूनतम स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
149	सपोर्ट्स काम्प्लेक्स	खेल की आवश्यकता नुसार	18.00	35	1:0.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
150	आरचर्ड	0.10	12.00	20	1:0.25	7.00	9.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
151	तरणताल	0.40	12.00	25	1:0.00	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
152	पिकनिक हट	0.25	12.00	15	1:0.25	7.50	12.00	9.00	9.00	A=20	फ्रण्टेज = 30 मी.
153	पलाइंग क्लब	0.40	18.00	30	1:0.00	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
154	फिटनेस क्लब	0.25	15.00	35	1:1.25	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
155	मेला मैदान	आवश्यकता नुसार	18.00	20	1:0.75	7.50	15.00	9.00	9.00	A=15	फ्रण्टेज = 30 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
156	नर्सरी	0.10	9.00	30	1:0.75	9.00	9.00	6.00	6.00	A=15	फ्रण्टेज = 18 मी.
157	पक्षी अभयारण्य	1.00	18.00	20	1:0.25	12.50	18.00	9.00	9.00	A=25	फ्रण्टेज = 60 मी.
158	वनस्पति उद्यान	2.00	18.00	20	1:0.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 75 मी.
159	प्राणी उद्यान	2.00	18.00	20	1:0.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 75 मी.
160	मत्स्थालय	1.00	18.00	20	1:0.25	12.50	18.00	9.00	9.00	A=25	फ्रण्टेज = 60 मी.
161	कैम्पिंग साइट	1.00	18.00	20	1:0.25	12.50	18.00	9.00	9.00	A=25	फ्रण्टेज = 60 मी.
162	वाटर पार्क मय राईड्स, कियोस्क, संधारण कार्यालय, डांस प्लोर सहित	4.00	18.00	20	1:0.10	आवश्यकता अनुसार	15.00	9.00	9.00	A=15	(1)एम.ओ.एस. केवल निर्माण कार्य के संदर्भ में।

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
163	या बिना इन सुविधाओं के रिसार्ट पर्यटक / कुटीर	1.00	18.00	20	1:0.25	9.00	30.00	12.00	12.00	A=25	(2) फ्रण्टेज = 75 मी. फ्रण्टेज = 75 मी.
शासकीय गतिविधियां											
164	शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय / उपक्रम , अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर सहित,	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	10.00	5.00	5.00	A=75	(1) फ्रण्टेज = 25 मी.। (2) स्टाफ क्वार्टर का अधिकतम क्षेत्र निर्माण हेतु स्वीकार्य क्षेत्र का 20 प्रतिशत

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
165	न्यायालय	आवश्यकता अनुसार	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=25	फ्रण्टेज = 60 मी.
166	जेल	आवश्यकता अनुसार	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=25	फ्रण्टेज = 60 मी.
167	स्थानीय निकाय कार्यालय	आवश्यकता अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=25	फ्रण्टेज = 60 मी.
168	पुलिस स्टेशन	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
169	पुलिस पोस्ट	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
170	बैंक	0.10	18.00	35	1:1.50	12.50	12.00	7.50	7.50	A=40	फ्रण्टेज = 30 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साइडस्		
सार्वजनिक सेवाएँ सुविधाएँ											
171	शासकीय / अर्द्ध शासकीय कार्यालय / उपक्रम , अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर सहित,	आवश्यकता अनुरूप	9.00	35	1:1.25	12.50	10.00	5.00	5.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.।
172	पोस्ट ऑफिस	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.
173	दूरसंचार टावर / स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
174	जल शोधन संयंत्र	आवश्यकता अनुसार	12.00	25	1:0.25	12.50	12.00	9.00	9.00	A=25	फ्रण्टेज = 40 मी.
175	कम्बार्सिड ट्रिगमेंट प्लान्ट	आवश्यकता अनुसार	12.00	25	1:0.25	12.50	12.00	9.00	9.00	A=25	फ्रण्टेज = 40 मी.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
176	वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र	आवश्यकता अनुसार	12.00	25	1:0.25	12.50	12.00	9.00	9.00	A=25	फ्रण्टेज = 40 मी.
177	दूर संचार केन्द्र	0.15	12.00	35	1:1.25	आवश्यकता अनुसार	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 30 मी.
178	ट्रांसमिशन टावर/वायर लेस स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	A=50	फ्रण्टेज = 30 मी.
179	रेडियो स्टेशन	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी. I
180	वैधशाला	आवश्यकता अनुसार	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
181	अग्निशमन केन्द्र	आवश्यकता अनुसार	15.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
182	टेलीविजन स्टेशन	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी. I

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
183	मौसम कार्यालय	आवश्यकता अनुसार	15.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी
184	विद्युत सब स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	-	आवश्यकता अनुसार
185	शमशान / कब्र तान / सिमीट्री	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	-	आवश्यकता अनुसार
186	दूर संचार टावर	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	-	आवश्यकता अनुसार
187	गौशाला	0.25	12.00	35	1:0.50	9.00	12.00	9.00	9.00	A=75	फ्रण्टेज = 18 मी.
188	उपग्रह ट्रेकिंग स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	18.00	35	1:0.25	12.50	24.00	12.00	12.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.
189	दूरभाष केंद्र	आवश्यकता अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 25 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
190	विन्ड मिल्स / फार्म	आवश्यकता अनुसार	12.00	20	1:0.25	आवश्यकता अनुसार	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
191	सार्वजनिक मुत्रालय	आवश्यकता अनुसार	9.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	5.00	3.00	3.00	-	फ्रण्टेज = 9 मी.
192	विद्युत शवदाह गृह	आवश्यकता अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	A=75	फ्रण्टेज = 30 मी.
193	ओवर हेड पानी की टंकी	आवश्यकता अनुसार	9.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	-	फ्रण्टेज = 18 मी.
194	भूमिगत पानी की टंकी	आवश्यकता अनुसार	9.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	9.00	6.00	6.00	-	फ्रण्टेज = 18 मी.।
195	ऑक्सीडेशन पौंड	आवश्यकता अनुसार	9.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	-	फ्रण्टेज = 24 मी.।
196	सेप्टिक टैंक	आवश्यकता अनुसार	9.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	-	फ्रण्टेज = 18 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
197	सार्वजनिक शौचालय	आवश्यकता अनुसार	9.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	9.00	4.50	4.50	-	फ्रण्टेज = 18 मी.।
198	घूरा एवं कचराघर	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	-	फ्रण्टेज = 18 मी.
199	धोबी घाट	आवश्यकता अनुसार	9.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	-	फ्रण्टेज = 18 मी.
200	औद्योगिक सुविधायें एग्री स्तर उद्योग	0.20	15.00	40	1:1.0	12.50	12	6.00	6.00	A=75	(1) भूखण्ड के चारों ओर 3.0 मीटर चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण करना होगा। (2) फ्रण्टेज = 25 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
201	डेयरी प्लॉट	0.75	18.00	35	1:1.00	12.50	15	6.00	6.00	A=20	(1) भूखण्ड के चारों ओर 3.0 मीटर चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण करना होगा। (2) फ्रण्टेज = 30 मी.।
202	औद्योगिक भूखण्डीय विकास	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	A=50	.
203	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	0.10	15.00	35	1:1.50	12.50	10.00	5.00	5.00	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड्स		
204	डेरी प्लॉट	0.40	18.00	35	1:1.00	12.50	18.00	9.00	9.00	A=50	फ्रण्टेज = 40 मी.।
205	स्ताटर हाउस	0.20	15.00	35	1:1.00	12.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 30 मी.।
206	फेलेटेड फैक्ट्री	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	A=50	-
207	एक्सटेंसिव / विशिष्ट एक्सट्रेटिव उद्योग	.	12.00	-	-	-	-	-	-	-	खनिज विभाग के नियम अनुसार
208	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	10.00	4.50	4.50	A=50	फ्रण्टेज = 25 मी.।
209	फूड पार्क	2.00	24.00	40	1:1.00	12.50	18.00	9.00	9.00	A=40	फ्रण्टेज = 75 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
210	साफ्टवेयर पार्क	2.00	24.00	40	1:1.00	12.50	18.00	9.00	9.00	A=40	फ्रण्टेज = 75 मी.।
211	दुग्ध केन्द्र	0.50	18.00	40	1:1.00	12.50	18.00	9.00	9.00	A=40	फ्रण्टेज = 75 मी.।
	यातायात सुविधायें										
212	बस स्टैण्ड	1.50	30.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 100 मी.।
213	बस टर्मिनल	1.50	30.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 100 मी.।
214	पिकअप स्टेशन	0.80	18.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 50 मी.।
215	बस स्टॉप	आवश्यकता नुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	--	--	--	आवश्यकता अनुसार	मार्ग की भूमि को छोड़कर, बाईं लेन

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
216	यातायात नगर	4.00	30.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 100 मी.।
217	मेकेनिक नगर	2.00	30.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 75 मी.।
218	ऑटो स्टेण्ड / टैक्सी स्टेण्ड	0.25	15.00	15	1:0.30	07.50	15.00	9.00	9.00	पार्किंग एक कार प्रति 15.00 वर्ग मी. उपलब्ध भूमि की दर से	फ्रण्टेज = 75 मी.।
219	मल्टी लेवल पार्किंग	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	18.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	A=50	फ्रण्टेज = 75 मी.।
220	बस डिपो / कर्मशाला	1.50	24.00	35	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 100 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
221	कार्गो	2.00	30.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	A=25	फ्रण्टेज = 100 मी.।
222	पार्किंग	आवश्यकता नुसार	12.00	-	-	-	6.00	6.00	6.00		फ्रण्टेज = 18 मी.।
223	कन्टेनर डिपो	2.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 75 मी.।
224	ड्राई पोर्ट / कन्टेनर डिपो मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के	2.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	A=30	फ्रण्टेज = 75 मी.।
225	हेलीपैड	आवश्यकता अनुसार	18.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	A=15	फ्रण्टेज = 150 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साइड्स		
226	रेल्वे स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	30.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	A=15	फ्रण्टेज = 75 मी.।
227	धर्म कांटा / वेविंग ब्रिज	0.15	24.00	15	1:0.25	7.50	15.00	9.00	9.00	A=15	फ्रण्टेज = 30 मी.।
	ग्रामीण क्षेत्र गतिविधियां										
228	मुर्गी पालन केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 24 मी.।
229	फॉर्म हाउस	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	A=50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
230	डेयरी	0.20	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 24 मी.।
231	पशु पालन केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 24 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साइडस्		
232	पशु शोध केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 24 मी.।
233	ग्रामीण केन्द्र	0.20	9.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 24 मी.।
234	अनाज गोदाम	0.20	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 24 मी.।
235	भवन सामग्री बोर्ड	0.20	12.00	10	1:0.15	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 24 मी.।
236	मेरिज गार्डन	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
237	ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.।
238	कृषक परामर्श / सहायता केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग : एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
239	आंगनवाड़ी	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.।
240	औषधालय	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.।
241	कृषि उपकरण कर्मशाला	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	6.00	A=50	फ्रण्टेज = 18 मी.।
242	चौपाल	0.20	12.00	10	1:0.15	7.50	12.00	6.00	6.00	-	फ्रण्टेज = 24 मी.।
243	उत्सव स्थल	0.40	12.00	10	1:0.15	7.50	12.00	6.00	6.00	A=25	फ्रण्टेज = 24 मी.।

* 12-50 से ऊंचे भवनों हेतु सभी मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 अनुसार मान्य होंगे। "म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार" से आशय है "मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों अनुसार से"

नोट :- 1. सक्षम अधिकारी, उपरोक्त सारणी क्र 6-सा-8 में उल्लेखित गतिविधियों के समतुल्य अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकेगा। सक्षम अधिकारी सारणी क्र 6-सा-8 में उल्लेखित परिसरों में सहायक गतिविधियों सारणी 6-सा-9 में उल्लेखित मापदण्डों के आधार पर दे सकेगा।

6.11.3 उपयोग परिसरों में सहायक गतिविधियों संबंधी नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

सारणी क्र. 6-सा-8 में उल्लेखित उपयोग परिसरों में मान्य की जाने वाली सहायक गतिविधियां सारणी क्र. 6-सा-9 अनुसार मान्य होंगी। उपयोग परिसरों में मान्य की जाने वाली सहायक गतिविधियों का निर्धारण इस दृष्टि के साथ प्रस्तावित है कि यह सहायक गतिविधियां, उपयोग परिसरों की मुख्य गतिविधियों के संचालन में जहां सहायक होगी, वही उपयोग परिसरों की मुख्य गतिविधियों के लिये आवश्यक सहायक सेवाएँ, उसी परिसर में सरलता से उपलब्ध हो सकें तथा उपयोग परिसरों की मुख्य गतिविधियों के कारण नगर में न्यूनतम यातायात उत्पन्न हो। उपयोग परिसरों में मान्य की जाने वाली सहायक गतिविधियों का निर्धारण, इस दृष्टि के साथ भी प्रस्तावित है कि इन गतिविधियों से, उपयोग परिसरों की मुख्य गतिविधियों के विकास/निर्माण/संचालन/संधारण हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकें।

मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत

शुजालपुर : उपयोग परिसरों के नियोजन मापदंड एवं अन्य नियंत्रण

6-सा-9

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
001	वोकेशनल संस्थान (व्यवसाय संबंधी)	वोकेशनल प्रशिक्षण	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन	अधिकतम 05	
		स्टॉप क्वार्टर	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं एवं खेल	अधिकतम 05	
002	विश्वविद्यालय	शैक्षणिक एवं रिसर्च	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर एवं सुविधाएं	अधिकतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
003	शैक्षणिक महाविद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम., स्टेशनरी, जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
004	अ-इंजीनियरिंग महाविद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
	ब-चिकित्सा महाविद्यालय	शैक्षणिक / चिकित्सालय	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
005	अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		केप्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
006	पॉलीटेक्नीक	शैक्षणिक	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केप्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
007	माध्यमिक / सेकण्डरी विद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केप्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
008	प्राथमिक विद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केप्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
009	नर्सरी स्कूल	शैक्षणिक	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. , स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		कवर्ड प्ले एरिया	न्यूनतम 20	
010	प्ले स्कूल	शैक्षणिक	न्यूनतम 25	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	अधिकतम 05	
		केण्टीन, स्टेशनरी	अधिकतम 05	
		कवर्ड प्ले एरिया	न्यूनतम 60	
011	समन्वित आवासीय विद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. , स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
012	विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय	शैक्षणिक	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. , स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		फिजियो थेरेपी	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	अधिकतम 05	
		कवर्ड प्ले एरिया	न्यूनतम 05	
013	व्यवसायिक प्रबंधन संस्थान	शैक्षणिक	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम., स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	अधिकतम 05	
014	व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान	शैक्षणिक	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम., स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
015	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	अनुसंधान एवं विकास	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम., स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
016	संगीत / नृत्य / नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र	शैक्षणिक	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केप्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
017	कोचिंग इंस्टीट्यूट (शिक्षण संस्थान)	शैक्षणिक	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केप्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
018	कोचिंग सेंटर	शैक्षणिक	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केप्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
019	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	शैक्षणिक	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केप्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
020	शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र	शैक्षणिक	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
021	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	शैक्षणिक	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
022	नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान	नर्सिंग एवं पैरामेडिकल	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
023	होटल मैनेजमेंट संस्थान	होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
024	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	अनुसंधान एवं विकास	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल	अधिकतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर जैसी सुविधाएं		
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
025	अन्य शैक्षणिक संस्थान	शैक्षणिक	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
026	आई.टी.आई.	शैक्षणिक / प्रशिक्षण	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		सांस्कृतिक सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
027	किंडर गार्डन स्कूल	शैक्षणिक	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		कवर्ड प्ले एरिया	न्यूनतम 20	
028	ड्राइविंग स्कूल	शैक्षणिक / प्रशिक्षण	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केप्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होस्टल	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
029	प्रयोगशाला	अनुसंधान एवं विकास	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केप्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, स्टेशनरी, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		गेस्ट हाउस	अधिकतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
स्वास्थ्य गतिविधियां				
030	सामान्य चिकित्सालय	चिकित्सा	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केप्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, दवाई की दुकान, बैंक, पोस्ट ऑफिस, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		निजी वार्ड	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
031	विशिष्ट / सुपर स्पेशियलिटी	चिकित्सा	न्यूनतम 55	
	चिकित्सालय	प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केप्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम, दवाई की दुकान, बैंक, पोस्ट ऑफिस, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		मनोरंजन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		निजी वार्ड	अधिकतम 15	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
032	क्लिनिक / डिस्पेंसरी	चिकित्सा	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केप्टीन, दवाई की दुकान, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		निजी वार्ड	अधिकतम 15	
033	प्रसूति गृह	चिकित्सा	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केप्टीन, दवाई की दुकान, जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		निजी वार्ड	अधिकतम 15	
034	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	चिकित्सा	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केप्टीन, फोटोकॉपी, ए.टी.एम. , स्टेशनरी, दवाई की दुकान, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी	अधिकतम 10	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		सुविधाएं		
		निजी वार्ड	न्यूनतम 15	
035	नर्सिंग होम	चिकित्सा	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केप्टीन, ए.टी.एम., दवाई की दुकान, मनोरंजन, वेटिंग जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		निजी वार्ड	न्यूनतम 15	
036	पॉलिक्लिनिक	चिकित्सा	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केप्टीन, ए.टी.एम., दवाई की दुकान, मनोरंजन, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		निजी वार्ड	न्यूनतम 15	
037	क्लिनिकल प्रयोगशाला	प्रयोगशाला, एक्सरे, पेथोलॉजी, रेडियोलॉजी आदि	न्यूनतम 85	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केप्टीन, ए.टी.एम., दवाई की दुकान, मनोरंजन, जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
038	पेथोलॉजी लेब	प्रयोगशाला, एक्सरे	अधिकतम 90	
		केप्टीन, दवाई की दुकान, वेटिंग	अधिकतम 10	
039	पालतू पशु क्लिनिक	चिकित्सा	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		दवाई दुकान, जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		वार्ड	न्यूनतम 10	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
040	पालतू पशु औषधालय	चिकित्सा	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 15	
		दवाई की दुकान, वेटिंग, जैसी सुविधाएँ	अधिकतम 10	
041	डायग्नोस्टिक सेन्टर	चिकित्सा, प्रयोगशाला, एक्सरे पेथोलॉजी, रेडियोलॉजी आदि	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		केण्टीन, एटीएम, दवाई की दुकान, मनोरंजन, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएँ	अधिकतम 10	
		वार्ड	न्यूनतम 15	
042	ब्लड बैंक	ब्लड बैंक	न्यूनतम 85	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केण्टीन, एटीएम, दवाई की दुकान, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएँ	अधिकतम 10	
043	रेड क्रॉस केन्द्र	चिकित्सा, प्रयोगशाला, एक्सरे पेथोलॉजी, रेडियोलॉजी आदि	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, एटीएम, दवाई की दुकान, मनोरंजन, जनरल स्टोर, वेटिंग जैसी सुविधाएँ	अधिकतम 10	
		वार्ड	न्यूनतम 10	
044	फिजियोथेरेपी केन्द्र	फिजियोथेरेपी, चिकित्सा, प्रयोगशाला, एक्सरे आदि	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, एटीएम, दवाई की	अधिकतम 10	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		दुकान, मनोरंजन, वेटिंग, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं		
		वार्ड	न्यूनतम 10	
045	एक्सरे/रेडियोलॉजी	एक्सरे, रेडियोलॉजी	न्यूनतम 80	
		प्रयोगशाला		
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		केण्टीन, एटीएम, दवाई की दुकान, मनोरंजन, वेटिंग, जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
रहवासी गतिविधियां				
046	कामकाजी महिला छात्रावास	छात्रावास	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		एटीएम, दवाई की दुकान, फोटोकॉपी, स्टेशनरी, लॉन्ड्री, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		मनोरंजन लायब्रेरी	न्यूनतम 10	
		डाईनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
047	बाल गृह	छात्रावास	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
048	बाल सुधार गृह	छात्रावास	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		डाईनिंग, किचन, केप्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
049	झूलाघर/डे-केयर सेंटर	छात्रावास	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, केप्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
050	अनाथालय	छात्रावास	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, केप्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
051	वृद्धाश्रम	निवासकक्ष	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, केप्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
052	धर्मशाला	शयनकक्ष	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, केप्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर		
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
053	लॉजिंग	शयनकक्ष	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 10	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
054	लॉजिंग एवं बोर्डिंग	शयनकक्ष	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
055	होस्टल	छात्रावास	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
056	बोर्डिंग	शयनकक्ष	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, केण्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
057	रेस्ट हाउस/अतिथि गृह	शयनकक्ष	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, केप्टीन, स्टोर	न्यूनतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
058	रात्रि विश्राम गृह	शयनकक्ष	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय, वेटिंग	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर केप्टीन जैसी सुविधाएं	अधिकतम 15	
		चिकित्सा सुविधा	न्यूनतम 05	
059	सर्किट हाउस	शयनकक्ष	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		लॉन्ड्री, मनोरंजन, लायब्रेरी, जनरल स्टोर जैसी सुविधाएं	अधिकतम 05	
		डाईनिंग, किचन, स्टोर	न्यूनतम 10	
		वेटिंग	न्यूनतम 10	
		मिटिंग कक्ष	न्यूनतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
060	भूखण्डीय विकास	आवासीय भूखण्ड	अधिकतम 58	
		मार्ग	अधिकतम 28	
		खुला क्षेत्र	न्यूनतम 10	
		सर्विस क्षेत्र	न्यूनतम 02	
		अन्य सुविधाएं	जनसंख्या के मान से म.प्र.भू.वि.नि. अनुसार	
		आगन्तुक पार्किंग	न्यूनतम 02	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
061	ग्रूप हाउसिंग	आवासीय फ्लेट्स	अधिकतम 75	
		मार्ग	आवश्यकता अनुसार	
		भूखण्ड का खुला क्षेत्र	न्यूनतम 20	
		सर्विसेस क्षेत्र भूखण्ड का	न्यूनतम 02	
		अन्य सुविधाएं : शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक	जनसंख्या के मान से म.प्र.भू.वि.नि. अनुसार	
		आगन्तुक पार्किंग	न्यूनतम 03	
062	अपार्टमेन्ट हाउसिंग	आवासीय फ्लेट्स	अधिकतम 75	
		मार्ग	आवश्यकता अनुसार	
		भूखण्ड का खुला क्षेत्र	न्यूनतम 15	
		सर्विसेस क्षेत्र भूखण्ड का	न्यूनतम 05	
		आगन्तुक पार्किंग	न्यूनतम 05	
063	आवासीय भूखण्ड	आवासीय	न्यूनतम 75	
		व्यवसायिक या स्वास्थ्य कंसलटेन्सी सेवाएं	अधिकतम 25	
064	शापिंग मॉल	शापिंग मॉल	न्यूनतम 60	
		स्टोर / प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होटल	न्यूनतम 15	
		कार्पोरेट ऑफिस	अधिकतम 15	
065	मल्टीप्लेक्स	शापिंग	न्यूनतम 30	
		होटल	अधिकतम 10	
		सिनेमा	न्यूनतम 25	
		प्ले झोन / गेमिंग झोन	अधिकतम 15	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		फूड झोन	न्यूनतम 10	
		कार्पोरेट ऑफिस,	अधिकतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर/प्रशासकीय		
066	सुपर मार्केट/डिपार्टमेंट स्टोर्स	शापिंग मॉल	न्यूनतम 60	
		स्टोर/प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होटल	न्यूनतम 15	
		कार्पोरेट ऑफिस	अधिकतम 15	
067	कैफेटेरिया	कैफेटेरिया	न्यूनतम 70	
		स्टोर/प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		शापिंग	न्यूनतम 15	
		प्ले झोन	न्यूनतम 05	
068	कन्वेंशन सेंटर	कॉन्फ्रेंस एरिया	न्यूनतम 22	
		मीडिया एरिया	न्यूनतम 05	
		होटल	न्यूनतम 20	
		शापिंग मॉल	न्यूनतम 15	
		सिनेमा	न्यूनतम 05	
		प्ले झोन	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 01	
		फूड झोन	न्यूनतम 05	
		प्रदर्शनी झोन	न्यूनतम 08	
		कार्पोरेट ऑफिस, स्टोर/प्रशासकीय	न्यूनतम 10	
		क्लब/स्विमिंग पूल	न्यूनतम 02	
		सर्विस एरिया	न्यूनतम 02	
069	सुविधाजनक दुकानें	शापिंग	न्यूनतम 85	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		इनफारमल शापिंग	न्यूनतम 10	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
070	स्थानीय दुकानें	शापिंग	न्यूनतम 60	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		इनफार्मल शापिंग	न्यूनतम 15	
		कार्यालय स्टोर / प्रशासकीय	न्यूनतम 15	
		सर्विस एरिया	न्यूनतम 05	
071	साप्ताहिक हाट बाजार	शापिंग	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		इनफार्मल शापिंग	न्यूनतम 60	
		कार्यालय	न्यूनतम 15	
		सर्विस एरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर / प्रशासकीय	अधिकतम 05	
072	व्यवसायिक कॉर्पोरेट कार्यालय	कॉर्पोरेट ऑफिस	न्यूनतम 60	
		स्टोर प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		होटल	न्यूनतम 15	
		शापिंग	अधिकतम 15	
073	सिनेमा हाल	सिनेमा हाल	न्यूनतम 60	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		रेस्टॉरेन्ट / कैफेटेरिया	अधिकतम 15	
		शॉपस्	अधिकतम 05	
		स्टोर प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		फोयर	न्यूनतम 05	
074	होटल	होटल	न्यूनतम 50	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 02	
		शॉपस्	अधिकतम 03	
		कॉन्फ्रेन्स	अधिकतम 10	
		डॉइनिंग एरिया	न्यूनतम 10	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		किचन	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		स्टोर/प्रशासकीय	न्यूनतम 05	
		वॉशिंग	न्यूनतम 03	
		लॉन्ड्री	न्यूनतम 02	
075	मोटल	मोटल रुम	न्यूनतम 50	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 02	
		शॉपस्	अधिकतम 05	
		कॉन्फ्रेंस	अधिकतम 10	
		डॉईनिंग एरिया	न्यूनतम 10	
		किचन	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		वॉशिंग	न्यूनतम 03	
076	रेस्टॉरेंट	रेस्टॉरेंट	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		प्रशासन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		शापिंग	न्यूनतम 15	
		प्ले झोन	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
077	ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र	ईंधन भराव क्षेत्र	भू.वि.नि. अनुसार	
		सर्विस स्टेशन	भू.वि.नि. अनुसार	
		जनरल शॉप	भू.वि.नि. अनुसार	
		ऑटो पार्ट शॉप	भू.वि.नि. अनुसार	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	05	
		स्टॉफ क्वार्टर	05	
078	व्यवसाय	व्यवसाय	न्यूनतम 75	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टोर एवं अन्य सुविधाएं	न्यूनतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
079	ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशाप	सर्विस स्टेशन	न्यूनतम 70	
		जनरल शॉप	अधिकतम 05	
		ऑटो पार्ट शॉप	अधिकतम 13	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 05	
		एटीएम	अधिकतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
080	स्टोरेज/गोदाम अज्वलनशील पदार्थ	स्टोरेज/गोदाम	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 10	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		प्लान्ट/मशीनरी	अधिकतम 10	
081	स्टोरज ज्वलनशील पदार्थ डीजल आदि	स्टोरेज ज्वलनशील पदार्थ	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		प्लान्ट/मशीनरी	अधिकतम 10	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 10	
082	जंकयार्ड	जंकयार्ड भूखण्ड क्षेत्र का	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		प्लान्ट/मशीनरी	अधिकतम 10	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
083	वेयर हाउस/स्टोरेज/एफ. एम.सी.जी. गोदाम	वेयर हाउस/स्टोरेज/एफ. एम.सी.जी. गोदाम	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	
		प्लान्ट / मशीनरी	अधिकतम 10	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		फार्वर्डिंग एजेंन्सी कार्यालय	अधिकतम 05	
084	कॉल सेन्टर	कॉल सेन्टर	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 10	
		स्टोर एवं अन्य सुविधाएं	न्यूनतम 10	
085	ए.टी.एम.	ए.टी.एम.	अधिकतम 80	
		अन्य सुविधाएं	अधिकतम 20	
086	मैरिज हाल	मैरिज हॉल	न्यूनतम 40	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		ठहरने हेतु कमरे	न्यूनतम 10	
		अन्य सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		किचन / पेन्ट्री	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		डायनिंग एरिया	न्यूनतम 15	
087	बारात घर	हॉल	न्यूनतम 40	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		ठहरने हेतु कमरे	न्यूनतम 10	
		अन्य सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		किचन / पेन्ट्री	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		डायनिंग एरिया	न्यूनतम 15	
088	कल्याण मंडपम	हॉल	न्यूनतम 40	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		ठहरने हेतु कमरे	न्यूनतम 10	
		अन्य सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		किचन/पेन्ट्री	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		डायनिंग एरिया	न्यूनतम 15	
089	मांगलिक भवन	हॉल	न्यूनतम 40	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		ठहरने हेतु कमरे	न्यूनतम 10	
		अन्य सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		किचन/पेन्ट्री	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		डायनिंग एरिया	न्यूनतम 15	
090	मैरिज गार्डन	मैरिज हॉल	न्यूनतम 40	
		प्रशासकीय	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		ठहरने हेतु कमरे	अधिकतम 10	
		अन्य सुविधाएं	अधिकतम 05	
		किचन/पेन्ट्री	अधिकतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		डायनिंग एरिया	न्यूनतम 15	
091	कार्गो मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के	कार्गो/वेयर हाउस/स्टोरेज/एफ.एम.सी. जी. गोदाम	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 10	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्लान्ट / मशीनरी	अधिकतम 10	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		फार्वर्डिंग एजेंन्सी कार्यालय	अधिकतम 05	
		रेस्टॉरेन्ट / कैफेटेरिया	न्यूनतम 05	
092	ऑटो मोबाइल शोरूम मय सर्विस स्टेशन / वाहन विक्रय केन्द्र के या बिना इन सुविधाओं के	शोरूम	न्यूनतम 40	
		सर्विस स्टेशन	अधिकतम 30	
		प्रशासकीय, प्रसाधन सुविधाएं	अधिकतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		प्लान्ट / मशीनरी	अधिकतम 10	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		रेस्टॉरेन्ट / कैफेटेरिया	अधिकतम 05	
093	प्रिंटिंग प्रेस	प्रिंटिंग प्रेस	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 15	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 10	
		स्टेशनरी	अधिकतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
094	पेट्रोलियम उत्पाद डिपो	पेट्रोलियम डिपो	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 15	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 10	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
095	गैस गोडाउन	गैस गोडाउन	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 15	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 10	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
096	अनाज मण्डी	अनाज मण्डी	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 02	
		पोस्ट आफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		गेस्ट हाउस	अधिकतम 03	
		वाहन मरम्मत	अधिकतम 03	
		मृदा परीक्षण सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रशिक्षण सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	अधिकतम 03	
097	सब्जी/फल मण्डी	सब्जी/फल मण्डी	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 04	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		बैंक	अधिकतम 02	
		पोस्ट आफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		गेस्ट हाउस	अधिकतम 02	
		वाहन मरम्मत	अधिकतम 03	
		मृदा परीक्षण सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रशिक्षण सुविधाएं	न्यूनतम 02	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 02	
		वेविंग ब्रिज	न्यूनतम 02	
098	लोहा मण्डी	लोहा मण्डी	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 02	
		पोस्ट आफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत	न्यूनतम 04	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज	न्यूनतम 02	
099	भवन सामग्री यार्ड	भवन सामग्री यार्ड	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन, रेस्ट रूम, सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		वेविंग ब्रिज	न्यूनतम 05	
100	सी.एन.जी. केन्द्र	सी.एन.जी. केन्द्र	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम, सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
101	सर्विस स्टेशन	सर्विस स्टेशन	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम, सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
102	ब्यूटी पार्लर	ब्यूटी पार्लर	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा स्थान	न्यूनतम 05	
103	तौल कांटा	तौल कांटा	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
104	थोक मार्केट	थोक मार्केट दुकानें	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 02	
		पोस्ट आफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत	न्यूनतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		वेकिंग ब्रिज	न्यूनतम 02	
105	दवाई मार्केट	दवाई मार्केट दुकानें	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 01	
		पोस्ट आफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 02	
106	स्टेशनरी मार्केट	स्टेशनरी मार्केट दुकानें	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 01	
		पोस्ट आफिस	अधिकतम 02	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
107	ऑटोमोबाइल मार्केट	ऑटोमोबाइल मार्केट दुकानें	न्यूनतम 45	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 02	
		पोस्ट आफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत	न्यूनतम 15	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 04	
108	फायर वर्कस् मार्केट	फायर वर्कस् मार्केट दुकानें	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 02	
		पोस्ट आफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		गेस्ट हाउस	अधिकतम 03	
		वाहन मरम्मत	न्यूनतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 03	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
109	सर्साफा मार्केट	सर्साफा मार्केट	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 02	
		पोस्ट आफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		गेस्ट हाउस	अधिकतम 03	
		वाहन मरम्मत	न्यूनतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 03	
110	क्राकरी मार्केट	क्राकरी मार्केट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		111	कपड़ा मार्केट	
प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05			
केन्टीन	अधिकतम 05			
स्टोर	न्यूनतम 05			

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
112	बर्तन बाजार	बर्तन बाजार	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
113	मरम्मत बाजार	मरम्मत बाजार	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
114	टिम्बर मार्केट	टिम्बर मार्केट	न्यूनतम 60	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
115	केमिकल बाजार	केमिकल बाजार	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
116	ई-चौपाल	ई-चौपाल	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन, फूड झोन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
117	कम्प्यूटर सेंटर	कम्प्यूटर सेंटर	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन, सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
118	इन्फार्मल शॉपिंग	इन्फार्मल शॉपिंग	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन, सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
119	बैंकवेट हॉल	बैंकवेट हॉल	अधिकतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 03	
		केन्टीन, किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम, ठहरने के कमरे	अधिकतम 15	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
120	एफ.एम.सी.जी.	एफ.एम.सी.जी. गोडाउन	अधिकतम 65	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन, किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
121	वेयर हाउस	वेयर हाउस	अधिकतम 65	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन, किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
122	कोल यार्ड	कोल यार्ड	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं	न्यूनतम 05	
123	मीट मार्केट	मीट मार्केट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		बैंक, ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
124	सायबर केफे	सायबर केफे	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन, सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
125	ढाबा	ढाबा	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / किचन	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		सुविधा / मरम्मत दुकानें	अधिकतम 10	
126	रेल / एयर टिकिट घर	रेल / एयर टिकिट घर	न्यूनतम 70	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
127	खुला रंग मंच	खुला रंग मंच	अधिकतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री,	अधिकतम 10	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		सुविधा दुकानें		
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
128	योग केन्द्र	योग केन्द्र	अधिकतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन/किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक/ए.टी.एम., सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
129	आध्यात्मिक केन्द्र	आध्यात्मिक केन्द्र	अधिकतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन/किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक/ए.टी.एम., सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
130	सांस्कृतिक/सूचना केन्द्र	सांस्कृतिक/सूचना केन्द्र	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन/किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक/ए.टी.एम., सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर में संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
131	सामाजिक कल्याण केन्द्र	सामाजिक कल्याण केन्द्र	अधिकतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम., सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
132	लाइब्रेरी	लाइब्रेरी	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 15	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		ए.टी.एम., सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		133	धार्मिक परिसर	
प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02			
केन्टीन / किचन, पेन्ट्री	अधिकतम 05			
स्टोर	न्यूनतम 05			
रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05			
प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05			
बैंक / ए.टी.एम.,	अधिकतम 03			
रेस्ट रूम	अधिकतम 05			
लायब्रेरी	अधिकतम 05			
सुविधा दुकानें	अधिकतम 05			

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
134	कॉन्फ्रेंस हॉल / प्रदर्शनी केन्द्र	कॉन्फ्रेंस हॉल / प्रदर्शनी केन्द्र	न्यूनतम 40	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री डाईनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम.,	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		मीडिया सेन्टर	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		होटल	न्यूनतम 10	
135	नाट्य गृह	नाट्य गृह	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, डाईनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		मीडिया सेन्टर	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		136	कम्यूनिटी हॉल	
प्रशासकीय / सुरक्षा	न्यूनतम 05			
केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, डाईनिंग	न्यूनतम 05			
स्टोर	न्यूनतम 05			
रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05			
प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05			

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		मीडिया सेन्टर	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
137	स्वयं सेवी संस्थान	स्वयं सेवी संस्थान	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	न्यूनतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, डाईनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
138	क्रेच / झुलाघर	क्रेच / झुलाघर	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	न्यूनतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, डाईनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		139	आर्ट / गैलेरी संग्रहालय	आर्ट गैलेरी / संग्रहालय
प्रशासकीय / सुरक्षा	न्यूनतम 05			
केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, डाईनिंग	न्यूनतम 05			
स्टोर	न्यूनतम 05			
रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05			

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
140	खेल का मैदान / नेवरहूड पार्क	खेल का मैदान / नेवरहूड पार्क	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री,	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 03	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	न्यूनतम 05	
141	गोल्फ कोर्स	गोल्फ कोर्स	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, डाईनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 02	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 02	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		लायब्रेरी	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 02	
		मीडिया सेन्टर	न्यूनतम 02	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		क्लब	अधिकतम 02	
		जिम, फिटनेस क्लब,	अधिकतम 02	
		ऑडिटोरियम, थियेटर	अधिकतम 03	
142	एम्यूजमेंट पार्क / मय राईड्स, कियोस्क, संधारण कार्यालय, डांस पलोर सहित या	एम्यूजमेंट पार्क / मय राईड्स,	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, डाईनिंग	न्यूनतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
	बिना इन सुविधाओं के	स्टोर	न्यूनतम 02	
		रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		लायब्रेरी	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		मीडिया सेन्टर	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		क्लब	अधिकतम 03	
		जिम, फिटनेस क्लब,	अधिकतम 02	
		ऑडिटोरियम, थियेटर	अधिकतम 05	
		होटल	न्यूनतम 05	
143	क्लब/रिसोर्ट	क्लब, रिसोर्ट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन/रेस्टोरेंट/केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 02	
		रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		लायब्रेरी	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		मीडिया सेन्टर	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		क्लब	अधिकतम 03	
		जिम, फिटनेस क्लब,	अधिकतम 02	
		ऑडिटोरियम, थियेटर	अधिकतम 05	
144	घुड़सवारी प्रशिक्षण स्कूल	घुड़सवारी प्रशिक्षण स्कूल	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 03	
		केन्टीन/रेस्टोरेंट,केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 03	
		रेस्ट रूम/कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		लायब्रेरी	अधिकतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		क्लब	अधिकतम 03	
		जिम, फिटनेस क्लब,	अधिकतम 02	
		ऑडिटोरियम	अधिकतम 05	
145	जिम्नेशियम मय पूल गेम, स्नेकस् एवं जूस शॉप, योग केन्द्र या इन सुविधाओं बिना	जिम्नेशियम मय पूल गेम, स्नेकस् एवं जूस शॉप, योग केन्द्र	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 03	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 03	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		लायब्रेरी	अधिकतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		क्लब	अधिकतम 10	
146	बोट क्लब	बोट क्लब	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 10	
		टिकट काउण्टर	अधिकतम 02	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमांक
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
147	आंतरिक स्टेडियम	आंतरिक स्टेडियम	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / किचन, पेन्ट्री, डाईनिंग	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें / मॉल	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		टिकट काउण्टर	न्यूनतम 02	
		कर्मचारी आवास	न्यूनतम 02	
		क्लब	न्यूनतम 02	
		स्वीमिंग पूल	न्यूनतम 02	
		होस्टल / होटल	न्यूनतम 05	
148	स्टेडियम	स्टेडियम	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें / मॉल	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		टिकट काउण्टर	न्यूनतम 03	
		कर्मचारी आवास	न्यूनतम 03	
		क्लब	न्यूनतम 03	
		स्वीमिंग पूल	न्यूनतम 02	
		होस्टल / होटल	न्यूनतम 05	
149	स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स	स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 02	
		बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		सुविधा दुकानें/मॉल/	अधिकतम 10	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		टिकट काउण्टर	न्यूनतम 02	
		कर्मचारी आवास	न्यूनतम 03	
		क्लब	न्यूनतम 03	
		स्वीमिंग पूल	न्यूनतम 02	
		होस्टल/होटल	न्यूनतम 05	
150	आरचर्ड	आरचर्ड	—	—
		स्टोर	—	7.5x7.5मी.
		रेस्ट रूम	—	10.0x10.0 मी.
		प्रसाधन सुविधाएँ	—	6.0x6.0मी
		किचन, पेन्ट्री,	—	6.0x6.0मी.
		नर्सरी	—	10.0x10.0 मी.
151	तरणताल	तरणताल	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 03	
		केन्टीन/रेस्टोरेंट/केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम/गोस्ट रूम	अधिकतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		टिकट काउण्टर	न्यूनतम 03	
		कर्मचारी आवास	न्यूनतम 03	
		शॉपिंग	अधिकतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
152	पिकनिक हट	पिकनिक हट	—	प्रत्येक हट 7.5x7.5मी.
		स्टोर	—	7.5x7.5मी.
		रेस्ट रूम	—	10.0x10.0 मी.
		प्रसाधन सुविधाएँ	—	6.0x6.0मी
		किचन, पेन्ट्री, नर्सरी	—	6.0x6.0मी
			—	10.0x10.0 मी
153	फलाईंग क्लब	फलाईंग प्रशिक्षण	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम / कर्मचारी आवास	अधिकतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		कर्मचारी आवास	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 03	
154	फिटनेस क्लब	फिटनेस क्लब / जिम	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी / कंसलटेशन	न्यूनतम 03	
			प्ले एरिया	अधिकतम 05
155	मेला मैदान	मेला मैदान	न्यूनतम 55	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 02	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 01	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 01	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 01	
		मीडिया रूम	अधिकतम 01	
		ओपन एयर थियटर	अधिकतम 05	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	अधिकतम 05	
156	नर्सरी	नर्सरी	न्यूनतम 65	
		कार्यालय / स्टोर	अधिकतम 15	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 10	
157	पक्षी अभ्यारण	पक्षी अभ्यारण	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	अधिकतम 05	
		नर्सरी	अधिकतम 05	
158	वनस्पति उद्यान	वनस्पति उद्यान	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	न्यूनतम 05	
		नर्सरी	न्यूनतम 05	
159	प्राणी उद्यान	प्राणी उद्यान	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	न्यूनतम 05	
		नर्सरी	न्यूनतम 05	
160	मत्स्यालय	मत्स्यालय	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
161	केम्पिंग साइट	केम्पिंग साइट	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		मानोरंजन / सांस्कृतिक	न्यूनतम 05	
		नर्सरी	न्यूनतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	न्यूनतम 05	
		नर्सरी	न्यूनतम 05	
162	वाटर पार्क मय राईड्स, कियोस्क, संधारण कार्यालय, डांस फ्लोर सहित या बिना इन सुविधाओं के	वाटर पार्क	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	न्यूनतम 05	
		नर्सरी	न्यूनतम 05	
163	रिसार्ट / पर्यटक कुटीर	रिसार्ट / पर्यटक कुटीर	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मानोरंजन / सांस्कृतिक	न्यूनतम 05	
		नर्सरी	न्यूनतम 05	
	शासकीय गतिविधियाँ			
164	शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय / उपक्रम, अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर सहित	शासकीय / अर्द्धशासकीय / उपक्रम कार्यालय प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 50	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 02	
		स्टोर	न्यूनतम 08	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	अधिकतम 03	
		ए.टी.एम.	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा कक्ष	अधिकतम 01	
		सुविधा दुकानें	न्यूनतम 02	
		लायब्रेरी	अधिकतम 05	
		प्ले एरिया	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 05	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 02	
		नर्सरी	अधिकतम 05	
165	न्यायालय	न्यायालय	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 04	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		नर्सरी	अधिकतम 05	
166	जेल	जेल	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम. / बैंक	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 03	
		प्ले एरिया	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 03	
		नर्सरी	न्यूनतम 01	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		मानोरंजन / सांस्कृतिक	अधिकतम 03	
		आर्ट एवं क्राफ्ट	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
167	स्थानीय निकाय कार्यालय	स्थानीय निकाय कार्यालय	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम. / बैंक	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 02	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 03	
		नर्सरी	न्यूनतम 01	
		संग्रहालय	अधिकतम 01	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	अधिकतम 02	
		वर्कशॉप	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
168	पुलिस स्टेशन	पुलिस स्टेशन	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम. / बैंक	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
169	पुलिस पोस्ट	पुलिस पोस्ट	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
170	बैंक	बैंक	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
	सार्वजनिक सेवाएँ सुविधाएँ			
171	शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय / उपक्रम अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर सहित	शासकीय अर्ध शासकीय अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर	न्यूनतम 80	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		सुविधा दुकानें	न्यूनतम 03	
		प्राथमिक उपचार	न्यूनतम 02	
		मानोरंजन / सांस्कृतिक / लायब्रेरी / जिम	अधिकतम 05	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
172	पोस्ट आफिस	पोस्ट आफिस	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
173	दूर संचार टावर / स्टेशन	दूर संचार टावर / स्टेशन	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
174	जल शोधन संयंत्र	जल शोधन संयंत्र	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम. / बैंक	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्ले एरिया	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 03	
		नर्सरी	न्यूनतम 01	
		संग्रहालय	अधिकतम 02	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	अधिकतम 03	
		वर्कशॉप	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
175	कम्बाईन्ड ट्रीटमेंट प्लान्ट	कम्बाईन्ड ट्रीटमेंट प्लान्ट	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 04	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 07	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		लायब्रेरी	न्यूनतम 04	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
176	वेस्ट वाटर शोधन / उपचार संयंत्र	वेस्ट वाटर शोधन / उपचार संयंत्र	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	अधिकतम 02	
		ए.टी.एम.	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	अधिकतम 01	
		सुविधा दुकानें	न्यूनतम 03	
		लायब्रेरी	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	न्यूनतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 02	
		जनरेटर	अधिकतम 05	
			न्यूनतम 02	
177	दूर संचार केन्द्र	दूर संचार केन्द्र	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 07	
		प्रसाधन सुविधाएँ	अधिकतम 02	
		ए.टी.एम.	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	अधिकतम 03	
		सुविधा दुकानें	न्यूनतम 03	
		लायब्रेरी	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	न्यूनतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 02	
		जनरेटर	अधिकतम 05	
			न्यूनतम 02	
178	ट्रॉसमिशन टावर /	ट्रॉसमिशन टावर / वायर लेस	न्यूनतम 60	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
	वायर लेस स्टेशन	स्टेशन		
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	07
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम	03
		ए.टी.एम.	अधिकतम	01
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम	03
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	03
		लायब्रेरी	न्यूनतम	02
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम	02
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम	05
		जनरेटर	न्यूनतम	02
179	रेडियो स्टेशन	रेडियो स्टेशन	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	07
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम	03
		ए.टी.एम.	अधिकतम	01
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम	03
		सुविधा दुकानें	अधिकतम	03
		लायब्रेरी	न्यूनतम	02
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम	02
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम	05
		जनरेटर	न्यूनतम	02
180	वैधशाला	वैधशाला	न्यूनतम	60
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम	05
		केन्टीन	न्यूनतम	05
		स्टोर	न्यूनतम	07
		रेस्ट रूम	अधिकतम	02
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम	03

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
181	अग्निशमन केन्द्र	अग्निशमन केन्द्र	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
182	टेलीविजन स्टेशन	टेलीविजन स्टेशन	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
183	मौसम कार्यालय	मौसम कार्यालय	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
184	विद्युत सब स्टेशन	विद्युत सब स्टेशन	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
185	श्मशान / कब्रस्तान / सिमीट्री	श्मशान / कब्रस्तान / सिमीट्री	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
186	दूर संचार टॉवर	दूर संचार टॉवर	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
187	गौशाला	गौशाला	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 03	
		केन्टीन	न्यूनतम 04	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
188	उपग्रह ट्रेकिंग	उपग्रह ट्रेकिंग स्टेशन	न्यूनतम 60	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
	स्टेशन	प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
189	दूरभाष केन्द्र	दूरभाष केन्द्र	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
जनरेटर	न्यूनतम 02			
190	विन्ड मिल्स / फार्म	विन्ड मिल्स / फार्म	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
191	सार्वजनिक शौचालय	सार्वजनिक शौचालय	न्यूनतम 90	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
192	विद्युत शवदाह गृह	श्मशान / कब्रस्तान / सिमीट्री	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
193	ओवर हेड पानी की टंकी	ओवर हेड पानी की टंकी	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
194	भूमिगत पानी की टंकी	भूमिगत पानी की टंकी	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
195	आक्सीडेशन पौंड	आक्सीडेशन पौंड	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 02	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
196	सेप्टिक टैंक	सेप्टिक टैंक	न्यूनतम 100	
197	सार्वजनिक शौचालय	सार्वजनिक शौचालय	न्यूनतम 90	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
198	घूरा एवं कचराघर	घूरा / कचराघर	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
199	धोबी घाट	धोबी घाट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
	औद्योगिक सुविधाएं			
200	एग्रो स्तर उद्योग	एग्रो स्तर उद्योग	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें / ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
201	डेयरी प्लांट	डेयरी प्लांट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें/ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
202	औद्योगिक भूखण्डीय विकास	औद्योगिक भूखण्डीय विकास	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	
203	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन/रेस्टॉरेंट	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें, बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		जिम, हेल्थ क्लब	न्यूनतम 02	
204	डेरी प्लांट	डेरी प्लांट	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन/रेस्टॉरेंट	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें, बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03			

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
205	स्लाटर हाउस	स्लाटर हाउस	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें / ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		206	फेलेटेड फैक्टरी	फेलेटेड फैक्टरी
प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05			
केन्टीन	अधिकतम 05			
स्टोर	न्यूनतम 09			
रेस्ट रूम	अधिकतम 02			
प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03			
प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03			
सुविधा दुकानें / ए.टी.एम.	अधिकतम 03			
प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03			
स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05			
जनरेटर	न्यूनतम 02			
207	एक्सटेंसिव / विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग			एक्सटेंसिव / विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		सुविधा दुकानें/ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
208	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन/रेस्टॉरेंट	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 07	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें, बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		जिम, हेल्थ क्लब	न्यूनतम 02	
209	फूड पार्क	फूड पार्क	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन/रेस्टॉरेंट	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें, बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 02	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 01	
		जिम, हेल्थ क्लब	न्यूनतम 02	
		होटल, गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		टेस्टिंग लेब, रिसर्च लेब	न्यूनतम 02	
210	सॉफ्टवेयर पार्क	सॉफ्टवेयर पार्क	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 03	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		केन्टीन/रेस्टॉरेंट	अधिकतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 02	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 02	
		सुविधा दुकानें, बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 01	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 01	
		जिम, हेल्थ क्लब	न्यूनतम 02	
		होटल, गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		टेस्टिंग लेब, रिसर्च लेब	न्यूनतम 02	
		मॉल/मल्टीप्लेक्स/सुपर मार्केट	न्यूनतम 05	
		क्लब/स्वीमिंग पूल	अधिकतम 02	
		आवासीय फ्लेट्स	अधिकतम 05	
211	दुग्ध केन्द्र	दुग्ध केन्द्र	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय/सुरक्षा	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 09	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		प्रतीक्षा क्षेत्र	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें, बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 03	
		स्टाफ क्वार्टर	अधिकतम 05	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
	यातायात सुविधाएं			
212	बस स्टेण्ड	बस स्टेण्ड	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय/सुरक्षा/पुलिस चौकी	अधिकतम 05	
		केन्टीन/रेस्टॉरेंट/केफेटेरिया	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं/सुलभ कॉम्प्लेक्स	न्यूनतम 03	
		बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत/वर्कशॉप	न्यूनतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग	न्यूनतम 03	
		सुविधाएं/होटल/गेस्ट हाउस		
		वेविंग ब्रिज/पार्सल	न्यूनतम 02	
		क्लॉक रूम/टिकट काउण्टर	न्यूनतम 01	
		इन्टरनेट केफे, ए.टी.डी. पी.सी.ओ.	न्यूनतम 01	
		ट्रेवल कम्पनी/एजेन्ट ऑफिसेस	न्यूनतम 02	
213	बस टर्मिनल	बस टर्मिनल	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय/सुरक्षा/पुलिस चौकी	अधिकतम 05	
		केन्टीन/रेस्टॉरेंट/केफेटेरिया	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएं/सुलभ कॉम्प्लेक्स	न्यूनतम 03	
		बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत/वर्कशॉप	न्यूनतम 02	
		लॉजिंग/बोर्डिंग सुविधाएं/होटल/गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज/पार्सल	न्यूनतम 02	
		क्लॉक रूम/टिकट काउण्टर	न्यूनतम 01	
		इन्टरनेट केफे, ए.टी.डी. पी.सी.ओ.	न्यूनतम 01	
		ट्रेवल कम्पनी/एजेन्ट ऑफिसेस	न्यूनतम 02	
214	पिकअप स्टेशन	पिकअप स्टेशन	न्यूनतम 75	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 03	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 03	
		क्लॉक रूम / टिकट काउण्टर	न्यूनतम 03	
215	बस स्टॉप	बस स्टॉप / प्रतीक्षालय	न्यूनतम 80	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 10	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 10	
216	यातायात नगर	गोदाम, ट्रांसपोर्ट संबंधी दुकानें	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / कैफेटेरिया / ढाबा	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं / सुलभ कॉम्प्लेक्स	न्यूनतम 02	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 02	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 02	
		वाहन मरम्मत / वर्कशॉप	न्यूनतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग	न्यूनतम 02	
		सुविधाएं / होटल / गेस्ट हाउस		
		वेविंग ब्रिज / पार्सल	न्यूनतम 02	
		क्लॉक रूम	न्यूनतम 01	
		इन्टरनेट केफे, ए.टी.डी. पी.सी.ओ.	न्यूनतम 01	
		ट्रेवल कम्पनी / एजेन्ट ऑफिस	न्यूनतम 02	
		ट्रांसपोर्ट संबंधी शोरूम	अधिकतम 05	
217	मेकेनिक नगर	ट्रांसपोर्ट वाहन सुधार संबंधी दुकानें / वर्कशॉप	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		केन्टीन / रेस्टोरेंट / केफेटेरिया / ढाबा	अधिकतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाईटिंग	न्यूनतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएं / सुलभ कॉम्प्लेक्स	न्यूनतम 02	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 03	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं / होटल / गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज / पार्सल	न्यूनतम 02	
		क्लॉक रूम	न्यूनतम 01	
		इन्टरनेट केफे, ए.टी.डी. पी.सी.ओ.	न्यूनतम 01	
		ट्रेवल कम्पनी / एजेन्ट ऑफिसेस	न्यूनतम 02	
		ट्रांसपोर्ट संबंधी शोरूम	अधिकतम 05	
218	ऑटो स्टेण्ड / टेक्सी स्टेण्ड	ऑटो स्टेण्ड / टेक्सी स्टेण्ड	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 05	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 05	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 05	
		वाहन मरम्मत संबंधी दुकानें / वर्कशॉप	न्यूनतम 15	
219	मल्टी लेवल पार्किंग	मल्टी लेवल पार्किंग	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 03	
		केन्टीन	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं	न्यूनतम 03	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 03	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		वाहन मरम्मत संबंधी दुकानें / सुविधा दुकानें	अधिकतम 06	
220	बस डिपो / कर्मशाला	बस डिपो / कर्मशाला	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 05	
		केन्टीन / रेस्टॉरेन्ट / केफेटेरिया	अधिकतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएं / सुलभ काम्प्लेक्स	न्यूनतम 03	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत / वर्कशॉप	न्यूनतम 05	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं / होटल / गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज / पार्सल	न्यूनतम 02	
		क्लॉक रूम / टिकट काउण्टर	न्यूनतम 01	
इन्टरनेट केफे, एस.टी.डी., पी.सी.ओ.	न्यूनतम 01			
ट्रेवल कम्पनी / एजेन्ट ऑफिस	न्यूनतम 02			
221	कागों	गोदाम / ट्रांसपोर्ट संबंधी दुकानें एवं कार्यालय	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय / सुरक्षा / पुलिस चौकी	अधिकतम 04	
		केन्टीन / रेस्टॉरेन्ट / केफेटेरिया / ढाबा	अधिकतम 04	
		स्टोर	न्यूनतम 04	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 04	
		प्रसाधन सुविधाएं / सुलभ काम्प्लेक्स	न्यूनतम 03	
		बैंक / ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 03	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		वाहन मरम्मत / वर्कशॉप	न्यूनतम 04	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं/होटल/गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज/पार्सल	न्यूनतम 02	
		क्लॉक रूम	न्यूनतम 01	
		इन्टरनेट केफे, एस.टी.डी., पी.सी.ओ.	न्यूनतम 01	
		ट्रेवल कम्पनी/एजेन्ट ऑफिसेस	न्यूनतम 02	
		कम्पनी शोरूम	अधिकतम 05	
222	पार्किंग			
223	कन्टेनर डिपो मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के	कन्टेनर डिपो/गोदाम, ट्रांसपोर्ट/फारवर्डिंग एजेन्सी संबंधी कार्यालय	न्यूनतम 50	
		प्रशासकीय/सुरक्षा/पुलिस चौकी	अधिकतम 04	
		केन्टीन/रेस्टॉरेंट/केफेटेरिया/ढाबा	अधिकतम 04	
		स्टोर	न्यूनतम 04	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 02	
		फायर फाइटिंग	न्यूनतम 04	
		प्रसाधन सुविधाएं/सुलभ काम्प्लेक्स	न्यूनतम 03	
		बैंक/ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		पोस्ट ऑफिस	अधिकतम 02	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		प्रतीक्षालय	न्यूनतम 03	
		वाहन मरम्मत / वर्कशॉप	न्यूनतम 04	
		लॉजिंग बोर्डिंग सुविधाएं/होटल/गेस्ट हाउस	न्यूनतम 03	
		वेविंग ब्रिज/पार्सल	न्यूनतम 02	
		क्लॉक रूम	न्यूनतम 01	
		इन्टरनेट केफे, एस.टी.डी., पी.सी.ओ.	न्यूनतम 01	
		ट्रेवल कम्पनी/एजेन्ट ऑफिसेस	न्यूनतम 02	
		कम्पनी शोरूम	अधिकतम 05	
224	ड्राई पोर्ट मय बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग	कन्टेनर डिपो अनुसार	कन्टेनर डिपो अनुसार	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
	एजेन्सी गतिविधियों या बिना इन सुविधाओं के			
225	हेलीपेड	हेलीपेड	विमान तल प्राधिकरण के मापदण्डों के अनुसार	
226	रेल स्टेशन	रेल स्टेशन	रेल प्राधिकारी के मापदण्डों अनुसार	
227	धर्म कांटा / वेविंग ब्रिज	धर्म कांटा / वेविंग ब्रिज	न्यूनतम 75	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 10	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
ग्रामीण क्षेत्र गतिविधियां				
228	मुर्गी पालन केन्द्र	मुर्गी पालन केन्द्र	न्यूनतम 65	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 05	
229	फार्म हाउस	फार्म हाउस	म.प्र. भू वि. नि अनुसार	
230	डेयरी	डेयरी	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
231	पशु पालन केन्द्र	पशु पालन/डेयरी	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
232	पशु शोध केन्द्र	पशु शोध केन्द्र	न्यूनतम 50	
		पशु पालन/डेयरी	न्यूनतम 10	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
सुविधा दुकानें	अधिकतम 04			
233	ग्रामीण केन्द्र	ग्रामीण विकास केन्द्र	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
234	अनाज गोदाम	अनाज गोदाम	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
235	भवन सामग्री यार्ड	भवन सामग्री यार्ड	न्यूनतम 60	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 10	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 04	
236	मेरिज गार्डन	मेरिज गार्डन	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 06	
		स्टोर	न्यूनतम 06	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 04	
		प्लाण्ट मशीनरी	अधिकतम 04	
		जनरेटर	न्यूनतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
		गेस्ट रूमस्	अधिकतम 05	
237	ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र	ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
238	कृषक परामर्श / सहायता केन्द्र	कृषक परामर्श / सहायता केन्द्र	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		239	आंगनवाड़ी	आंगनवाड़ी
प्रशासकीय	अधिकतम 05			
रेस्ट रूम	न्यूनतम 05			
स्टोर	न्यूनतम 05			
प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05			
स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05			
सुविधा दुकानें	अधिकतम 05			
240	औषधालय			औषधालय
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		241	कृषि उपकरण	कृषि उपकरण कर्मशाला

अनु. क्र.	मुख्य उपयोग परिसर	मुख्य उपयोग परिसर के अतिरिक्त संचालित की जा सकने वाली गतिविधियां एवं उनका प्रतिशत		रिमार्क
		गतिविधियां	निर्माण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
	कर्मशाला	प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
242	चौपाल	चौपाल	न्यूनतम 70	
		प्रशासकीय	अधिकतम 05	
		रेस्ट रूम	न्यूनतम 05	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 05	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 02	
		स्टॉफ क्वार्टर	न्यूनतम 05	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 03	
243	उत्सव स्थल	उत्सव स्थल	न्यूनतम 55	
		प्रशासकीय / सुरक्षा	अधिकतम 02	
		केन्टीन / रेस्टारेंट / केफेटेरिया	न्यूनतम 03	
		स्टोर	न्यूनतम 05	
		रेस्ट रूम	अधिकतम 03	
		प्रसाधन सुविधाएँ	न्यूनतम 02	
		ए.टी.एम.	अधिकतम 01	
		प्रतीक्षा कक्ष	न्यूनतम 01	
		सुविधा दुकानें	अधिकतम 05	
		लायब्रेरी	न्यूनतम 01	
		प्ले एरिया	अधिकतम 05	
		प्राथमिक उपचार	अधिकतम 01	
		मीडिया रूम	अधिकतम 01	
		ओपन एयर थियटर	अधिकतम 05	
		प्रदर्शनी	अधिकतम 05	
		मनोरंजन / सांस्कृतिक	अधिकतम 05	

नोट : 1. न्यूनतम श्रेणी की गतिविधियां अनिवार्य स्वरूप की है तथा अधिकतम श्रेणी की गतिविधियां ऐच्छिक स्वरूप की है।

2. ऐच्छिक स्वरूप की गतिविधियों के प्रतिशत में, प्रोजेक्ट/परियोजना की आवश्यकता अनुरूप, सक्षम अधिकारी परिवर्तन कर सकेगा।

6-12 orĕku fodfl r {ks= grq fodkl fu; eu

भवन की ऊंचाई, अहाते की दीवार की ऊंचाई एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड नये क्षेत्रों के अनुरूप ही रहेंगे।

¼½ orĕku vkokl h; {ks=

वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास निम्न मापदण्डों से नियंत्रित होगा।

'kqtkyi g % vkokl h; fodkl grq Hk& [k.M dk vkdkj , oa fufezr {ks=

6&l k&10

Hk[k.M dk {ks=	vkPNkfnr {ks= ¼%½	Q' khz {ks=uq kr
90 वर्गमीटर से कम	75% प्रतिशत	1.50
90 से 180 वर्गमीटर तक	66% प्रतिशत	1.25
180 वर्गमीटर से अधिक	60% प्रतिशत	1.25

Vhi %& मार्ग की चौड़ाई 9.00 वर्गमीटर से अधिक होने की दशा में 180 वर्गमीटर से अधिक वाले भूखण्डों के लिये फर्शी क्षेत्रानुपात 1.50 तक अनुज्ञेय होगा।

¼½ vkokl h; fodfl r dklykfu; ka grq eki n.M

जिन कॉलोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गये हों, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जावेगा। ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण हेतु, उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाए गए मापदण्ड लागू होंगे, जबकि कॉलोनी के अन्य मार्गों पर विकास/निर्माण के लिए नवीन आवासीय क्षेत्र के लिये निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

¼½ orĕku okf.kfT; d {ks=

निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक मार्गों पर पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी –

- (क) मार्गों की चौड़ाई विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप हो।
- (ख) अन्य तल यदि आवासीय उपयोग में हो, तो आवासीय क्षेत्र, भू-तल पर प्रस्तावित कुल फर्शी क्षेत्र के 3/4 से अधिक नहीं होगा।
- (ग) फर्शी क्षेत्र अनुपात को ध्यान में रखते हुये फर्शी क्षेत्र निर्धारित होगा।
- (घ) वाणिज्यिक विकास की गहराई, भवन जिस मार्ग पर स्थित हो, उस मार्ग की चौड़ाई के 2 गुना या 30 मीटर जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगा।
- (ङ) वाणिज्यिक भू-खण्ड का अधिकतम आकार 400 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा किन्तु होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर एवं वाणिज्यिक परिसर हेतु आवंटित भू-खण्डों पर यह सीमा लागू नहीं होगी।

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में, वाणिज्यिक परिसरों के लिये अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा :-

- 25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्ड 100 प्रतिशत
- 25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्ड 80 प्रतिशत
- फर्शी क्षेत्र अनुपात 2.00

Vhi % (1) वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जावेगी।

(2) किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भू-खण्डों में से मार्ग, फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है, तो ऐसी दशा में उक्त भू-खण्ड पर निर्माण किये जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गई भूमि का दुगना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूप से स्वीकार्य होगा। इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी।

1/2 or 1/3 of the total area of the plot, as per the plot area.

उक्त हेतु निम्न मापदण्ड अपनाए जावेंगे -

'kqtkyij % of the total area of the plot, as per the plot area.

6&1 k&11

Ø-	fooj .k	vkPNkfnr {ks=	Q' khz {ks=kuq kr
1	महाविद्यालय	40 प्रतिशत	1.5
2	उच्चतर माध्यमिक शाला	40 प्रतिशत	1.5
3	प्राथमिक शाला	50 प्रतिशत	1.5
4	नर्सरी स्कूल	50 प्रतिशत	1.5
5	अस्पताल	40 प्रतिशत	1.5
6	स्वास्थ्य केन्द्र	50 प्रतिशत	1.5
7	पुलिस थाना	50 प्रतिशत	1.5
8	अग्निशमन स्थल	50 प्रतिशत	1.5
9	सामुदायिक भवन	40 प्रतिशत	1.0
10	शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालय	40 प्रतिशत	1.5

Vhi % 5 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन गैरेज तथा सायकिल स्टैण्ड के लिए अनिवार्य होगा।

6-13 I kekU; vfHk' ka k, a

समस्त शासकीय भूखण्ड, जो नगर में इधर-उधर बिखरे हुये हैं, को किसी व्यक्ति विशेष को पट्टे पर नहीं देते हुये क्रियान्वयन संस्था/प्राधिकारी को विकास हेतु सौंप देना चाहिए। यह आशा की जाती है कि इस नीति से नियोजित एवं समन्वित विकास हो सकेगा तथा साथ ही शासकीय भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को रोका जा सकेगा।

v/; k; &7

fodkl ; kst uk fØ; kllø; u

विकास योजना के क्रियान्वयन एवं प्रभावशील करने हेतु यथा संभव प्रयास पूर्ण रूप से नहीं किये जाते हैं, तो नियोजन प्रस्ताव व्यर्थ हो जावेंगे। यह अपेक्षित है कि इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण, पुनर्निर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि विकास करके योगदान करना होगा। इसलिए यह आवश्यक होगा कि ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन, तकनीकी सलाह देकर किया जावे जिससे कि विकास एवं निर्माण, विकास योजना या परिक्षेत्रीय योजना के उपबंधों के अनुरूप हो सके। विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा, जब मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी विकास कार्य चाहे वह शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्थानीय संस्थायें या निजी अथवा व्यक्तिगत हो, उसकी अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त कर किया जावें। भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं अधिनियम 1973 में निहित हैं।

विकास योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः शुजालपुर नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा, जब तक विकास अधिकारी का गठन नहीं होता तब तक क्रियान्वयन का दायित्व नगर पालिका, शुजालपुर द्वारा वहन किया जावेगा। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश गृह निर्माण अधोसंरचना विकास मंडल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, नगर पालिका परिषद् आदि द्वारा भी अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाता है। उससे विकास योजना के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। इसलिए यह अपेक्षित होगा कि सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु शासकीय अर्द्ध शासकीय निकाय, विकास योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें।

7 4 fodkl ; kst uk dk fØ; kllø; u

विकास योजना के प्रस्ताव सन् 2031 तक की कालावधि व 1.50 लाख अनुमानित जनसंख्या के लिए है। वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में 89530-0 लाख रूपयों का व्यय अनुमानित है। इसमें विभिन्न भूमि उपयोग हेतु 580.0 हेक्टर भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा एवं भूमि के विकास पर व्यय, जिसमें नये मार्गों पर पुलों का निर्माण आदि शामिल है।

भूमि अर्जन की औसत दर 30.00 लाख रूपये प्रति हेक्टर मानी गई है। इस पर विकास संबंधी व्यय भूमि अर्जन व्यय का आठ गुना अनुमानित है। विकास व्यय का जहाँ तक प्रश्न है वह भूमि उपयोग के प्रकार अनुसार अलग-अलग माना गया है। संपूर्ण विकास योजना 2031 के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारणी 7-सा-1 में दर्शाया गया है।

'kqt'kyi g % ; kst uk fØ; kÙo; u dh ykxr

7&l k&1

Øa	Hkfe mi ; kx fooj .k	{ks= %gDVj e#			Hk&vtÙ ykxr % 30-00 yk[k ifr gsdh nj l %	vftir Hkfe ds 60 ifr'kr dk fodkl 0; ;			dy ykxr % yk[k e# 6\$9%
		iLrkfor	orëku	'ksk Hkfe tks vidr djuk g#		{ks= gs ea	fodkl nj ifr gs % yk[k e#	%ykxr : yk[k e#	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आवासीय	838.0	286.0	552.0	16560.0	331.00	75.0	24825.0	41385.0
2	वाणिज्यिक	77.0	49.0	28.0	840.0	17.00	75.0	1275.0	2115.0
3	औद्योगिक	69.50	23.50	46.0	1380.0	27.00	75.0	2025.0	3405.0
4	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक	94.0	70.0	24.0	720.0	14.00	75.0	1050.0	1770.0
5	सार्वजनिक सुविधाएं एवं सेवाएं	6.50	6.50	—	—	—	—	—	—
6	मिश्रित उपयोग	215.0	—	215.	6450.0	130.00	75.0	9750.0	16200.0
7	आमोद—प्रमोद	247.0	7.0	240.0	7200.0	144.00	30.0	4320.0	11520.0
8	यातायात एवं परिवहन	300.0	138.0	162.0	4860.0	97.00	75.0	7275.0	12135.0
9.	ओवर ब्रिज	एक मुफ्त	—	—	1000.0	—	—	—	1000.0
	; kx%&	1847-0	580-0	1267-0	39010-0	760-00	&	50520-0	89530-0

7 2 ; kst uk fØ; kÙo; u dh uhfr

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है। अतएव निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारण की आवश्यकता है।

- 1 प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू-स्वरूप
- 2 सांस्कृतिक धरोहरों के क्षेत्रों का संरक्षण
- 3 भूमि का कुशलतम उपयोग
- 4 अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता/संधारण
- 5 भूमि प्रदाय तथा अधोसंरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव
- 6 समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास प्रदान करना

इन उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है:-

(अ) पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

(ब) नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम

- 7 मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू-उपयोग के क्रियान्वयन के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जावेगा कि मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय प्राधिकारी को विकास हेतु उपलब्ध हो सके।
- 8 आवासीय परिक्षेत्रों में इलेक्ट्रिक/ इलेक्ट्रानिक व्यवसाय से संबंधित विद्युत शक्ति की सीमा से मुक्त होंगे।
- 9 प्रत्येक अभिन्यास के खुले क्षेत्र में प्रत्येक 100 आवासीय इकाईयों के लिये एक बालवाड़ी, एक झुलाघर हेतु क्षेत्र आरक्षित रखना होगा। इसके अतिरिक्त उपयुक्त स्थान पर बंद कचराघर हेतु कम से कम 6.0x6.0 मीटर स्थान आरक्षित रखना होगा। जहाँ से स्थानीय संस्थाएं सुविधापूर्वक कचरे का उठान कर सके जिससे कि पर्यावरणीय दुष्प्रभाव न पड़े।
- 10 ऐसे आवासीय प्रक्षेत्र में भूखंड का आकार, प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात आदि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानानुसार नियंत्रित होगा।

7-3 i ; kbj.k i ca'ku , oa l j {k.k dk; Øe

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है, जो प्रमुख रूप से तालाबों के संरक्षण इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्ट, भू-स्वरूप तथा जल स्तोंत्रों के जलग्रहण क्षेत्रों से संबंधित कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित है। अन्य पर्यावरणीय समस्याएं जैसे नगरीय अवशिष्ट के उपचार, निराकरण इनके पुनःचक्रिकरण एवं नगर विस्तार के परिपेक्ष्य में जनसंख्या के व्यवस्थापन से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है।

i ; kbj.k i ca'ku , oa l j {k.k ds i æq'k rRo

उपरोक्त संवेदनशील बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में निम्न विशय विचारणीय है:-

- 1 तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों में जल मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम
- 2 तालाबों के फैलाव क्षेत्रों में भू-उपयोग प्रबंधन से तालाबों का प्रदूषण रोकना
- 3 जल फैलाव क्षेत्रों में "स्टाप डेम" द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक उपयोग निषेध।
- 4 तालाबों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण मापदंडों का प्रभावीकरण
- 5 निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण
- 6 सभी जल स्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था।

7 4 uxjh; v/kkd j'puk , oa l øk ; kst uk

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा:-

- संस्था गठन

- विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि सक्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन
- भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग।
- नगर के रहवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान।

7-4-1 , dhd'r uxj fodkl dk; Øe r\$ kj djuk

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढांचे के अनुरूप क्रियान्वित एवं तैयार किया जा सकेगा।

वार्षिक योजना/वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा जिससे पाँच वर्षीय नगर विकास कार्यक्रम सामने आ सकेगा। मूलतः यह कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिये जाने वाले क्षेत्रों के लिये विकास कार्यक्रम होगा। वार्षिक विकास कार्यक्रम नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिकोण से समन्वय प्राधिकारी द्वारा वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जावेगा, यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण-लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव, वृत्तखण्ड एवं उपवृत्तखण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शायेगा। यह कार्यक्रम चालू वर्षों में पूर्ण किये जाने वाले नगरीय मार्ग तंत्र तथा प्रमुख सेवा सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा। इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिये समुचित धनराशि का समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमि सुविधादायक के रूप में होगी।

योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका "सुविधादायक" के रूप में होना चाहिए इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। नगर विकास में निवेश के अन्तर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना उपयुक्त होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिये उपलब्ध बजट एवं अन्य स्रोतों को एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा। एकीकृत नगर विकास योजना/कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढांचे के अंतर्गत किया जाकर लक्ष्य की पूर्ति किया जाना प्रस्तावित है:-

- 1 एकीकृत नगरीय विकास योजना के तत्वों की पहचान।
- 2 कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिये सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान।
- 3 विकास योजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण।
- 4 एकीकृत नगरीय विकास योजना तैयार करना।
- 5 निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना जो सहभागिता का उपयोग करते हुए विकास में समन्वित विकास का दृष्टिकोण रखते हो।
- 6 समन्वय प्राधिकारियों और अन्य वृत्त खण्डीय/एजेन्सियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना।

7-5 Hkwe fodkl uhfr

7-5-1 ; kst uk, a , oa dk; Øe

आलोच्य क्षेत्रों के विकास हेतु क्रियान्वयन दो चरणों में करने का प्रावधान है। प्रथम चरण में सन् 2021 तक की आवश्यकताओं तथा द्वितीय चरण 2022 से 2031 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा।

योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि-स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से संसाधन गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता है।

योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिये नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी। इस उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास क्रियान्वित किया जावेगा:-

- 1 भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिये नीति तैयार करना।
- 2 मार्ग ग्रिड विकास कार्यक्रम निर्धारित करना, जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी कार्यरूप दे सके।
- 3 भूमि स्वामियों/विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी भूमि विकास कार्यक्रम की नीतियों को तैयार करना।
- 4 परिसीमन अधोसंरचना के प्रावधान के साथ-साथ लगभग पाँच से दस हेक्टर आकार के अर्द्धविकसित भूखण्डों को सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करने हेतु विकास कार्यक्रम को मूर्तरूप देना।
- 5 योजना के दोनो चरणों की आवश्यक जलापूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्रोत का विकास।
- 6 नगरीय विकास के प्रथम चरण कार्यक्रम की पूर्ति हेतु उपयोगिता अधोसंरचना, पावर ग्रिड, जल निकास व्यवस्था का विकास।
- 7 भूमि विकास कार्यक्रम, नगरीय विकास परियोजनाएं के साथ ही लक्षित समूह आवासों के विकास के क्रियान्वयन हेतु एक विशेष नियोजन एवं विकास अनुमति प्रणाली तैयार करना चाहिए।
- 8 मुख्य जल स्रोत में वृद्धि एवं उर्जा वितरण केन्द्रों की स्थापना।

7-5-2 l lFkkvka ds iz; kl l c/kh eq; rRo

एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धांत निम्नानुसार है:-

- यह सुनिश्चित हो की भूमि उपलब्धता में कमी तथा उपयुक्त अधोसंरचना के कारण विकास अवरुद्ध न हो।
- उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना।
- बिखरे हुए नगरीय विकास के लिये पहुंच मार्ग उपलब्ध कराना।

- अर्द्धविकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन।
- भू-स्वामियों, सार्वजनिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना।

7-6 i fke pj.k dk; Øe

प्रथम चरण कार्यक्रम में सार्वजनिक संस्थाओं के प्रयासों को शामिल करते हुए आलोच्य क्षेत्र के उपयोगों को निम्नानुसार चिन्हित किया गया है:-

'kqtkyij % i fke pj.k ds ?kVd

7&l k&2

Øa	mi ; ksx	{ks= dk fooj .k
1	2	3
1	आवासीय	1. ग्राम किशोनी
2	वाणिज्यिक	1. ग्राम भिलखेडी मार्ग पर प्रस्तावित रिंग रोड से लगकर यातायात नगर 2. ग्राम चितोडा पचोर मार्ग पर प्रस्तावित यातायात नगर,
4	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं एवं सेवाएं	1. ग्राम कि गोनी मधुर एगो वेयर हाउस के पास
5	मिश्रित उपयोग	1. ग्राम किशोनी में आष्टा मार्ग के दोनो ओर 2. ग्राम शुजालपुर में प्रस्तावित रिंग रोड दोनो ओर
5	औद्योगिक	1 ग्राम चितोडा पचोर मार्ग पर प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र
6	आमोद-प्रमोद	1. ग्राम शुजालपुर में स्थित तालाब से लगकर एवं नदी के किनारे,
6	यातायात एवं परिवहन	1- प्रस्तावित रिंग रोड (अकोदिया मुख्य मार्ग से रेलवे लाईन होते हुए आष्टा मुख्य मार्ग होते हुए पचोर मार्ग तक लम्बाई लगभग- 13.0 कि.मी., चौड़ाई 45.0 मीटर) 2- प्रस्तावित बस स्टेण्ड रिंग रोड से लगकर
7.	ओवर ब्रिज	1. प्रस्तावित पश्चिमी रिंग रोड पर ग्राम शुजालपुर मे

प्रथम चरण कार्यक्रम में आलोच्य क्षेत्रों में भौतिक अधोसंरचना विकास में नवीन नगरीय विस्तार का लगभग 435.0 हेक्टर क्षेत्र शामिल है। भूमि अधिग्रहण की लागत को मिलाकर उक्त क्षेत्र के वर्तमान दर से विकास में आने वाली लागत रूपयें 4,60,000.0 लाख अनुमानित है।

'kqtkyij % i fke pj.k fØ; kll; u dh ykxr

7&l k&3

Ø-	Hkfe mi ; ks foj.k	Hkvtu dh ykxr %10-0 yk[k i fr gse%		vftir Hkfe dh fodkl nj@ ykxr %yk[k e%			dy ykxr %yk[k e% %\$7%
		Hkfrd y{;	ykxr %yk[k e%	{k= gDVj ea	ykxr %yk[k e%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	127.0	3810.0	127.0	75.0	9525.0	13335.0
2	वाणिज्यिक (प्रस्तावित यातायात नगर)	20.0	600.0	20.0	75.0	1500.0	2100.0
3	औद्योगिक	20.0	600.0	20.0	75.0	1500.0	2100.0
4	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक सुविधा एवं सेवाएं	13.0	390.0	13.0	75.0	975.0	1365.0
7	मिश्रित उपयोग	160.0	4800.0	160.0	75.0	12000.0	16800.0
6	आमोद-प्रमोद	15.0	450.0	15.0	30.0	450.0	900.0
7	यातायात एवं परिवहन	80.0	2400.0	80.0	75.0	6000.0	8400.0
8	ओव्हर ब्रिज-1	&	एक मुश्त			1000.0	1000.0
	; ks%&	435-0	13050-0	435-0		32950-0	46000-0

I d k/ku xfr'khyrk

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन, संसाधन विकास एवं प्रबंधन का अभ्यास है। वर्तमान में नगर विकास निवेश हेतु अलग-अलग प्रयास किये गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप संसाधन का अपव्यय होता है अन्यथा नियोजन में निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती हैं। नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वर्तमान में भूमि का उपयोग कर नगर विकास में निवेश के प्रयास तदर्थ एवं पृथक्-पृथक् रहे हैं, जिसमें उपलब्धता बहुत अधिक अवसर एवं क्षमता को शुजालपुर जैसे नगर के लिए नगरीय वृद्धि एवं नगरीयकरण के परिपेक्ष्य में कार्यरत भूमि बाजार को रोकते हुए गतिशीलता दी जा सकती है। स्थानीय राजस्व को सृजित करने के लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है जो कि नगर में कार्यरत नगर भूमि बाजार को रोकने में मदद कर सकती है, इस संसाधन गतिशीलता के लिए संभावित निम्न उपाय हो सकते हैं:-

बेटरमेंट भुल्क, भूमि उपयोग व्यपवर्तन शुल्क, स्वीकार्य गतिविधियों की अनुमति हेतु शुल्क (आवासीय के अलावा), हस्तांतरण शुल्क, लीज शुल्क, खुले क्षेत्रों के उपयोग का शुल्क आदि। इस तरह से संकलित की गई राशि का उपयोग आलोच्य क्षेत्रों में अधोसंरचना में निवेश के लिए ही केवल उपयोग किया जाना चाहिए।

वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिह्नित किये गये विकास में सभी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए, यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यन्त तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगा।

7-7 ; kst uk i ; bsk.k ra=

1 विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रम के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संसाधनों की गतिशीलता पर निर्भर करते हैं। यह योजना क्रियान्वयन एवं पुनर्विलोकन के साथ-साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरांत तदनुसार कार्यवाही हेतु परिभाषित पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित करता है।

2 अतः योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्न सीमा में तैयार करना प्रस्तावित है:-

- (अ) पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना।
- (ब) आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण
- (स) प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अन्तर्गत नगर विकास हेतु चिह्नित कार्यक्रम से संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना
- (द) वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं आलोच्य अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश का निर्धारण।
- (इ) आलोच्य क्षेत्रों के सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका का निर्धारण।
- (फ) समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना
- (ग) वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण।
- (ङ) सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमि को परिभाषित करते हुए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम का परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना।

3 fu; kst u i ; bsk.k ra=%& योजना पर्यवेक्षण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है:-

- (अ) स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति।
- (ब) नगर विकास प्राधिकरण द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करना।
- (स) नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन।
- (द) समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- (इ) वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन।

i ; bsk.k l fefr dk xBu

विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूलतः दायित्व शुजालपुर विकास प्राधिकरण का होगा, जब तक विकास प्राधिकरण का गठन नहीं होता, तब तक विकास योजना के क्रियान्वयन का दायित्व नगर पालिका शुजालपुर का होगा। अपितु इसके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएं एवं विभाग भी सहभागी होंगे। अतः संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए मध्य प्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-3-45/32/2010 भोपाल ,दिनांक 13.04.2010 द्वारा संभागीय

आयुक्त/जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, में उल्लेखित कार्यपद्धति को अपनाते हुए नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी।

4- okf"kd fodkl ifronu dk iLrghdj.k

नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय द्वारा नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसे संचालक द्वारा अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

7 & ; kst uk dh 0; k[; k

शुजालपुर विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है। विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के है। अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये है।

- (1) विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास रिपोर्ट में उल्लेखित विषय वस्तु में साथ-साथ संदर्भित नियमों का अनुशासन आवश्यक है।
- (2) परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग, सारणी एवं विकास के अध्याय 4 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार होगा। नेवरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित है। अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है।
- (3) ऐसे भूमि उपयोग, गतिविधियों जो प्रमुख भू-उपयोग वर्ग (मेजर लैण्ड यूज जोन) में परिभाषित नहीं है वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी किन्तु जो स्वीकार्य भूमि उपयोग/स्वीकृत भूमि उपयोग सूची/तालिका में शामिल है, के भू उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नही आवेगी।
- (4) विकास प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक बदलाव अपरिहार्य होता है, स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकी आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा। इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा लिया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जावेगा।

परिशिष्ट

- 2- स्थल रेखांक नियम 16(4) अनुसार-----
- 3- उप विभाग/अभिन्यास योजना नियम 16(5) अनुसार-----
(सब डिवीजन/ले-आउट प्लान)
- 4- सेवा आयोजना रेखांक नियम 16(7) अनुसार-----
- 5- प्रस्तावित विकास कार्य को दर्शाते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट-----
- 6- स्थल के सम्बन्ध में भूमि स्वामित्व अथवा कोई विधिक अधिकार के सबूत दर्शाने वाले दस्तावेज नियम 16(11) अनुसार-----
- 7- नजूल अनापत्ति की कापी नियम 16(11) अनुसार-----
- 8- आवेदन शुल्क की पावती की प्रति नियम 21(2)(झ) अनुसार-----
- 9- इस आवेदन के साथ स्वामी द्वारा अधिकृत किये गये आवेदक के सबूत प्रस्तुत करें
(जहाँ आवेदक स्वामी से भिन्न हो) -----
- 10- पार्किंग संगणना के साथ पार्किंग प्लान -----
- 11- ऊपर दिए गए अनुक्रमांक 1 से 10 की इलेक्ट्रॉनिक कापी -----

मैं निवेदन करता हूँ कि प्रस्तावित कार्यों को अनुमोदित किया जाए और मुझे/हम कार्य निष्पादित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर-----
 आवेदक का नाम-----
 आवेदक का पता-----
 ई-मेल पता -----
 दूरभाष /मोबाईल नम्बर-----
 दिनांक-----

e/; i n s' k ' k k l u
v k o k l , o a i ; k b j . k f o H k k x
e a k y ;

@ @ v k n s' k @ @

H k k s i k y f n u k d 14-12-2012

क्रमांक-एफ-3-116/2011/32 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973
(क्रमांक-23 सन्-1973) की धारा-13 की उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग
की अधिसूचना क्रमांक-1506/1844/बत्तीस/भोपाल दिनांक 22.04.1997 द्वारा गठित शुजालपुर
निवेश-क्षेत्र की संशोधित सीमाओं को निम्न अनुसूची में दर्शाये अनुसार परिनिश्चित करती है।

v u d i p h

शुजालपुर : निवेश क्षेत्र की सीमाए :-

1. उत्तर में - ग्राम ताजपुर उकाला, सेसरामपुर, सलमपुर चित्तोडा तथा पिपलौदा की उत्तरीय सीमा तक.
2. पश्चिम में - ग्राम पिपलौद, धारियाखेडी, झिरन्या, राणुगंज तथा महुधाट की पश्चिमी सीमा तक.
3. दक्षिण में - ग्राम महुधाट, नांदासुरा, कमल्या, किसोनी, शुजालपुर नगर पालिका की वर्तमान दक्षिणी सीमा तक तथा भीलखेडी की दक्षिणी सीमा तक.
4. पूर्व में - ग्राम भीलखेडी, नान्याखेडी अख्यारपुर तथा ताजपुर उकाला के पूर्वी सीमा तक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ता.

(वर्षा नावलेकर)

उपसचिव

मध्य प्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

i f j f ' k " V * N *

e-iz Hkfe fodkl fu; e 2012 dk

¼fu; e 49 fvli .kh 4 nf[k, ½

fodkl vFkok {ks=h; vk; kstuk ds iLrkoks dks iklr djus dk iz i

प्रति,

प्राधिकारी

मध्य प्रदेश

महोदय,

में एतद द्वारा शहर/जिला ----- मोहल्ला/बाजार/तहसील
----- कालोनी/गली/मार्ग ----- मै भूखण्ड क्रमांक----- खसरा
क्रमांक----- की भूमि के विकास/पुर्नविकास करने का इच्छुक हूं। क्षेत्र से संबंधित
विकास योजना/परिक्षेत्रीक योजना से संबंधित प्रस्ताव ऊपर निर्दिष्ट भूमि के लिए उपखण्ड योजनाए
तैयार करने के लिए उपलब्ध किये जा सकेंगे। विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना संबंधी प्रस्तावो को
प्राप्त करने के लिए आवश्यक भुगतान किया जा चुका है और रसीद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

आवेदक के अथवा स्वामी के हस्ताक्षर-----

आवेदक अथवा स्वामी का नाम (स्पष्ट अक्षरो मे)-----

आवेदक के अथवा स्वामी का पता

दिनांक -----

e/; i n s k ' k k l u
v k o k l , o a i ; k b j . k f o H k k x
e a k y ;
@ @ v k n s k @

भोपाल दिनांक 13.4.2010

क्रमांक-एफ-3-45/32/2010 राज्य शासन के आदेश क्रमांक. एफ-3-130/32/97 दिनांक 20.01.1998, आदेश क्रमांक-एफ-3-55/32/98 दिनांक 12.08.1998 एवं आदेश क्रमांक-एफ-3-130/32/97 दिनांक 2 मई-2000 के द्वारा अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संभागायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित 'नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति' को एतद् द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

1. संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर अध्यक्ष
2. सांसद, संबंधित क्षेत्र सदस्य
3. अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण सदस्य
4. अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत सदस्य
5. महापौर, संबंधित नगर पालिक निगम सदस्य
6. निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधान क्षेत्रों के विधायक सदस्य
7. अध्यक्ष, संबंधित नगर पालिका सदस्य
8. अध्यक्ष, संबंधित नगर पंचायत सदस्य
9. म.प्र.गृह निर्माण मण्डल का उपायुक्त/कार्यपालन यंत्री सदस्य
10. संबंधित आयुक्त, नगर पालिक निगम/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत. सदस्य
11. लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री सदस्य
12. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री सदस्य
13. म.प्र.विद्युत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री सदस्य
14. संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सदस्य
15. संयुक्त संचालक/उपसंचालक, /सहायक संचालक, नग्रानि, संबंधित जिला कार्यालय सदस्य सचिव

- (अ) इस समिति की बैठक प्रत्येक छह माह में आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा
(ब) सदस्य सचिव, विकास योजना के विभिन्न घटकों की प्राथमिकता का संधारण/निर्धारण कर वार्षिक योजना समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
(स) क्रियान्वयन संस्थाए अपना वार्षिक बजट समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के आधार पर तैयार करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता.
(वर्षा नावलेकर)
उपसचिव
मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
भोपाल, दिनांक 13.04.2010


पृ.क्र.—एफ—एफ—3—45 / 32 / 2010
प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/पंचायत एवं ग्रामीण विकास/लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. समस्त संभागायुक्त, म.प्र.
3. आयुक्त, म.प्र.गृह निर्माण मण्डल, भोपाल
4. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय, भोपाल
5. समस्त कलेक्टर, म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निवेदन है, कि जिले के अंतर्गत आने वाले संसदीय क्षेत्र के सांसदों, विधान सभा क्षेत्र के विधायकों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों तथा नगर पंचायतों को इन आदेशों से अवगत कराने का कष्ट करें।
6. समस्त संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, म.प्र.।
7. समस्त अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण म.प्र. की ओर अग्रेषित.

हस्ता.
(वर्षा नावलेकर)
उपसचिव
मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

शुजालपुर वर्तमान भूमि उपयोग


LANDUSE	वर्तमान EXISTING	भू उपयोग
RESIDENTIAL		आवासीय
COMMERCIAL		वाणिज्यिक
GENERAL		सामान्य
MANDI/WHOLESALE		थोक वाणिज्यिक (मंडी)
INDUSTRIAL		औद्योगिक
PUBLI & SEMIPUBLIC		सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक
PUBLIC UTILITIES & FACILITIES		सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं
RECREATIONAL		आमोद प्रमोद
REGIONAL PARK		क्षेत्रीय उद्यान
WATERBODIES		जलाशय
AGRICULTURAL		कृषि
TRANSPORTATION		यातायात
ROAD		मार्ग
RAIL		रेल मार्ग
BUS STAND		बस स्थानक
BRIDGE		सेतु
BOUNDARY		सीमा
PLANNING AREA		निवेश क्षेत्र
VILLAGE BOUNDARY		ग्राम
MUNICIPAL BOUNDARY		नगर पालिका



N
1:16,000




सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र,
म0प्र0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
विज्ञान भवन, भोपाल




संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

शुजालपुर

वर्तमान परिभ्रमण संरचना



ROAD		मार्ग
RAIL		रेल मार्ग
RAILWAY STATION		रेलवे स्टेशन
BUS STAND		बस स्थानक
BOUNDARY		
		सीमा
PLANNING AREA		निवेश क्षेत्र
VILLAGE BOUNDARY		ग्राम
RIVER/DRAINAGE/ POND		नदी / नाले / तालाब



सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र,
म0प्र0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
विज्ञान भवन, भोपाल

शुजालपुर प्रथम चरण


LANDUSE	वर्तमान EXISTING	प्रस्तावित PROPOSED	भू उपयोग
RESIDENTIAL			आवासीय
COMMERCIAL			वाणिज्यिक
TRANSPORT NAGAR			यातायात नगर
INDUSTRIAL			औद्योगिक
PUBLI & SEMIPUBLIC			सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक
WATERBODIES			जलाशय
MIXED LANDUSE			कृषि
TRANSPORTATION			यातायात
ROAD			मार्ग
RAIL			रेल मार्ग
BUS STAND			बस स्थानक
BRIDGE			सेतु
BOUNDARY			सीमा
PLANNING AREA			निवेश क्षेत्र
VILLAGE BOUNDARY			ग्राम
MUNICIPAL BOUNDARY			नगर पालिका



N
1:16,000



सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र,
म0प्र0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
विज्ञान भवन, भोपाल




संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

शुजालपुर विकास योजना-2031 (प्रारूप)


LANDUSE	वर्तमान EXISTING	प्रस्तावित PROPOSED	भू उपयोग
RESIDENTIAL			आवासीय
COMMERCIAL			वाणिज्यिक
GENERAL			सामान्य
MANDI/WHOLESALE			शोक वाणिज्यिक (मंडी)
TRANSPORT NAGAR			यातायात नगर
INDUSTRIAL			औद्योगिक
PUBLI & SEMIPUBLIC			सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक
PUBLIC UTILITIES & FACILITIES			सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं
RECREATIONAL			आमोद प्रमोद
REGIONAL PARK			क्षेत्रीय उद्यान
GREEN BUFFER			हरित क्षेत्र
CITY FOREST			शहरी वन
WATERBODIES			जलाशय
AGRICULTURAL			कृषि
MIXED LANDUSE			मिश्रित
TRANSPORTATION			यातायात
ROAD			मार्ग
RAIL			रेल मार्ग
BUS STAND			बस स्थानक
BRIDGE			सेतु
BOUNDARY			सीमा
PLANNING AREA			निवेश क्षेत्र
VILLAGE BOUNDARY			ग्राम
MUNICIPAL BOUNDARY			नगर पालिका

N
1:16,000

सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र,
म0प्र0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद
विज्ञान भवन, भोपाल



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश




शुजालपुर विकास योजना-2031 (प्रारूप)

LANDUSE	वर्तमान EXISTING	प्रस्तावित PROPOSED	भू उपयोग
RESIDENTIAL			आवासीय
COMMERCIAL			वाणिज्यिक
GENERAL			सामान्य
MANDI/WHOLESALE			शोक वाणिज्यिक (मंडी)
TRANSPORT NAGAR			यातायात नगर
INDUSTRIAL			औद्योगिक
PUBLI & SEMIPUBLIC			सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक
PUBLIC UTILITIES & FACILITIES			सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं
RECREATIONAL			आमोद प्रमोद
REGIONAL PARK			क्षेत्रीय उद्यान
GREEN BUFFER			हरित क्षेत्र
CITY FOREST			शहरी वन
WATERBODIES			जलाशय
AGRICULTURAL			कृषि
MIXED LANDUSE			मिश्रित
TRANSPORTATION			यातायात
ROAD			मार्ग
RAIL			रेल मार्ग
BUS STAND			बस स्थानक
BRIDGE			सेतु
BOUNDARY			सीमा
PLANNING AREA			निवेश क्षेत्र
VILLAGE BOUNDARY			ग्राम
MUNICIPAL BOUNDARY			नगर पालिका

N
1:16,000

सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र,
म0प्र0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
विज्ञान भवन, भोपाल



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

